वार्षिक रिपोर्ट
2002-03

रबड़ बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

अनुक्रमणिका

क्रम सं.			विषय	पृष्ठ सं.
01	भाग	I	प्रस्तावना	5
02	भाग	II	रचना और कार्य	7
03	भाग	III	प्रशासन ➢ स्थापना ➢ विपणन ➢ श्रमिक कल्याण ➢ विधिक ➢ राजभाषा कार्यान्वयन ➢ प्रचार एवं जन संपर्क ➢ सतर्कता	14
04	भाग	IV	रबड़ उत्पादन	22
05	भाग	V	रबड़ अनुसंधान	30
06	भाग	VI	वित्त एवं लेखा	37
07	भाग	VII	अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क	40
08	भाग	VIII	संसाधन एवं उपज विकास	45
09	भाग	IX	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	48
10	भाग	X	साँख्यिकी एवं योजना	51
11	भाग	XI	साँख्यिकीय सारणियाँ	53

भाग - I

प्रस्तावना

भारत सरकार ने रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन देश में रबड़ खेती उद्योग के विकास के प्राथमिक लक्ष्य से कोरपोरेट निकाय के तौर पर रबड़ बोर्ड की गठन की। ***हीविया ब्रासीलियनसिस*** द्वारा उत्पादित लाटेक्स से संसार के सर्वाधिक बहु उपयोगी कच्चे माल के रूप में जाननेवाला स्वाभाविक रबड़ प्राप्त होता है । इस कच्चे माल का उपयोग भारत में करीब 35000 उत्पादों के निर्माण में किया जाता है तथा राष्ट्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में इसकी अपार देन है । बोर्ड ने विकास एवं विस्तार की एक सख्त श्रृंखला की संस्थापना की तथा जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के क्षेत्रों में याने रबड़ बागान क्षेत्र के सभी स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है । साथ ही साथ अनुसंधान को इसका प्रणोद क्षेत्र माना तथा रबड़ के जैविकीय एवं प्रौद्योगिकीय सुधार हेतु अनुसंधान चलाने के लक्ष्य से बोर्ड ने 1955 में भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान की संस्थापना की ।

बोर्ड इसके प्रारंभ से ही रबड़ की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन देता आ रहा है । छठी योजना अवधि से रबड़ के नवरोपण एवं पुनर्रोपण प्रोत्साहित करने के लिए रबड़ बागान विकास योजना नामक रबड़ बागान हेतु एक एकीकृत योजना प्रचालित हैं तथा इसे सर्वाधिक सफल योजनाओं में एक माना जाता है । इसके अलावा उत्पादकता में वृद्धि लाने, वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयासों से गुणवत्ता में सुधार लाने, कृषकों के मूल स्तरीय संगठन बनाने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा रबड़ खेती द्वारा स्थायी विकास सुनिश्चित करने में उन्हें सशक्त करने के लिए कृषकों को विकास एवं विस्तार समर्थन दिया जाता है। गैर-पारंपरिक क्षेत्र विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में रबड़ बागानों की वृद्धि दर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जहाँ एकीकृत दृष्टिकोण स्वीकृत करके रबड़ विकास कार्य चलाये गये थे । उत्तर-पूर्व एवं उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व केरल जैसे अन्य राज्यों के आदिवासी परिवर्तन कृषकों के लिए कार्यान्वित रबड़ आधारित

व्यवस्थापन कार्यक्रमों का विशेष जिक्र करना अति आवश्यक है जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास/परिस्थिति को बनाये रखना सुनिश्चित करते भी है ।

रबड़ उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देकर, दक्षता में वृद्धि हेतु एवं अवसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान कर स्वाभाविक रबड़ के विभिन्न उपयोगों तथा अपारंपरिक उपयोगों को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड अन्य कई उपाय भी अपनाते आ रहा है ।

विश्व के सर्वाधिक फसल देनेवाले क्लोनों में एक एवं लोक प्रिय क्लोन आर आर आई आई 105 का प्रजनन एवं निर्मुक्त करना भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान की उल्लेखनीय देन है । पाँच और क्लोनों को विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य अंतिम चरण में है जिन्हें निकट भविष्य में निर्मुक्त किया जाएगा । ***हीविया*** की विभिन्न कृषि प्रणालियों पर कृषि प्रौद्योगिकियाँ भी भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है । संस्थान ने रबड़ संसाधन को सुधारने तथा कृत्रिम रबड़ का प्रभावी रूप से प्रतिस्थापन करने लायक विशेष रबड़ विकसित करने में भी उल्लेखनीय देन की है । प्रक्रमण फैक्टरियों में प्रदूषण रोकने हेतु विशेष परिस्थिति सुरक्षा प्रणालियों, प्रक्रमण में ऊर्जा बचाने की विधि, रबड़ काष्ठ के प्रक्रमण, सहायक आय पैदा करने के कार्यकलाप एवं रबड़ आधारित फसल प्रणालियों पर अनुसंधान के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

वर्ष 2002-03 के दौरान निष्पादन

वर्ष 2002-03 एवं इसके एकदम पूर्व के दो वर्षों के स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन, उपभोग एवं वृद्धि दर इस प्रकार हैं :-

वर्ष	उत्पादन (मेट्रिक टण में)	वृद्धि दर	उपभोग (मेट्रिक टण में)	वृद्धि दर
2000-01	6,30,405	1.3%	6,31,475	0.5%
2001-02	6,31,400	0.2%	6,38,210	1.1%
2002-03	6,49,435	2.9%	6,95,425	9%

भाव

कोट्टयम में पिछले तीन वर्षों के आर एस एस 4 श्रेणी के रबड़ का वार्षिक औसतन भाव ये रहे :

वर्ष	भाव (प्रति क्विंटल)
2000-01	3,036 रु
2001-02	3,228 रु
2002-03	3,919 रु

♥♥♥

भाग - II

रचना एवं कार्य

बोर्ड की रचना

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 4(3) के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष ।

ख) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य होंगे, जिनमें एक रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा ।

ग) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 सदस्य होंगे, जिनमें छः रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन व्यक्तियों में तीन छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यों को मनोनीत करेंगे जिनमें से दो विनिर्माताओं एवं चार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

ङ) संसद के तीन सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा द्वारा दो सदस्यों को और राज्य सभा द्वारा एक सदस्य को चुन लिये जाएंगे ।

च) कार्यपालक निदेशक (पदेन); और

छ) रबड़ उत्पादन आयुक्त (पदेन)

कार्यपालक निदेशक का पद अभी तक नहीं भरा गया है।

31.03.2003 के अनुसार रबड़ बोर्ड के सदस्यों की सूची निम्न प्रकार है

1.	**श्री एस मरिया डसलफिन आई ए एस**	**अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड**
2.	**श्री जवहर लाल जयसवाल सदस्य, लोक सभा**	**धारा 4(3)(ङ) के अधीन संसद सदस्य**
3.	**श्री शशिकुमार सदस्य, लोक सभा**	**वही**
4.	**श्री रामचन्द्र खुंडिया सदस्य, राज्य सभा**	**वही**

5.	श्री सी रामचन्द्रन भा प्र से कृषि उत्पाद आयुक्त, केरल सरकार, कृषि विभाग, सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल सरकार का प्रतिनिधि
6.	श्री ए सी मात्यु अध्यक्ष प्लान्टेशन कोरपोरेशन ऑफ केरला लि. कोट्टयम	वही
7.	श्री एस पी इलंकोवन भा प्र से सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग तमिलनाडु सरकार चेन्नै	नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि
8.	श्री के जेकब तोमस प्रबंध निदेशक मे.वाणियंपारा रबड़ कंपनी लि. वाषक्काला बिल्डिंग्स, के.के रोड कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (3)के अधीन केरल राज्य के बडे कृषकों का प्रतिनिधि
9.	श्री एम डी जोसफ मण्णिपरंपिल, कांजिरप्पल्ली केरल	वही
10.	श्री ए.वी.जोर्ज मे. तामरप्पल्ली रबड़ कं.लि. कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (3)के अधीन केरल राज्य के बडे कृषकों का प्रतिनिधि
11.	श्री ई टी वर्गीस अध्यक्ष इंडियन रबड़ डीलेर्स फेडरेशन रबड़ भवन, कोडिमता कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (4)के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
12.	श्री ए जेकब वेलिमला रबड़ कंपनी लि. उप्पूट्टिल बिल्डिंग्स, के.के.रोड कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (2)के अधीन तमिलनाडु राज्य के बडे कृषकों का प्रतिनिधि

13.	श्री सुरेश एलवाधी प्रबंध निदेशक एलवाधी रबड़ प्रोडक्ट्स नई दिल्ली एवं उपाध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ प्रोडक्ट्स मानुफैक्चेरर्स एवं सदस्य, प्रबंध समिति, ए आई आर आई ए	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन रबड़ माल निर्माताओं का प्रतिनिधि
14.	श्री सी अनन्तकृष्णन महा सचिव कन्याकुमारी जिला रबड़ एस्टेट वर्केर्स यूनियन आई एन टी यू सी, नागाकोड, कुलशेखरम	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन श्रमिक हित का प्रतिनिधि
15.	श्री के जी रवी महा सचिव केरला स्टेट कर्षका कॉंग्रेस तिरुवनन्तपुरम	नियम 3 के उप नियम (3)के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों का प्रतिनिधि
16.	श्री पी लालाजी बाबु महा सचिव ऑल इंडिया प्लान्टेशन वर्केर्स फेडरेशन कोल्लम जिला	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन श्रमिक हित का प्रतिनिधि
17.	श्री कानम राजेन्द्रन सचिव केरला स्टेट कम्मिटी ऑफ ए आई टी यू सी तिरुवनन्तपुरम	वही
18.	श्री एट्टुमानूर वी राधाकृष्णन वालयिल हाउस एट्टुमानूर कोट्टयम जिला	नियम 3 के उप नियम (4)के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
19.	श्री पी बी सत्यन प्लावडा कोच्चुवीडु दक्षिण वाषक्कुलम पोस्ट आलुवा - 5, केरल	नियम 3 के उप नियम (3)के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों का प्रतिनिधि

20.	श्री सी के सजी नारायणन 'गायत्री ' 11/6, लिंक रोड, अय्यन्तोल, तृश्शूर - 680 003	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन श्रमिक हित का प्रतिनिधि
21.	श्रीमती रमा रघुनन्दन 'स्मृति', अक्किक्कावु पी.ओ चावक्काड, तृश्शूर जिला केरल	नियम 3 के उप नियम (4)के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
22.	श्री वी वी अगस्टिन वलवनतुरुत्तेल इडप्पल्ली पी.ओ, कोचिन	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन रबड़ माल निर्माताओं का प्रतिनिधि
23.	श्री पी.आर.मुरलीधरन पतालिल हाउस एस एन पुरम पोस्ट, कोट्टयम केरल	नियम 3 के उप नियम (3)के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों का प्रतिनिधि
24.	श्री जोसफ वाषक्कन वाषक्कामलयिल रामपुरम, कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (4)के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
25.	डॉ ए के कृष्णकुमार रबड़ उत्पादन आयुक्त रबड़ बोर्ड, कोट्टयम	पदेन
26.	कार्यकारी निदेशक	रिक्त

बोर्ड के प्रकार्य

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8 में बताए गए बोर्ड के प्रकार्य हैं:-

(i) रबड़ उद्योग के विकास जैसे उचित समझता है वैसे उपायों से प्रोत्साहित करना । इस के लिए इन उपायों का प्रबंध करना है-

क) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान चलाना, सहायता देना या प्रोत्साहित करना;

ख) छात्रों को रोपण, कृषि, खाद देने एवं छिडकाव की उन्नत रीतियों का प्रशिक्षण देना;

ग) रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह प्रदत्त करना;

घ) रबड़ विपणन का सुधार;

ड.) एस्टेट मालिकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं से सांख्यिकी का एकत्रण करना;

च) श्रमिकों को काम करने हेतु बेहतर सुविधा व व्यवस्था सुनिश्चित करना, तथा उनकी सुख

सुविधाओं व प्रोत्साहनों का सुधार करना; तथा

छ) बोर्ड के अधिकार में दिये गए किसी भी अन्य कार्यों का निर्वहण करना ।

(ii) बोर्ड का यह भी कार्य होगा

क) रबड़ के आयात और निर्यात सहित रबड़ उद्योग के विकास से संबंधित सारे मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;

ख) रबड़ से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना

ग) इस अधिनियम के कार्यों एवं बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्र सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को जैसा निर्धारित हो, अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

अध्यक्ष श्री एस एम डसालफिन बोर्ड की बैठक को सम्बोधित करते हुए

घ) समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार रबड़ उद्योग से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना और उसे पेश करना।

रबड़ अधिनियम की धारा 8 में कथितानुसार बोर्ड के कार्यकलापों व प्रकार्यों की तुलनात्मक पुनरीक्षा हेतु सात समितियाँ गठित की गई हैं । ये हैं:- कार्यकारिणी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, विपणन विकास समिति, रोपण समिति, सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति, श्रमिक कल्याण समिति और कर्मचारी कार्य समिति ।

अन्य हितों के प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री एट्टुमानूर वी राधाकृष्णन 30.11.2002 को 21.8.2003 तक की अवधि तक बोर्ड के उपाध्यक्ष चुन लिये गये ।

श्री एस.एम.डसलफिन भा.प्र.से. वर्ष 2002-03 के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जारी रहे।

बोर्ड एवं समितियों की बैठक

रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड और समितियों की निम्न लिखित बैठकें हुईं ।

क) बोर्ड की बैठकें

144वीं बैठक - 06.04.2002

145वीं बैठक - 22.07.2002

146वीं बैठक - 30.11.2002

ख) समिति बैठकें

कार्यकारिणी समिति	29.04.2002, 02.01.2002 एवं 24.03.2003
अनुसंधान एवं विकास समिति	05.10.2002
रोपण समिति	21.09.2002
श्रमिक कल्याण समिति	05.10.2002
सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति	21.09.2002 एवं 24.03.2003
कर्मचारी कार्य समिति	29.04.2002
कार्यकारिणी समिति एवं बाज़ार विकास समिति की संयुक्त बैठक	17.08.2002
बाज़ार विकास समिति	26.10.2002, 26.12.2002 एवं 08.01.2003

रबड़ बोर्ड बैठक का दृश्य

उपर्युक्त के अलावा, बोर्ड ने स्वाभाविक रबड़ के निर्यात प्रोत्साहन, सडकों के रबरीकरण तथा बोर्ड द्वारा प्रायोजित संसाधन कंपनियों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु उपसमितियों को गठित किया है। इन समितियों ने सामयिक

रूप से बैठक की और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदत्त किए ।

संगठनात्मक रचना

रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का आठ विभागों द्वारा निष्पादन किया जाता है याने रबड़ उत्पादन, प्रशासन, रबड़ अनुसंधान, प्रक्रमण एवं उपज विकास, प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श, वित्त एवं लेखा, सांख्यिकी एवं योजना और अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क । इन विभागों के मुख्य क्रमशः रबड़ उत्पादन आयुक्त, सचिव, निदेशक (अनुसंधान), निदेशक (प्र व उ वि), निदेशक (प्र व त प), निदेशक (वित्त), संयुक्त निदेशक (सां व यो) और निदेशक (अनु व उ शु) हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सचिव के पद रिक्त रहने के कारण निदेशक (अनु व उ शु) ने सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।

बोर्ड के प्रशासन, रबड़ उत्पादन, सांख्यिकी व योजना, अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क और वित्त एवं लेखा विभाग, कीषकुन्नु, कोट्टयम - 686 002 के अपने ही कार्यालय भवन में स्थित हैं । अनुसंधान विभाग, प्रक्रमण व उपज विकास विभाग और प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श विभाग भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान परिसर, कोट्टयम-9 में स्थित हैं ।

अनुज्ञापन और उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन नौ उप/संपर्क कार्यालय हैं । देश के विभिन्न रबड़ उत्पादित क्षेत्रों में रबड़ उत्पादन विभाग के 5 आंचलिक कार्यालय, 2 न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 40 प्रादेशिक कार्यालय, 1 सहायक विकास अधिकारी के कार्यालय, 189 क्षेत्रीय स्टेशन, तीन जिला विकास केन्द्रों के सहित 13 प्रादेशिक पौधशालाएँ, एक निदर्शन केन्द्र (मिज़ोरम में), एक केन्द्रीय पौधशाला और 23 टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल हैं।

अनुसंधान विभाग केरल में दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में एक-एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र चलाता हैं । कोट्टयम स्थित पयलट ब्लॉक रबड़ फैक्टरी, चेत्तकल के केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में स्थित पयलट लैटेक्स संसाधन फैक्टरी का और कोट्टयम में प्राकृतिक रबड़ के रेडियेशन वलकनीकरण के लिए एक पयलट प्लान्ट का संचालन रबड़ प्रक्रमण एवं उपज विकास विभाग द्वारा किया जाता है । विश्व बैंक सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना के अधीन संस्थापित आदर्श टी एस आर फैक्टरी का भी संचालन प्रक्रमण एवं उपज विकास विभाग द्वारा किया जाता है ।

बोर्ड के सारे विभागों एवं कार्यालयों पर अध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । 31.3.2003 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कुल संख्या 2105 थी, जिनमें "क" वर्ग के 310 अधिकारी, "ख" वर्ग के 602 अधिकारी, "ग" वर्ग के 999 और "घ" वर्ग के 194 कर्मचारी सम्मिलित हैं। कार्यकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध रहा था।

आगे के पृष्ठों में विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

♥♥♥

भाग III

प्रशासन

प्रशासन विभाग के निम्नलिखित अनुभाग एवं प्रभाग हैं ।

01 स्थापना अनुभाग (सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन एवं हकदार)

02 विपणन प्रभाग

03 श्रमिक कल्याण अनुभाग

04 विधिक अनुभाग

05 हिन्दी अनुभाग

1. स्थापना अनुभाग

(क) सामान्य प्रशासन

बोर्ड एवं उसकी समितियों का संगठन/पुनःसंगठन, बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठकें आयोजित करना, बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, गृह-व्यवस्था कार्यकलाप का प्रबंधन आदि सामान्य प्रशासन के मुख्य कार्यों में हैं ।

(ख) हकदार

वर्ष के दौरान 11 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित 65 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए । अपने कार्यकाल में ही निधन हुए 8 कर्मचारियों एवं आतंकवादियों द्वारा अपहृत एक कर्मचारी सहित नौ कर्मचारियों के परिवारों को कुटुंब पेंशन मंजूर किया गया।

36 कर्मचारियों को अपने भवनों के निर्माण के लिए 1,05,86,186/- रु. पेशगी के तौर पर वित्तीय सहायता दी गयी । इसके अलावा 68 कर्मचारियों को वाहन पेशगी के तौर पर 13,04,749 रु. दिए गए (2 व्यक्तियों को कार अग्रिम के तौर पर 2,55,300/- रु., 36 कर्मचारियों को दुपहिया वाहन अग्रिम के रूप में 10,04,449/- रु. तथा 30 कर्मचारियों को साइकिल अग्रिम के रूप में 45,000- रु.) इसके अलावा 5 कर्मियों को कंप्यूटर अग्रिम के रूप में 2,02,300/- रु. तथा 13 कर्मचारियों को पंखा अग्रिम स्वरूप 13,000/- रु. भी दिए गए।

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं, छुट्टी खाते एवं वैयक्तिक फाइलों का सही रखरखाव किया गया।

(ग) कार्मिक प्रशासन

अनुमोदित भर्ती नियमों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग व विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों से संबंधित सांविधिक नियमों का पालन करते हुए बोर्ड के सुगम संचालन के लिये रिक्त पदों में योग्य व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित किया था । भर्ती के लिए उपयुक्त कर्मचारियों के चयन के लिए चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का संगठन उपयुक्त तरीके से किया था। चुने हुए आरक्षित पदों के लिए चुने गए कर्मियों के संबंध में सामयिक विवरणियाँ सरकार को भेजी थीं ।

I. 31.3.2003 को बोर्ड के अधीन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 2105 थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	योग
1	रबड़ उत्पादन	172	378	559	102	1211
2.	अनुसंधान	64	135	187	58	444
3.	अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क	23	29	82	7	141
4.	प्रशासन	14	14	62	15	105
5.	प्रक्रमण एवं उपज विकास	17	19	40	5	81
6.	वित्त एवं लेखा	6	14	29	2	51
7.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	9	7	27	4	47
8.	सांख्यिकी एवं योजना	5	6	13	1	25
	योग	**310**	**602**	**999**	**194**	**2105**

II. 31.3.2003 के अनुसार कुल महिला कर्मचारियों का विवरण एवं कुल कर्मचारी बल में उनकी प्रतिशतता।

वर्ग	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल संख्या में प्रतिशत
क	74	310	23.87
ख	205	602	34.05
ग	430	999	43.04
घ	21	194	10.82
महायोग	**730**	**2105**	**34.68**

2. विपणन प्रभाग

विपणन प्रभाग रबड़ के मूल्यों का एकत्रण, उनका संकलन एवं प्रसारण के कार्य करता है । प्रभाग ने शीट रबड़ के विभिन्न श्रेणियों के दैनिक भाव, कुलालंपुर बाज़ार एवं सिंगपुर कोमोडिटी एक्सचेंज में एस एम आर श्रेणी के ब्लॉक रबड़ एवं साठ प्रतिशत लाटेक्स के भावों का प्रकाशन कार्य भी किया । स्क्राप रबड़ का मूल्य भी एकत्रित करके सप्ताह में दो बार प्रकाशित किए। दैनिक आधार पर रबड़ के विभिन्न श्रेणियों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाव बोर्ड के

वेब साइट में प्रविष्ट किए ।

विभिन्न श्रेणियों के शीट रबड़, आई एस एन आर 20 एवं साठ प्रतिशत केन्द्रीकृत लाटेक्स के रिपोर्ट अवधि के मासिक औसतन भाव रिपोर्ट के अंत में दिए गए हैं।

3. श्रमिक कल्याण अनुभाग

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8, उपधारा 2, खंड (च) के अनुसार "श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ एवं शर्तें सुनिश्चित करना तथा सुख सुविधाओं व प्रोत्साहन में अभिवृद्धि लाना" बोर्ड के प्रमुख कार्यों में एक है । इसमें परिलक्षित कार्य रबड़ बागान उद्योग के विकास एवं उत्थान के लिए एवं रबड़ बागान उद्योग के श्रमिकों के बीच, जो रबड़ खेती के विकास और उत्थान के अभिन्न अंग है, रुचि दिलाने व पैदा करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं ।

रबड़ पेड टापिंग

बोर्ड ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त कार्य विभिन्न कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित करके निष्पादित किये। इस वर्ष का बजट आबंटन 212.05 लाख रुपये था जबकि उपलब्धि पिछले वर्ष वितरित 1,22,16,277/- रु. के स्थान पर 2,12,01,169/- रु. रही ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा परिचालित योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

1 शैक्षिक वृत्तिका योजना

यह योजना रबड़ बागान श्रमिकों के बच्चों को कॉलेज व स्कूलों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

वृत्तिका में (1) छात्रावास/आवास शुल्क तथा (2) एकमुश्त अनुदान सम्मिलित हैं ।

2 शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रशंसनीय रूप से पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होनेवाले रबड़ बागान श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । छात्रवृत्ति की रकम 1000 रु. से 5000 रु. तक है । बागान श्रमिकों के बच्चों के अध्ययन में उनके अच्छे निष्पादन को बढावा देने के लिए प्रोत्साहन के तौर यह दी जाती है ।

3 समूह बीमा-सह-जमा योजना (9 चरण)

यह योजना रबड़ बागान श्रमिकों के दुघर्टना द्वारा घायल होने तथा मृत्यु होने के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया हुआ उपाय है । यह योजना बागान श्रमिक अधिनियम लागू न किए बागानों में सहित कार्यरत श्रमिकों को 20,000 रुपये तक की रकम की बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की है ।

यह योजना श्रमिकों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करती भी है । 50 रुपये प्रतिवर्ष के श्रमिक अंशदान के साथ 1986-87 के दौरान प्रथम चरण का प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2000-01 में 9वाँ चरण पहूँच गया । हर

योजना 10 वर्ष की अवधि तक परिचालित होगी। वर्ष 2002-03 के दौरान समूह बीमा योजना के अंतर्गत 40 श्रमिकों को 1,10,684 रु. क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया गया।

केवल छोटी जोतों के टापरों को प्रतिवर्ष प्रति आवेदक 250 रु. के उच्चतर प्रीमियम से 50000 रु. की बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक **नयी समूह बीमा-सह-जमा योजना** का प्रारंभ वर्ष 2001-02 के दौरान किया है। यह योजना दुर्घटनाओं में उच्चतर क्षतिपूर्ति देती है तथा टापरों में जमा करने की आदत को प्रोत्साहित करती है। योजना के अधीन प्रतिवर्ष बोर्ड 150 रु. प्रति सदस्य अंशदान करता है।

4 गृह निर्माण सहायिकी योजना

यह योजना टापरों एवं रबड़ बागान के श्रमिकों को अपनी भूमि में भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गयी थी । इस योजना के अधीन आवेदक

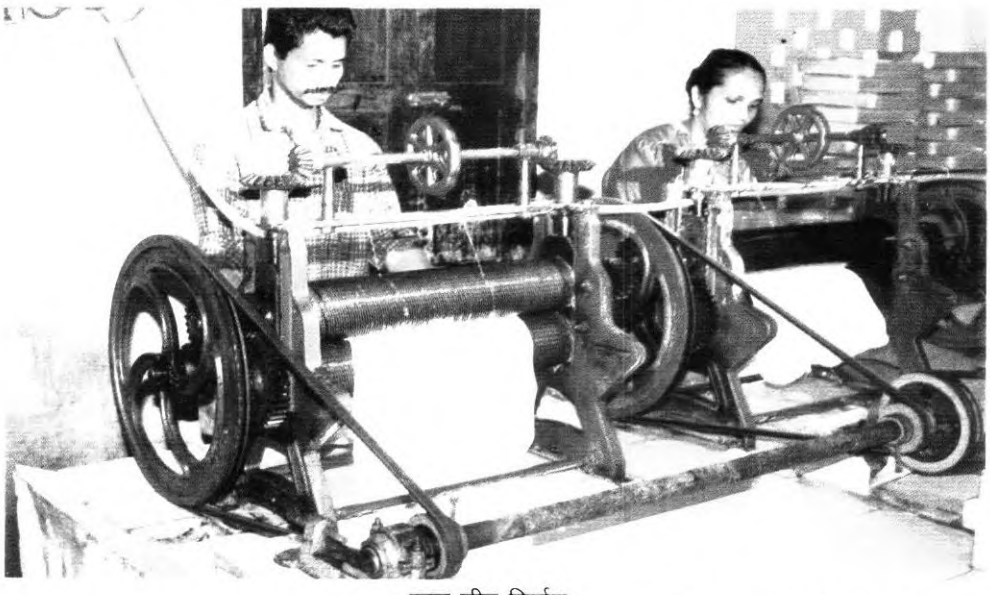

रबड़ शीट निर्माण

के कार्यरत बागान का क्षेत्र 0.75 हेक्टयर से कम न हो । योजना के उपबंधों के अनुसार इस तरह का एक टापर गृह निर्माण करता है तो उन्हें अधिकतम 7500/- रु. या आकलित निर्माण लागत के 25 प्रतिशत में जो भी कम हो उतनी रकम की आर्थिक सहायता दी जाती है।

5 प्रसाधन सुविधा प्रदान करने की योजना

असंगठित क्षेत्र के रबड़ टापरों के बीच स्वच्छ परिस्थिति के प्रति रुचि पैदा करना इस योजना का लक्ष्य है। बोर्ड द्वारा निर्धारित नक्शा एवं अनुमान के अनुसार शौचालय निर्माण में टापरों को सहायता दी जाती है। निर्माण लागत के 75 प्रतिशत या 3000 रु. में जो भी कम हो उतनी रकम तक वित्तीय सहायता सीमित की गई है।

6 चिकित्सा सहायता योजना

यह योजना असंगठित क्षेत्र के टापरों के स्वास्थ्य सुधारने के लिए शुरू की गयी थी। इस योजना द्वारा चिकित्सा हेतु रोगपीडित टापरों द्वारा खर्च किये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। एक वर्ष में देय अधिकतम राशि 2000 रु. है। एक आवेदक के जीवनकाल में गंभीर बीमारियों के लिए एक बार 10,000 रु. की उच्चतर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वंध्यता ऑपरेशन किये टापरों को इस योजना के अन्तर्गत एक अन्य लाभ भी प्रदान किया जाता है। छोटी जोत क्षेत्र के रबड़ टापरों में छोटे परिवार को प्रोत्साहित करने हेतु यह सुविधा प्रदान की जाती है।

7 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडी जाति के लिए भवन निर्माण एवं सानिटरी सहायिकी योजना

यह योजना मात्र असंगठित रबड़ क्षेत्र में काम करने

वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडी जाति के टापरों के लिए हैं । इस योजना के अन्दर शौचालय सहित गृहनिर्माण के लिए 14,000 रु. तक की सहायिकी प्रति आवेदक दी जाती है ।

योजना हेतु निधि विशेष संघटक योजना/आदिवासी उप योजना से प्रदत्त की जाती है ।

वर्ष 2002-03 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत का निष्पादन निम्न प्रकार है :

योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या	वितरित कुल रकम (रु)	वर्ष 2002-03 का बजट आबंटन (रु)
शैक्षिक वृत्तिका	5669	3061463	3051050
शैक्षिक छात्रवृत्ति	214	101750	111950
समूह बीमा-सह-जमा	9068	1034900	1036005
गृह निर्माण सहायिकी	1219	9147500	9105000
शौचालय सहायिकी	653	1956500	1989000
चिकित्सा सहायता	450	766681	773986
गृहनिर्माण व शौचालय सहायिकी(अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.वर्ग)	692	5132375	5138375
योग	**17965**	**21201169**	**21205366**

4 विधिक अनुभाग

बोर्ड के विभिन्न विभागों/अनुभागों/प्रभागों को सलाह/राय देना, कानूनी दस्तावेजों का प्रारूप तैयार करना, रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करना, श्रमिक मामलों, कर मामलों में समझौता करने हेतु विभागों की सहायता करना तथा बोर्ड के मुकदमे चलाने हेतु बोर्ड के अधिवक्ताओं को अनुदेश देना तथा सहायता प्रदान करना आदि विधिक अनुभाग के कार्य हैं ।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान विधिक अनुभाग के ध्यान आकर्षित 960 फाइलों में समय ही पर कार्रवाई की/सलाह दी । गृह निर्माण अग्रिमों के 36 आवेदनों में नियमानुसार आवेदनों की पात्रता निर्धारित करने हेतु दस्तावेजों की छानबीन की । रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा निष्पादित करने के कानूनी दस्तावेजों का आवश्यक समय पर प्रारूपण किया/तैयार किया गया । विविध अदालतों में बोर्ड के विरुद्ध दायर मामलों में बोर्ड के हितों की रक्षा करने के लिए वकीलों द्वारा उचित कदम उठाये गये । उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों पर स्थायी काउंसेल एवं केन्द्र सरकार वकीलों को खंडवार टिप्पणियाँ दी एवं आवश्यक अनुदेश दिए थे । विभिन्न जिलों के क्षतिपूर्ति फोरम के सामने आये उपभोक्ता विवाद संबंधी फाइलों पर अनुभाग ने उत्तर तैयार किये और फाइल किये तथा सुनवाई के समय बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया ।

श्रमिक मामलों के निपटान हेतु प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र धेंकनाल, एन.आर.ई.टी.सी, अन्डमान, के.प.स्टे.चेत्तक्कल, भा.र.ग.सं. फार्म, एच बी एस नेट्टना व परलियार, र.उ.विभाग की पौधशालाएं/प्रक्षेत्रों को आवश्यक सहायताएं प्रदान की । रबड़ अधिनियम, रबड़ नियम, रबड़ बोर्ड कर्मचारी आचार नियम तथा रबड़ बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों में रबड़ बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे तैयार किए ।

5 हिन्दी अनुभाग

रबड़ बोर्ड राजभाषा नियम के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के हिन्दी अनुभाग ने निम्नलिखित कार्य किए ।

- **राजभाषा कार्यान्वयन समिति**

वर्ष के दौरान बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित कीं। बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत कीं तथा उन पर चर्चा कीं। कार्यसूचियाँ

राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार तैयार कीं।

- **हिन्दी सलाहकार समिति**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 17/4/2002 को संपन्न बैठक में अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया तथा 22/11/2002 को संपन्न बैठक में निदेशक (अनु व उ शु) एवं सहायक निदेशक (रा.भा.) भाग लिए।

- **हिन्दी पखवाडा/हिन्दी दिवस समारोह**

बोर्ड के मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान में 17 सितंबर से 27 सितंबर 2002 तक हिन्दी पखवाडा समारोह का आयोजन किया । इस सिलसिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कई अधिकारी/कर्मचारी भाग लिए तथा विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण किया गया।

बोर्ड के 30 अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया । कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कीं तथा विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिए गए । इन कार्यक्रमों में कई मान्य व्यक्ति भाग लिए।

- **हिन्दी में द्वैमासिक बुलेटिन**

वर्ष के दौरान हिन्दी द्वैमासिक बुलेटिन "रबड़ समाचार" का प्रकाशन जारी किया।

- **हिन्दी शिक्षण योजना**

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार 'ग' क्षेत्र में हिन्दी शिक्षण कार्य वर्ष 2005 तक पूरा किया जाना है । मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान में भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन विभिन्न हिन्दी कक्षाएं चलायी गयीं। 9 पदधारी हिन्दी टंकण पाठ्यक्रम में भाग लिए । वर्ष के दौरान 28 पदधारियों ने हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 5 ने हिन्दी टंकण परीक्षा। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हेतु योग्य पदधारियों को नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन दिये गये ।

- **हिन्दी कार्यशाला**

बोर्ड ने 25 प्रादेशिक कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया । कुल 457 अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा में प्रशिक्षण दिया गया ।

- **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति**

वर्ष के दौरान कोट्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें आयोजित की । अध्यक्ष रबड़ बोर्ड, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के भी अध्यक्ष हैं । सदस्य संगठनों के पदधारियों के लिए संयुक्त हिन्दी सप्ताह समारोह का भी आयोजन किया गया।

- **हिन्दी पुस्तकालय**

बोर्ड के हिन्दी अनुभाग के अधीन एक हिन्दी पुस्तकालय कार्यरत है । बोर्ड के पदधारी इसका लाभ उठाते हैं । हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों को आवश्यक पुस्तकें खरीदकर आपूर्ति कीं ।

- **सामान्य**

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र एवं आदेश जैसे दस्तावेज हिन्दी में अनूदित किए ।

कोट्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयुक्त हिन्दी सप्ताह समारोह में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए रबड़ बोर्ड मुख्यालय को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया ।

हिन्दी अनुभाग में संस्थापित कंप्यूटर में बहुभाषी सोफ्टवेयर लगा दिया गया है । अन्य सभी कंप्यूटरों में हिन्दी सोफ्टवेयर लगाने की कार्रवाई प्रगति में है ।

- **आज का शब्द**

मुख्यालय में आज का शब्द लिखना बोर्ड ने जारी रखा। अधीनस्थ कार्यालयों में ***आज का शब्द*** लिखने हेतु अनुदेश जारी किये ।

- **हिन्दी में मूल काम करने हेतु प्रोत्साहन योजना**

हिन्दी में मूल रूप से काम करने हेतु अधिक पदधारियों को प्रोत्साहित किया । हिन्दी में टिप्पणी लिखने एवं मसौदा तैयार करनें हेतु उन्हें आवश्यक सहायताएं प्रदत्त की । कुल 215 पदधारी इस प्रोत्साहन योजना में भाग लिए तथा इस योजना के अन्तर्गत उन्हें नकद पुरस्कार भी दिये गये ।

- **राजभाषाई निरीक्षण**

वर्ष के दौरान बोर्ड के 18 अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषाई निरीक्षण चलाये गये ।

अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में कार्य करनेवाले प्रभाग

1. प्रचार व जनसंपर्क प्रभाग
2. सतर्कता प्रभाग

1. प्रचार व जनसंपर्क प्रभाग

प्रचार व जन संपर्क प्रभाग ने इस अवधि के दौरान रबड़ खेती के विभिन्न पहलुओं पर निम्न लिखित पत्रिकाएं एवं अन्य प्रकाशन प्रकाशित किए ।

1. रबड़ मासिक

वर्ष के दौरान मासिक के 12 अंक प्रकाशित किए। परिचालन की स्थिति निम्न प्रकार है:

औसत मासिक चंदा	:	13958 सं.
आजीवन चंदा	:	6086 सं

2. रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़

वर्ष 2002-03 में रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़ के 12 अंक प्रकाशित किए गए।

3. प्रेस विज्ञप्तियाँ

प्रभाग से 54 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं ।

4. विज्ञापन

105 विज्ञापन (प्रदर्शन एवं वर्गीकृत विज्ञापन सहित) जारी किए तथा रबड़ मासिक हेतु 96 विज्ञापन प्राप्त किए ।

5. आकाशवाणी

प्रभाग के सहायक निदेशक द्वारा आकाशवाणी में एक भाषण रिकार्ड किए तथा जिनका प्रसारण किया गया। रबड़ पर आकाशवाणी में रिकॉर्ड किये गये तथा प्रसारित किये गये 13 भागों के एक सिलसिलेवार कार्यक्रम के आयोजन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में सहायक निदेशक प्रचार ने कार्य किया ।

6. संगोष्ठी एवं बैठकें

बोर्ड, कंपनियों, रबड़ उत्पादक संघों, इन्टर मीडिया पब्लिसिटी कॉ ओर्डिनेशन समिति, सार्वजनिक क्षेत्र के जनसंपर्क मंच एवं आकाशवाणी आदि से संबंधित कई संगोष्ठियों, बैठकों एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारी भाग लिये तथा भाषण दिये ।

7. प्रदर्शनी

प्रभाग 11 प्रदर्शनियों में भाग लिया - यानेः

i कूनूर में उपासी प्रदर्शनी
ii कोट्टयम में खादी मेला
iii तोडुपुषा में कार्षिक मेला
iv मूवाट्टुपुषा में सुवर्णोत्सव
v बसेलियस कॉलेज कोट्टयम में प्रदर्शनी
vi तृश्शूर में मातृभूमि जे टी एफ सी मेला
vii कोट्टयम में इन्डेक्स
viii इंडिया रबड़ एक्स्पो, मुंबई
ix तोडुपुषा में फ्यूशन 2003
x शताब्दी समारोह के सिलसिले में कुलशेखरम में आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शनी
xi शताब्दी समारोह के सिलसिले में कण्णूर में आयोजित एक दिवसीय प्रदर्शनी

8. आलेख

प्रभाग के अधिकारियों ने विभिन्न दैनिकियों, कृषि मासिकों तथा "रबड़ मासिक" में 14 तकनीकी आलेख प्रकाशित किए ।

9. इनसाइड रबड़ बोर्ड

"इनसाइड रबड़ बोर्ड" के 3 अंक प्रकाशित किए ।

10. रबड़ ग्रोवर्स कम्पानियन 2003

"रबड़ ग्रोवर्स कम्पानियन 2003" की 9750 प्रतियों तथा "रबड़ एण्ड इट्स कल्टिवेशन" की 1000 प्रतियों का मुद्रण एवं वितरण किया गया ।

प्रदर्शनी में रबड़ बोर्ड का स्टॉल

11. शताब्दी समारोह

भारत में रबड़ कृषि की शताब्दी समारोह का आयोजन वर्ष 2002 के दौरान किया गया । समारोह का प्रचुर प्रचार किया गया था । भारत में रबड़ बागान उद्योग के शताब्दी समारोह के सिलसिले में 118 पृष्ठों की एक स्मारिका प्रकाशित की ।

2. सतर्कता प्रभाग

1. पूछताछ/जांच

सतर्कता प्रभाग ने क एवं ख वर्ग के 5 अधिकारियों तथा ग एवं घ वर्ग के 6 कर्मचारियों के खिलाफ कुल 11 शिकायतों पर रिपोर्ट वर्ष के दौरान पूछताछ/जांच की । इन शिकायतों पर आवश्यक उचित तरीके की जांच की थी और जहाँ आवश्यक समझा वहाँ गलत करनेवाले बोर्ड अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु सिफारिश की/ उचित कार्रवाई की ।

2. मामले

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 1 पदधारी के विरुद्ध कठिन दण्ड कार्रवाई तथा 2 पदधारियों के विरुद्ध हल्की दण्ड कार्रवाई ली गयी ।

3. संपत्ति विवरण एवं चल/अचल संपत्ति के अर्जन/ बिक्री का विवरण

क एवं ख वर्ग स्तर के सभी अधिकारियों से 31.12.2002 के अनुसार अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी मांगी गयी थी । इस तरह अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों पर उचित कार्रवाई की। सतर्कता प्रभाग ने अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 98 आवेदनों तथा चल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 70 आवेदनों पर कार्रवाई की ।

4. अन्य कार्यकलाप

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार 31.10.2002 से 6.11.2002 तक की अवधि में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा लेकर, कार्यालय परिसर में और आसपास पोस्टर एवं बैनर लगाकर "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया । प्रभाग को सलाह हेतु दिये गये विभिन्न मामलों पर प्रभाग ने विभिन्न विभागों को आवश्यक सलाह प्रदत्त की ।

♥♥♥

भाग IV

रबड़ उत्पादन

रबड़ खेती, स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन को प्रोत्साहित करनेवाली योजनाओं का रूपायन एवं कार्यान्वयन, प्राथमिक प्रक्रमण को समर्थन एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने की योजनाओं के रूपायन एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व रबड़ उत्पादन विभाग को है । वर्ष 2002-03 के दौरान रूपायित एवं कार्यान्वित मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं ।

1) रबड़ बागान विकास योजना

यह योजना पुराने एवं अलाभकर बागानों के पुनर्रोपण एवं नवरोपण करने हेतु मुफ्त विस्तार समर्थन देने तथा वित्तीय सहायता प्रदत्त करने के लिए है । पुनर्रोपण का लक्ष्य 3200 हे. रहा तथा नवरोपण का लक्ष्य 3000 हे. (उत्तर पूर्व के 2000 हे. सहित) रहा । वर्ष 2002-03 का वित्तीय लक्ष्य 1280.95 लाख रुपये रहा। रबड़ बागान विकास योजना के वर्ष 2002-03 के दौरान का निष्पादन परिणाम निम्न प्रकार है:

विवरण	2002-2003
1. आवेदनों की संख्या	12257
2. आवेदनों के अनुसार क्षेत्र (हे.)	9038.24
3. जारी किये परमिटों की संख्या	9119
4. अनुज्ञापत्रित क्षेत्र (हे.)	6465.49
5. वितरित रकम (रुपये करोडों में)	1425 लाख रु.

- **रबड़ बागान बीमा**

रबड़ रोपण विकास योजना के अधीन के सभी अपक्व बागानों और 22 वर्ष की आयु तक के परिपक्व बागानों की स्वैच्छिक आधार पर इस योजना के अन्तर्गत बीमा की जाती है । रबड़ रोपण विकास योजना से बाहर के बागानों की बीमा कृषकों के हितानुसार वैकल्पिक है । बीमा किये गये बागानों और क्षतिपूर्ति के तौर पर दी गई रकम का विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण	2002-2003	2002-2003 तक संचित योग
बीमा किये गये अपक्व क्षेत्र (हेक्टेर में)	4,983.53	95,954.97
बीमा की गयी जोतों की संख्या	7,734.00	1,44,079.00
दी गयी क्षतिपूर्ति (रु.लाखों में)	38.19	227.61
जोतों की संख्या	433.00	6148.00
लाभान्वितों की संख्या	1282.00	6131.00

- **उत्तरपूर्वी क्षेत्र में रबड़ रोपण विकास**

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के रबड़ रोपण विकास की महत्तर संभाव्यताओं पर विचार करते हुए रबड़ उत्पादन विभाग ने विद्यमान बागानों के अनुरक्षण में सहायताएं प्रदान करने का कार्यकलाप जारी रखा तथा क्षेत्र विस्तार पर अधिक ध्यान

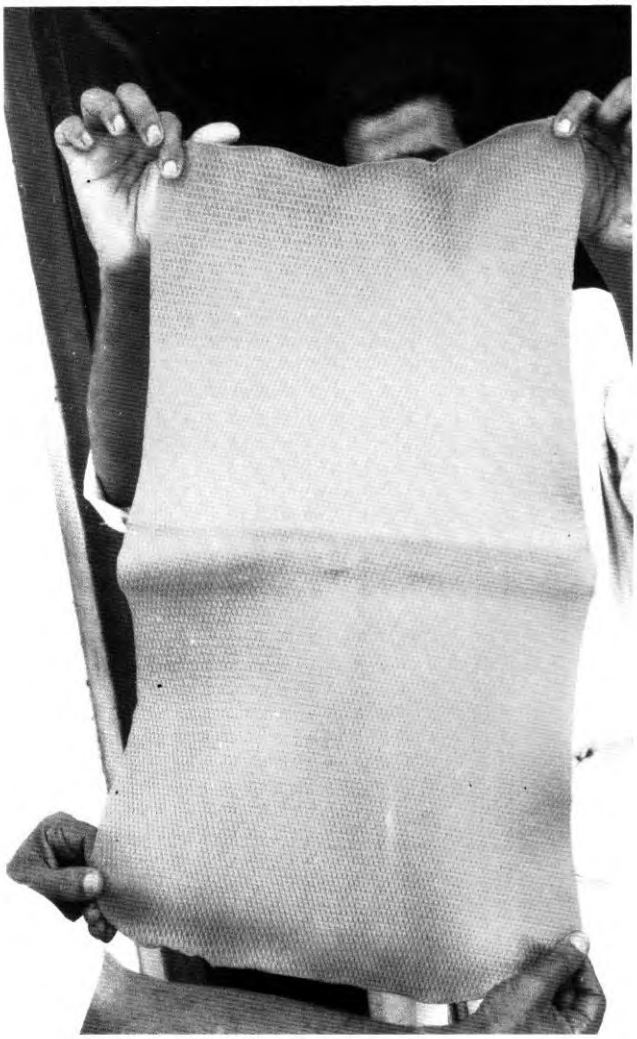

रबड़ शीट का श्रेणीकरण

दिया गया । रबड़ बागान विकास योजना के अधीन नव रोपण के लिए 2643.27 हे. क्षेत्र के लिए 3060 आवेदन प्राप्त किए गए; जिसमें 2202.61 हे. क्षेत्र में रोपण हेतु 2614 अनुज्ञाएं जारी की । वर्ष के दौरान 110.2 हे. में ब्लॉक रोपण हेतु 107 जनजाति के लोगों का चयन किया। ब्लोक रोपण के अधीन संचित क्षेत्र 31/03/03 के अनुसार 2653.28 हे. था और लाभान्वितों की संख्या 2338 थी। 497.33 हे. क्षेत्र में ग्रूप रोपण में 1182 लाभभोगियों ने प्रतिभागिता कीं । 31/3/03 के अनुसार ग्रूप रोपण के अन्दर का कुल क्षेत्र 1662.30 हे. हो गया। अगले वर्ष के रोपण हेतु पॉली बैग पौधों की तैयारी हेतु 2641 कृषकों को 11.17 लाख बड्ड ठूँठों का वितरण किया गया। रबड़ रोपण विकास योजना के अधीन वर्ष के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 461.38 लाख रुपये का वितरण किया गया।

- **न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एन आर ई टी सी) तथा जिला विकास केन्द्र (डी डी सी)**

त्रिपुरा राज्य के न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एन आर ई टी सी) तथा जिला विकास केन्द्र (डी डी सी), असम (दो) और मेघालय (1) राज्यों के जिला विकास केन्द्रों का कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभाग ने अनुरक्षण किया । अगर्तला के रबड़ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा झिगिंतचकग्रे के जिला विकास केन्द्र ने 50 बैचों में 732 कृषकों के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण चलाए। प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया और 2600 कृषक जिसे देखने आए । 6650 कृषकों की सहभागिता से 109 रबड़ उत्पादक संघों/ रबड़ कृषक समितियों को रूपायित किया । 6 संगोष्ठियों, 557 ग्रूप बैठकों/अभियानों का आयोजन किया जिनमें 10407 कृषकों की सहभागिता रही । असम में एक रबड़ रोपण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा रही है ।

- **उत्तरपूर्वी क्षेत्र को छोडकर अन्य अपरंपरागत क्षेत्र**

विभाग ने उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, गोआ, महाराष्ट्र, आंडमान व निकोबार द्वीप समूह आदि जैसे अपरंपरागत क्षेत्रों में विद्यमान बागानों के रखरखाव एवं क्षेत्र विस्तार के कार्यकलाप जारी रखे । रबड़ बागान विकास योजना एवं अन्य विस्तार समर्थन योजनाओं के अलावा इन क्षेत्रों में ब्लॉक रबड़ बागान योजनाएं एवं सामूहिक रबड़ बागान योजनाएं कार्यान्वयन में थीं । 63.55 हे. रोपण हेतु 106

आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 54.55 हे. क्षेत्र के लिए 79 अनुज्ञाएं जारी की । वितरित रोपण अनुदान 9.30 लाख रुपये था । ब्लोक रोपण योजना के अंतर्गत 72 जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए । 35 ग्रूप बैठकें आयोजित कीं जिनमें 944 कृषक भाग लिए ।

2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोगों के बीच ब्लोक रोपण एवं ग्रूप रोपण योजनाओं के द्वारा रबड़ खेती का संवर्धन

यह परियोजना बोर्ड एवं संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित है जो वर्तमान में केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों में प्रचालित है । जनजातीय/अनुसूचित जाति के कृषकों के समग्र विकास को लक्षित करके एक एकीकृत मार्ग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है । संबंधित राज्य सरकार परियोजना का वित्तीय समर्थन देती हैं । विवरण निम्न प्रकार से है ।

राज्य	2002-2003 के रोपण (हेक्टरों में)	वर्ष 2002-2003 तक रोपित कुल क्षेत्र (हेक्टरों में)
त्रिपुरा	110.20	2653.26
उड़ीसा	62.48	250.00
आंध्रप्रदेश	शून्य	82.00
कर्नाटक	49.80	225.00
केरल	91.18	1380.34
कुल	**313.66**	**4590.60**

3) वैज्ञानिक रोपण एवं उत्पादन हेतु कृषकों को सलाहकारी एवं विस्तार सेवाएं तथा प्रसार व उत्पादन और प्रक्रमण सुधारने हेतु बागान में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति ।

क) प्राथमिक प्रक्रमण, अतिरिक्त आय सृजन आदि के लिए सहायता ।

ये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदत्त करने हेतु आवश्यकता के आधार पर विस्तार स्कंध द्वारा रूपायित एवं कार्यान्वित योजनाएं हैं । विभिन्न योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	योजना	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक सं.	वित्तीय (रु. लाखों में)	भौतिक सं.	वित्तीय (रु. लाखों में)
I	**पारंपरिक क्षेत्र**				
1	रबड़ शीट रॉलर संस्थापना हेतु सहायता	878	8.78	878	8.78
2	धूम घर निर्माण हेतु सहायता	1573	47.14	1573	47.14
3	फलीदार फसल बीजों का वितरण				
i	प्यूरेरिया बीज		4.41	4206कि.ग्रा	4.16
ii	म्यूकुणा बीज			550 कि.ग्रा	0.41
4	जैव गैस निर्माण हेतु सहायता	1733	48.91	1733	49.34

II अपारंपरिक क्षेत्र				
1. धूम घर	40	4.00	70	3.89
2. रॉलर	40	2.00	29	1.31
3. * बागान निवेशों के परिवहन हेतु सहायता	-	6.55	-	6.55

* मे. मणिमलयार रबर्स प्रा.लि. (बोर्ड द्वारा प्रायोजित एक व्यापार कंपनी) को बागान निवेश उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को परिवहन करने के लिए सहायता प्रदान की गयी ।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा केवल गैर-पारंपरिक क्षेत्र के लिए कुछ अन्य योजनाओं को रूपायित किया है । उनके वर्ष 2002-2003 के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं :

क्र. सं.	योजना	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक सं.	वित्तीय (रु. लाखों में)	भौतिक सं.	वित्तीय (रु. लाखों में)
1	सीमा संरक्षण (सामान्य वर्ग)		5.00	736	13.34
2	सिंचाई	40	2.00	4	0.63

ख) रोपण सामग्रियों का उत्पादन

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों को प्रात्साहित करने तथा इसके बाज़ार भाव पर नियंत्रण लाने के दुगुने लक्ष्य से बोर्ड गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों का उत्पादन और सीमित हद तक कृषकों को लागत मूल्य पर वितरण भी करता है। छोटे कृषकों को मूल्य में रियायत भी दी जाती है । इस तरह उत्पादित रोपण सामग्री आवश्यक कृषकों को स्रोत झाड सामग्री तैयार करने या बागान तैयार करने के लिए दिए गए । वर्ष 2002-2003 के दौरान उत्पादित रोपण सामग्रियों का विवरण निम्न प्रकार है।

बोर्ड के स्वामित्व के पौधशालाओं की संख्या - 15 (केन्द्रीय पौधशाला एवं जिला विकास केन्द्र की पौधशालाएं मिलाकर)

पौधशालाओं का क्षेत्र - 72.17 हे.

मद	-	उपलब्धि
पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादन		
हरे बड्ड ठूँठ	-	1,66,208 नं.
भूरे बड्ड ठूँठ	-	6,67,524 "
कुल	-	8,33,732 "
अपारंपरिक क्षेत्र में उत्पादन		
भूरे बड्ड ठूँठ	-	5,63,070 "

ग) शास्त्रदर्शन कार्यक्रम

शास्त्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन अपारंपरिक क्षेत्र अगर्तला, गुआहटी, परलेखामुंडी के कुल 250 कृषकों को 20 बैचों में केरल लाया गया तथा उन्हें पारंपरिक क्षेत्र में रबड़ खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया ।

घ) सुवर्ण संघम एवं श्रेष्ठ छोटा कृषक पुरस्कार

बोर्ड ने दो पुरस्कारों याने सुवर्ण संघम पुरस्कार एवं प्रोफ. के.एम.चाण्डी स्मारक श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार स्थापित किए हैं जो द्वैवार्षिक रूप से क्रमशः उत्तम रबड़ उत्पादक संघ और छोटे कृषक को प्रदान किए जाते है । वर्ष के दौरान कालाम्पूर रबड़ उत्पादक संघ को सुवर्ण संघम पुरस्कार और श्री सदानन्दन, निमिल भवन, पिडवूर-पत्तनापुरम को प्रोफ के.एम.चाण्डी स्मारक पुरस्कार 2 जनवरी 2003 को प्रदान किए ।

4) प्राथमिक प्रक्रमण एवं छोटी जोतवालों के उत्पाद की गुणता सुधारने की योजना

तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ फैक्टरियों का आधुनिकीकरण

योजना का लक्ष्य तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ (ब्लॉक रबड़) की गुणवत्ता बढाने हेतु बेहतर कच्चा माल आपूर्ति श्रृंखला संस्थापित करने के लिए फसल एकत्रण एवं सामूहिक प्रक्रमण सुविधाओं की संस्थापना हेतु रबड उत्पादक संघों को समर्थन देना है ।

रबड़ शीट का पैकिंग

टी एस आर फैक्टरियों के आधुनिकीकरण योजना के अधीन रबड़ उत्पादक संघों को प्रदत्त सहायता का विवरण निम्न प्रकार हैः

क्र. सं.	सहायता का स्वभाव	र उ सं की संख्या	सहायता (लाख रुपयों में)
1	भवन का निर्माण	58	74.33
2	अन्य सुविधाएं	59	10.10
3	बहिस्राव उपचार	44	33.00
4	शीटिंग बैटेरी	50	24.75
5	अलुमिनियम बर्तन	59	13.80
6	कोयागुलेशन ट्रफ्स	26	11.70
7	लाटेक्स एकत्रण उपकरण	166	17.91
8	बैरल एवं गैस	100	11.38
	योग		**196.97**

5) सामूहिक कार्यकलाप, छोटे रबड़ जोतवालों में स्वयं सहायक ग्रूप का प्रोत्साहन - र उ सं/आदर्श र उ सं.

रबड़ उत्पादक संघ (र उ सं)

बोर्ड ने रबड़ उत्पादक संघ नाम से ग्राम स्तरीय छोटे कृषकों के स्वैच्छिक संगठनों के रूपायन को प्रोत्साहित करके एक समूह नीति अपनायी है । यह प्रौद्योगिकी के प्रभावी स्थानान्तरण और कुल स्वाभाविक रबड़ उत्पादन के 88 हिस्सेदार छोटी जोत क्षेत्र को सुशक्त करने के लिए है। रबड़ उत्पादक संघ रबड़ बोर्ड के अतिरिक्त हाथ के रूप में कार्य करने तथा भागीदारी नीति द्वारा छोटे कृषकों को प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तार कार्यों के अर्थपूर्ण हस्तांतरण में मदद देने के लिए लक्षित है । मृत र उ सं को पुनःजीवित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस तरह रूपायित र उ संघों का विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	2002-2003	2002-2003 तक संचित
नवगठित र उ सं	21	2148
पुनःजीवित र उ सं	25	810

वर्ष के दौरान रबड़ उत्पाद संघों की 2733 कार्यकारी समिति बैठकें आयोजित की जिनमें 15519 निदेशक मंडल सदस्य भाग लिए । इसके अलावा रबड़ उत्पादक संघों की 855 आम बैठकें आयोजित की जिनमें 20175 कृषक भाग लिए।

आदर्श रबड़ उत्पादक संघ

35 रबड़ उत्पादक संघों, 30 पारंपरिक क्षेत्र में एवं 5 गैर पारंपरिक क्षेत्र में, को आदर्श रबड़ उत्पादक संघ के रूप में चयन किया है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों व सामाजिक प्रसंस्करण केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं की संस्थापना हेतु वित्तीय एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया जा रहा है। ये आदर्श रबड़ उत्पादक संघ कृषकों, श्रमिकों आदि के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं। रोपण प्रबंधन, गुणवत्तायुक्त शीट निर्माण, मधुमक्खी पालन, खाद प्रयोग, पौधा संरक्षण तथा टापिंग आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गये। इन केन्द्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए दृश्य - श्रव्य सुविधाएं प्रदत्त की गयी हैं।

जानकारियों को अद्यतन बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग हेतु मुख्य केन्द्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालयों को प्रदत्त दृश्य - श्रव्य उपकरणों का उपयोग 1080 बैठकों में किया गया जिनमें 32192 कृषक भाग लिए।

शीटों का तौलना

सामूहिक प्रक्रमण के लिए रबड़ उत्पादक संघों को धूम घर निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

शीट रबड़ की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1000 कि.ग्रा. क्षमता के धूम घर निर्माण के लिए रबड़ उत्पादक संघ को वित्तीय सहायताएं भी प्रदान की गयी । सहायताओं का विवरण निम्न प्रकार है:

रबड़ शीट का सामूहिक प्रक्रमण

लाभान्वित रबड़ उत्पादक संघों की संख्या - 20 नं.
दी गई रकम - 20 लाख रु.

वर्ष के दौरान 30 रबड़ उत्पादक संघों को पिछले वर्ष के लंबित भुगतान स्वरूप 6.45 लाख रुपये का वितरण किया।

10 वीं योजना के अधीन सामूहिक प्रक्रमण हेतु वित्तीय सहायता

सामूहिक प्रक्रमण हेतु सामग्रियों की खरीद के लिए 28 रबड़ उत्पादक संघों को 12.15 लाख रुपये वितरित किए । इसके अतिरिक्त 8 अन्य रबड़ उत्पादक संघों को धूम घर के निर्माण हेतु आंशिक भुगतान के रूप में 3.60 लाख रुपये वितरित किए ।

कृषक शिक्षा कार्यक्रम

विस्तार अधिकारियों और करीब एक दशलक्ष तक आनेवाले रबड़ कृषकों के अनुपात के भारी अन्तर को देखते हुए विभाग ने कृषक समाज से संपर्क बनाए रखने के लिए एक सामूहिक नीति अपनायी है । रबड़ खेती एवं प्रक्रमण के आधुनिक तकनीकियों के प्रसार हेतु हर वर्ष अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।

इस अवधि के दौरान 4012 बैठकें/संगोष्ठियाँ आयोजित कीं जिनमें 99759 कृषक भाग लिए। बैठक/संगोष्ठी का मुख्य विषय रबड़ उत्पादन में लागत प्रतियोगिताक्षमता रहा।

आयोजित बैठकों एवं भागीदारों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:

बैठक का स्वभाव	बैठकों की संख्या	भागीदार
पूर्ण दिवसीय	60	5168
अर्ध दिवसीय	731	22600
ग्रूप बैठक	1132	19055
अभियान बैठक	2089	52936
कुल	**4012**	**99759**

6) आय सृजन हेतु रबड़ टापरों एवं कृषकों को प्रशिक्षण

टापरों का प्रशिक्षण

छोटे कृषकों और श्रमिकों को टापिंग में प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न बागवानी केन्द्रों पर बोर्ड द्वारा चलाये जानेवाले 23 नियमित रबड़ टापर्स प्रशिक्षण स्कूल हैं । विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	क्षेत्र	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक (बैचों में)	वित्तीय (लाख रु)	भौतिक (बैचों में)	वित्तीय (लाख रु)
1	पारंपरिक क्षेत्र	122	18.96	108 बैचों में 1569 प्रशिक्षणार्थियाँ	13.48
2	गैर पारंपरिक क्षेत्र	33	5.11	20 बैचों में 303 प्रशिक्षणार्थियाँ	2.16
	कुल	**155**	**24.07**	**128**	**15.64**

वैज्ञानिक टापिंग के विभिन्न प्रायोगिक पहलुओं पर ह्रस्वावधि गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी आयोजन बोर्ड करता है। विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	क्षेत्र	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक (बैचों की सं.)	वित्तीय (लाख रु)	भौतिक (बैचों की सं.)	वित्तीय (लाख रु)
1	पारंपरिक क्षेत्र	425	19.98	*430	19.04
2	गैर पारंपरिक क्षेत्र	73	3.03	69	2.76

*समस्त में 8074 टापरों/कृषकों को (7344 पारंपरिक क्षेत्र में तथा 730 गैर पारंपरिक क्षेत्र में) 499 बैचों में प्रशिक्षित किया ।

3

महिलाओं को सशक्त करने के कार्यक्रम

विश्व बैंक परियोजना के दौरान रबड़ उत्पादक संघों द्वारा शुरू किए महिलाओं को सशक्त करने के कार्यक्रम (आय सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप) विभाग ने अपने मुख्य कार्यालय के विकास अधिकारी (महिला विकास) एवं प्रादेशिक कार्यालयों के नॉडल अधिकारियों के द्वारा समर्थन प्रदत्त किए। महिला स्वयं सहायक ग्रूपों को प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन के क्षेत्रों में सख्त समर्थन प्रदान किया।

तकनीकी अधिकारियों/कृषकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम

रबड़ बोर्ड के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दो विकास अधिकारियों को अमरिका के मिचिगन स्टेट विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया था। बोर्ड के 34 विस्तार अधिकारियों एवं रबड़ उत्पादक संघों के 13 निदेशक मंडल सदस्यों को बैंगलूर के भारतीय बागानी प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण दिए गए । 20 विस्तार अधिकारियों को केरल कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यक्रमों में लिंग के महत्व (जेंडर पेर्स्पेक्टीव इन एग्रिकल्चर प्रोग्राम) पर प्रशिक्षण दिए गए । इसके अलावा पाँच कृषकों, वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी और संयुक्त रबड़ उत्पादन आयुक्त (विस्तार) को थाइलैंड में एक अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ कृषक सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया था ।

♥♥♥

भाग V

रबड़ अनुसंधान

भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान

कोट्टयम में मुख्यालय के साथ भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान (आर आर आई आई) की संस्थापना वर्ष 1955 में हुई। संस्थान का मुख्य अनुसंधान प्रक्षेत्र केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिला के रान्नी में 250 हे. क्षेत्र में स्थित है। इसके 12 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन है जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में फैले हुए हैं । उत्तर पूर्व के पाँच क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन मिलकर उत्तर पूर्वी अनुसंधान परिसर बनता है जिसका मुख्यालय अगर्तला में है। संस्थान में 125 वैज्ञानिक हैं तथा 319 समर्थक कर्मचारी और रबड़ प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, पौधा प्रजनन, जननद्रव्य, जैव प्रौद्योगिकी, शोषण, सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, आर्थिकी एवं सस्य शरीरक्रिया विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य जारी रखे।

फसल सुधार पर वनस्पति विज्ञान प्रभाग के अनुसंधान कार्यक्रमों ने अच्छी प्रगति की । आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422, आर आर आई आई 429 एवं आर आर आई आई 430 नामक

पाँच क्लोनों ने छोटे पैमाने के परीक्षण में 23 से 49 प्रतिशत तक फसल सुधार दिखाकर आर आर आई आई 105 से बेहतर फसल प्रदर्शन जारी रखा । ये क्लोन बडे पैमाने के परीक्षणों में भी समान रुख का प्रदर्शन बनाए रखती हैं । बहु विषयक परीक्षणों में पी बी 314, पी बी 255, पी बी 312, पी बी 280, पी बी 311 एवं पी बी 260 का निष्पादन चार वर्षों के फसल आंकन के बाद भी आर आर आई आई 105 से बेहतर रहे। लाटेक्स एवं काष्ठ योज्य क्लोनों के रूप में इनकी संभाव्यताओं की सूचना देते हुए पी बी 235, पी बी 280 एवं पी बी 260 क्लोनों ने इनकी वर्द्धिष्णुता एवं उच्च फसल का प्रदर्शन किया। प्रबल क्लोनों की संततियों के परीक्षण में पचास क्लोनों ने आर आर आई आई 105 की तुलना में आशाजनक फसल का प्रदर्शन किया। बड्ड किये हरे पौधों की तुलना में बड्ड किये तरुण पौधे बढिया पाये गये। सामान्य पेडों की तुलना में भूरे बास्ट प्रभावित पेडों में पराग निष्फलता अधिक पायी गयी।

विखाम और जंगली मूल दोनों के जननद्रव्यों के परिरक्षण, लक्षण-वर्णन एवं मूल्यांकन जारी रखे। स्रोत झाड पौधशालाओं की पुनःस्थापना हेतु 1250 जंगली जननद्रव्य अनुवृद्धियों का संवर्द्धन पूरा किया। 46 अनुवृद्धियों के एक सौ छत्तीस हेर्बेरियम नमूनों की तैयारी की। संस्थान में एक डेटा बैंक सोफ्टवेयर का विकास किया और आंकडों की प्रविष्टि शुरू की। ओइडियम रोधिता की एक बार क्षेत्र परीक्षण स्रोत झाड पौधशालाओं एवं क्षेत्र में पूरा किया। रबड़ रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ इंडोनेशिया से हिविया की चार जातियाँ याने हिविया ग्वुनेन्सिस, हिविया पॉसिफ्लोरा, हिविया कोलीना एवं हिविया कामरागोना प्राप्त की गयीं। दो जातियाँ याने हिविया स्प्रूसियाना एवं हिविया बेन्तामियाना की पूर्ति रबड़ रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ श्रीलंका को की । हिविया की तीन जातियों पर किये आर ए पी डी अध्ययन से जाति विशेष निशानों की पहचान की गयी जिसका सफल उपयोग अन्तरजातीय संकरों के निरूपण में किया जा सकता है। एक अन्य अध्ययन से विभिन्न कवकीय रोगों के प्रति रोगरोधिता दिखानेवाले सात अनन्य बहुरूपी विखंड का पता लगाया है।

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में कायिक भ्रूणोद्भव द्वारा उत्पादित आर आर आई आई 105 के पौधे बडे पैमाने के क्षेत्रीय मूल्यांकन हेतु लगा दिये हैं। पूर्व में उत्पादित सूपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस से एकीकृत ट्रान्सजेनिक हिविया पौधे की अच्छी वृद्धि पायी गयी। समान जीन से एकीकृत बीस और ट्रान्सजेनिक पौधे कठोर कर दिए गए तथा पॉलिथीन बैगों में लगा दिए हैं। कई रोगों के प्रति सहनशीलता में लगे बी- 1, 3 ग्लूकनेस के जीन कोड की संरचना को अलग कर दिया और अध्ययन किया। हिविया ब्रासीलियन्सिस की जीनोमिक सी डी एन ए और डी एन ए लाइब्रेरियों को विकसित करने की विधियों का मानकीकरण किया गया। एक आंशिक सी डी एन ए व जीनोमिक डी एन ए लाइब्ररियों को विकसित किया।

स्वाभाविक रबड़ की उत्पादन लागत कम करने के लिए दी गयी कम आवृत्ति की टापिंग प्रणाली की अनुशंसा बागान क्षेत्र एवं मध्यम जोतवालों ने सहर्ष स्वीकार की। इन्हें छोटी जोतों में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है । कम आवृत्ति के टापिंग की सफलता को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई तथा भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान के शोषण अध्ययन के प्रधान को इन्टरनाशनल रबड़ रिसर्च एवं डेवलपमेंट बोर्ड (IRRDB) के नवगठित सदस्य राष्ट्रों के शोषण वैज्ञानिकों के ग्रूप के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलाप के संयोजन हेतु संपर्क अधिकारी बना दिया है। कम आवृत्ति के टापिंग के विस्तार के लक्ष्य से कई प्रयोगशाला से कृषि भूमि कार्यक्रमों का आयोजन किया। सलाहकारी कार्य हेतु छोटी जोतों एवं बागानों में लाटेक्स निरूपण अध्ययन जारी रखे । आर आर आई आई 400 श्रेणी के क्लोनों पर भी अनुसंधान बढवा दिया है।

एकीकृत खरपतावार प्रबंधन, मृदा एवं जल संरक्षण, अन्तरासस्यन और वार्षिक व बहुवर्षीय फसलों और काष्ठ जाति को एकीकृत करनेवाली फसलन प्रणाली तथा खाद प्रबंधन पर सस्यविज्ञान प्रभाग की खोज संतोषजनक रूप से प्रगति की । खाद परीक्षण के परिणामों से यह सूचना मिली है कि नियंत्रित खाद निर्मुक्ति द्वारा नेत्रजन प्रयोग की खुराक एवं आवृत्ति कम कर देने की संभावनाएं है। खरपतवार प्रबंधन के परीक्षणों ने खुलासा किया है कि पौधों के थालों पर ग्लाइफोसेट शाकनाशी का एवं बाकी क्षेत्र में चीर निराई का एकीकृत अभिगम लागत प्रभावी एवं परिस्थिति

के अनुकूल हो सकता है । लाटेक्स सेन्ट्रीफ्यूज़ फैक्टरियों की अपशिष्ट सामग्री, कटोरा पंक (बाउल स्लड्ज) के प्रभाव पर किये गये अध्ययन से पता चला है कि रबड़ की वृद्धि एवं फसल के संवर्धन में यह रॉक फोस्फेट के समान अच्छा ही है । एक सर्वेक्षण के परिणाम ने दिखाया कि निम्न भूमि व उच्च धान खेतों में रबड़ की वृद्धि और फसल अधिक है । बागानवालों को सलाहकारी सेवा के रूप में 29 बडे बागानों के 837 अलग अलग खेतों में विवेकी खाद प्रयोग की अनुशंसाएं दी गयी । सस्यविज्ञान प्रभाग के डी आर आई एस इकाई ने विवेकी खाद प्रयोग के लिए 9924 मृदा नमूनों एवं 1142 पत्ता नमूनों का विश्लेषण किया तथा जोतों को 5200 अनुशंसाएं दे दीं।

पादप रोगविज्ञान प्रभाग ने रोग बाधा पर सर्वेक्षण किया तथा नियंत्रण उपायों की खोज की। आर. आर.आई.आई -105 पर फाइटोफ्तोरा पत्ती सडन रोग पर 1,30,000 हेक्टर क्षेत्र में एक सर्वेक्षण चलाया। 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में मध्यम से कठोर पत्ती सडन रही। फाइटोफ्तोरा एवं ओइडियम पत्रक रोग के प्रति सहनशीलता हेतु जंगली जीनरूप के 600 से अधिक अनुवृद्धियों को परखा गया। इससे फाइटाफ्तोरा के प्रति सहनशील 10 एवं आइडियम के प्रति सहनशील 20 अनुवृद्धियों का पता लगाया जा सका है। रोग नियंत्रण परीक्षणों में 20% हेक्सागोनाजोल का धूल डालना ओइडियम एवं कोरिनिस्पोरा रोगों से एकसाथ संरक्षण का परिणाम प्राप्त हुआ । कोरिनिस्पोरा पर्ण रोग की मौसमिक बाधा पर अध्ययन ने खुलासा किया कि रोग का सर्वाधिक प्रकोप मार्च महीने के मध्यम से अप्रैल तक है । वेधक इल्लियों के नियंत्रण के लिए प्रकोपित वृक्ष के तने पर 0.5% कार्बरिल एवं 0.25% क्विनलफोस के मिश्रण से फाहा करना प्रभावी है।

पर्ण चक्र को जब 60% पी ई जी में ऊष्मायन किया तथा खुले सूर्यप्रकाश में रखा गया तो पर्णहरित निम्नीकरण देखा गया । तरुण पर्णों में निम्नीकरण तेज़ रहा तथा 60% से अधिक पर्णहरित घटा हुआ पाया गया । सूखा एवं अधिक प्रकाश के प्रति सहनशीलता की खोज हेतु यह तरीका अच्छा मालूम पडता है । प्रकंद एवं सांकुरक के आर ए पी डी विश्लेषण से पता चला है कि हिविया के सामान्य स्वस्थ पेडों की तुलना में टापिंग पानल सुखापन (TPD) रोग बाधिक पेडों में प्रकंद एवं सांकुरक की जननिक दूरी अधिक है । टापिंग पानल सुखापन रोगबाधिक पेडों में एथाइलिन विकास अधिक पाया गया।

रबड़ रसायन, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी (आर सी पी टी) प्रभाग द्वारा विभिन्न रबड़ खेतीवाले क्षेत्र के रबड़ शीटों की गुणवत्ता का अध्ययन जारी रखा । रबड़ शीट साफ करने के अर्ध स्वचालित मशीन के निष्पादन में सुधार एवं

ऊर्ध्वमुखी टापिंग पर प्रशिक्षण

लागत कम करने के लिए उसका परिष्करण कर दिया । फील्ड कोयागुलम की गुणवत्ता बढाने हेतु एक परिरक्षक की पहचान की गयी । किण्वक द्वारा प्रोटीन रहित बनाए स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स की तैयारी की तथा प्रक्रम की व्यवहार्यता का मूल्यांकन एक दस्ताना उत्पादक इकाई में किया गया। एक अग्रणी उद्योग ग्रूप को अनुसंधान एवं विकास परीक्षण के लिए छः सौ किलोग्राम इ एन आर-50 लाटेक्स की आपूर्ति की गयी । स्वाभाविक रबड़ के शुष्क रबड़ संघटक जल्द मापने की एक अनुमापन प्रणाली का मानकीकरण किया । नियंत्रित वी एफ ए वाले अपकेंद्रित स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स के अधिकतम प्राप्त एम एस टी मूल्य, विस्कास्तिता एवं के ओ एच संख्या की पूर्वसूचना उसके उत्पादन के चार दिनों के अन्दर उचित कृत्यता से देने हेतु एक त्वरित परीक्षण का विकास किया है।

आर्थिकी प्रभाग द्वारा भारतीय स्वाभाविक रबड़ क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन करार की उलझनों पर अध्ययन किया तथा परिणामस्वरूप "द जेनेसिस ऑफ डब्ल्यू टी ओ एण्ड आफ्टरमाथ तथा डब्ल्यू टी ओ एण्ड द नाचुरल रबड़ सेक्टर इन इंडिया" नामक दो रिपोर्टें प्रस्तुत की गयी। एक अन्य अध्ययन में छोटी जोत क्षेत्र के टापरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया । अध्ययन ने मज़दूरी का स्वरूप टापर की उत्पादकता के आधार पर उसके अनुकूल बनाने की आवश्यकता की ओर इशारा किया है । टापिंग क्षमता सुधारने तथा अत्यंत कुशल एवं अनुभवी टापरों को उसमें रोके रखने के लिए एक प्रोत्साहन योजना आवश्यक बताया है । एक लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में रबड़ उत्पादक संघों से संबद्ध एक श्रमिक प्रारक्षण की विरचना अतिआवश्यक बतायी है ।

विभिन्न प्रांतों में स्थित प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशनों ने हिविया की खेती एवं रोपण पर स्थानीय विशेष के अध्ययन चलाये । प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, अगर्तला में रबड़ के साथ चाय के अन्तरा-सस्यन पर परीक्षण की अच्छी प्रगति हुई । चाय पत्ती की अधिकतम फसल अक्तूबर के महीने में रही। उच्च घनता के रोपण हवा से नुक्सान को कम करते हुए देखा । तीन मंजिलीय हवा पट्टी भी हवा के नुक्सान को कम करने में सहायक देखी गयी । अगर्तला के परीक्षणों से देखा गया कि पी बी 235 क्लोन सबसे अधिक फसलदायक है तथा जिसके पीछे है आर आर आई आई 203 एवं आर आर आई एम 600 । मृदा एवं पर्ण विश्लेषण के आधार पर स्टेशन से संबद्ध चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ने 188 कृषकों को विवेकी खाद प्रयोग पर अनुशंसाएं दी।

मेघालय में तुरा के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में आर आर आई एम 600 सबसे अधिक फसलदायक क्लोन है जिसके पीछे है आर आर आई आई 105 एवं पी बी 235. स्टेशन में चलाए एक टापिंग अध्ययन से पता चलता है कि ठंड की मौसम के दौरान गड़ो हिल्स में टापिंग समय परिवर्तित करके पूर्वाः 8-9 बजे करना चाहिए ताकि टापरों को ठंड से बचाया जा सकें तथा जो उत्पादकता स्तरों पर कोई प्रभाव नहीं डालता भी। दक्षिणी ढालों के पौधों की कम वृद्धि देखी गयी जबकि बेहतर फसल । रोग सर्वेक्षण से गाड़ो हिल्स के रबड़ बागानों में कोई गंभीर बीमारी का पता नहीं चला ।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, गुआहटी के परिणामों ने वृद्धि और फसल की दृष्टि से आर आर आई एम 600 क्लोन की श्रेष्ठता का खुलासा किया है । तीन महीने के विश्राम के साथ 4 दिनों (d/4) के अन्तराल के टापिंग के अधीन फसल एवं शुष्क रबड़ संघटक सर्वाधिक रहे। पश्चिम बंगाल के परीक्षण स्टेशन के परीक्षणों में वृद्धि एवं फसल की दृष्टि से एस सी ए टी सी 93/114 क्लोन श्रेष्ठ पाये गये । बारह जंगली जीनरूप चूर्णिल आसिता रोग के प्रति रोगरोधी निर्धारित किये गये । उत्तर बंगाल के गिटी एवं रोंगो में रोग का प्रचुर प्रकोप पाया गया ।

महाराष्ट्र में दपचारी के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में मई एवं जून के महीनों में टापिंग विश्राम के साथ वर्ष में चार बार उद्दीपन देकर तीन दिवस के अन्तराल के टापिंग से सर्वाधिक संचित फसल प्राप्त हुई । सिंचित अवस्था में भी वर्ष में चार उद्दीपन अधिकतम फसल प्राप्ति के लिए अनुकूलतम है। सूखा ग्रस्त इलाके के इस स्टेशन पर चलाए अनुसंधान में वृद्धि एवं फसल में आर आर आई आई 208 एवं आर आर आई आई 6 क्लोन बेहतर देखे गये । इलाके के बहुसंकर संततियों के मूल्यांकन से पता चला है

कि इलाका सात महीने से ऊपर बिना वर्षा के रहने के बावजूद प्राप्त फसल करीब 800 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर रही।

उड़ीसा में धेंकनाल के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में लोकप्रिय क्लोनों में सबसे अधिक वृद्धि दर जी टी-1 की रही जिसके पीछे है आर आर आई एम 600 एवं आर आर आई आई 105 लेकिन सबसे अधिक फसल आर आर आई एम 600 की रही।

कर्नाटक के हिविया प्रजनन केन्द्र में पी बी 235, पी बी 260 एवं आर आर आई आई 105 के निष्पादन अच्छे रहे । नये क्लोनों में आर आर आई आई 429 का निष्पादन अच्छा रहा।

परलियार के हिविया प्रजनन केन्द्र में पोली बैग पौधों के प्रतिस्थापन के रूप में मूल अनुवर्धन उगाए गए थे । इसकी उत्पादन लागत कम है और जिसका परिवहन आसान भी । खेत में उत्तरजीवन भी बेहतर रहा।

वर्ष 2002 की वार्षिक पुनरीक्षा बैठक सितंबर 2 से 14 सितंबर तक आयोजित की गयी। भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान एवं प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्रों के सभी वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कार्य की प्रगति की प्रस्तुति की। विशेषज्ञ समिति सदस्यों ने कार्य की प्रगति की आलोचनात्मक पुनरीक्षा की । विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुसंधान परियोजना के कार्यक्रमों को अधिक सुचारु रूप दिया।

पिछले एक वर्ष के अनुसंधान के मुख्य अंशों का संकलन किया गया तथा अनुसंधान एवं विकास समिति की 5 अक्तूबर 2002 को संपन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया। समिति ने अनुसंधान कार्यक्रमों की पुनरीक्षा की तथा उपयोगी सुझाव दिए । श्री एल वी सप्तऋषि भा प्र से, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 6 जुलाई 2002 को रबड़ बोर्ड के इन्टेर्नेट पोर्टल "www.rubberboard.org.in" का उद्घाटन किया। पोर्टल में रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों की विस्तृत सूचना प्राप्त होती हैं तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में रबड़ का दैनिक भाव, मौसम आंकडे, समाचार घटनाएं, प्रशिक्षण कलैंडर आदि की नियमित अद्यतन सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

वर्ष के दौरान आठ वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ आयोजित कीं जिनमें 26 अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किये थे तथा जिनपर चर्चा की थी ।

विशेष विषयों में दो वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया गया। *प्लांट जेनेटिक रिसोर्सस* (पौधा जननिक संसाधन) पर जर्मनी के गेटेरस्लेबन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक वैज्ञानिक भाग लिये तथा "जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ हिविया इन इंडिया" (भारत में हिविया के जननिक संसाधन प्रबंधन) पर आलेख प्रस्तुत किया । जिनोम विश्लेषण प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक ने इटली के उडीन विश्वविद्यालय में 3 महीने के *प्लान्ट डी एन ए*

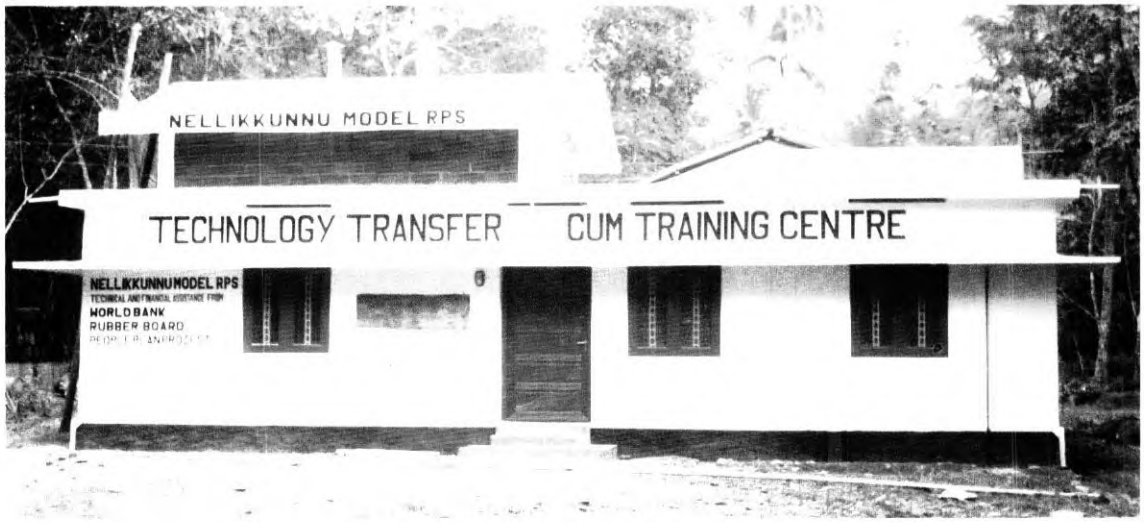

नेल्लिक्कुन्नु आदर्श रबड़ उत्पादक संघ के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण- सह-प्रशिक्षण केन्द्र

मार्केर्स में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया । पारिस्थितिक शरीरक्रिया वैज्ञानिक ने अमरीका के जोर्जिया विश्व विद्यालय में सस्य प्रकाश संश्लेषण पर दो महीने के उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया । उप निदेशक प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन गुआहटी इटली के नाशनल रिसर्च काउंसिल में छः सप्ताह के लो टेम्परेचर स्ट्रेस स्टडीज़ पर विशेष प्रशिक्षण में गये थे । उप निदेशक केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन तथा पौधा रोग वैज्ञानिक, प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, गुआहटी ने मलेशियन रबड़ बोर्ड व इंडोनेशिया रबड़ रिसर्च इंस्टिट्यूट में दो हफ्तों का अध्ययन दौरा किया था । जननद्रव्य वनस्पतिज्ञ एवं आर्थिक अनुसंधान प्रभाग के वैज्ञानिक ने 35 दिनों की अवधि के लिए मलेशिया के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता के केन्द्रों में रबड़ काष्ठ प्रसंस्करण, उपयोग व काष्ठ लाटेक्स क्लोनों पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किए। उप निदेशक आर सी पी टी ने आई आर आर डी बी फेलोशिप के साथ 45 दिनों की अवधि के स्वाभाविक रबड़ संसाधन एवं प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इन्टरनाशनल रबड़ रिसर्च एण्ड डवलपमेंट बोर्ड, मलेशियन रबड़ बोर्ड एवं इंडोनेशियन रबड़ रिसर्च इंस्टिट्यूट द्वारा अगस्त-सितंबर 2002 में आयोजित पौधा प्रजनन, सस्य विज्ञान एवं सामाजिक-आर्थिकी में संयुक्त कार्यशाला में संयुक्त निदेशक (शोषण), उप निदेशक (आर्थिकी) एवं उप निदेशक (जननद्रव्य) भाग लिए। शोषण प्रौद्योगिकी पर की प्रस्तुति ने आई आर आर डी बी शोषण प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ ग्रूप की गठन की ओर ले चला ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के दो अतिथि वैज्ञानिक भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान का दौरा किये तथा पौधा रोगविज्ञान के पहलुओं पर वक्तव्य दिया । नवंबर 2002 के दौरान पोलैंड के तीन वैज्ञानिक भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान के दौरा पर आए ।

भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान के 21 वैज्ञानिक एवं कनिष्ठ प्रकाशन अधिकारी मैसूर में संपन्न 15 वीं प्लाक्रोसिम (PLACROSYM XV) में भाग लिए । भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान से 20 अनुसंधान लेख प्रस्तुत किये गये । उत्तम अनुसंधान कार्य की मौखिक प्रस्तुति के लिए डॉ सी एस वेंकिटराम मेमोरियल अवार्ड भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान के लेख "मोलिकुलार क्यारक्टरैसेशन ऑफ फंगल पतजन्स कोसिंग लीफ डिज़ीसस इन रबड़ हिविया ब्रजीलियनसस" को प्राप्त हुआ । भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान की पोस्टर प्रस्तुति "टुवेर्डस डेवलपमेंट ऑफ ए रबड़ इनफॉर्मेशन सिस्टम" को उत्तम पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया ।

प्लान्टर्स कॉंफ्रेन्स

भारत में रबड़ की वाणिज्यक खेती की शताब्दी मनाने के लिए "भारतीय रबड बागान उद्योग की विश्व प्रतियोगिता क्षमता" विषय पर कोट्टयम के भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान में 21 एवं 22 नवंबर 2002 को "रबड़ प्लान्टेर्स कांफ्रेन्स 2002" नामक एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और कृषकों के बीच अर्थवान विचार विमर्श हेतु एक मंच इसके द्वारा प्रदान किया गया।

दो दिन के इस सम्मेलन में 10 सत्र थे। उद्घाटन सत्र में "स्वाभाविक रबड़ - कल, आज और आगामी कल" नामक मुख्य अभिभाषण भूतपूर्व रबड़ उत्पादन आयुक्त श्री पी मुकुन्दमेनोन ने किया। उन्होंने भारतीय रबड़ बागान उद्योग की उपलब्धियों और इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए उसमें निहित शक्ति पर प्रकाश डाला। डॉ ए एफ एस बुडिमान ,महा सचिव, इंटर्नाशनल रबड़ स्टडी ग्रूप, लंदन और डॉ अब्दुल अज़ीज़ बिन एस ए कादिर, महा सचिव इंटर्नाशनल रिसर्च एवं डवलपमेंट बोर्ड, मलेशिया ने उद्घाटन सत्र में आलेखों की प्रस्तुति की।

आई आर एस जी द्वारा हाल में चलाए गए अध्ययन के आधार पर डॉ बुडिमान ने इशारा किया कि वर्ष 2005 तक विश्व भर स्वाभाविक रबड़ की पूर्ति से अधिक मांग होने की संभावना है अंततः जिसका प्रभाव स्वाभाविक रबड़ के भाव पर भी पडेगा। उन्होंने सूचित किया कि जो वर्ष 2003 में भी हो सकता है। उन्होंने आगे जोडा, कि स्वाभाविक रबड़ के सामने कोई चुनौती नहीं है बेशर्ते कि भौगोलिक आर्थिक स्थिति पर (परिप्रेक्ष्य में) किसी अप्रत्याशित घटनाएं न हो। डॉ अब्दुल अज़ीज़ विन एस ए कादिर द्वारा प्रस्तुत आलेख विभिन्न रबड़ उत्पादक देशों की अनुसंधान प्रमुखताओं विशेषकर अंतरा सस्यन, फसल अवशोषण एवं रबड़ बागानों से अतिरिक्त आय के सृजन पर आंकडों से भरपूर रहा।

प्रथम दिवस पर उद्घाटन सत्र के बाद चार तकनीकी सत्र रहे जो कृषि प्रबंधन, रोपण सामग्रियों, फसल अवशोषण एवं संसाधन विषयों पर थे। दूसरे दिन पर्यावरण समस्याएं, फसल संरक्षण, रबड़ आर्थिकी एवं कृषि विस्तार विषयों पर चार सत्र थे। संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अध्यक्षता किये गये विभिन्न सत्रों में कई वैज्ञानिक एवं तकनीकी आलेख प्रस्तुत किये गए।

एक समापन सभा के साथ दो दिवसीय सम्मेलन 22 नवंबर को शाम समाप्त हुआ। श्री एस एम डसलफिन, अध्यक्ष रबड़ बोर्ड ने सभा की अध्यक्षता की। डॉ एन एम मात्यु, निदेशक अनुसंधान ने कार्यवाही का सारांश प्रस्तुत किया।

शताब्दी समारोह का समापन 2 जनवरी 2003 को कोट्टयम के माम्मन माप्पिलै हाल में आयोजित एक आम बैठक के साथ हुआ। श्री ओ राजगोपाल केन्द्रीय संसदीय मामला राज्य मंत्री, श्री के. एम. माणी, राजस्व एवं नियम मंत्री, केरल राज्य, श्री दीपक चटर्जी, वाणिज्य एवं उद्योग सचिव , भारत सरकार, श्री उम्मन चाण्डी, विधायक, श्रीमती मर्सी रवी, विधायक, श्री एट्टुमानूर वी राधाकृष्णन उपाध्यक्ष, रबड़ बोर्ड जैसे विशिष्ट व्यक्तित्वों एवं अन्य कई महान व्यक्तियों ने भागीदारी की। श्रेष्ठ छोटे रबड़ कृषक एवं उत्तम रबड़ उत्पादक संघ को दिए जानेवाले द्वैवार्षिक पुरस्कारों का वितरण भी इस अवसर पर किया गया। के.एम. चाण्डी स्मारक श्रेष्ठ रबड़ कृषक पुरस्कार पत्तनापुरम

माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा श्रेष्ठ रबड़ उत्पादक संघ पुरस्कार दिया जा रहा है।

23 नवंबर 2002 को उपासी ने मुंडक्कयम में एक क्षेत्र संदर्शन दिवस का आतिथ्य किया। रोपण, अन्तराफसलन, बहुफसलन, प्रक्षेत्र मशीनीकरण, शोषण आदि पर अद्यतन विकासों के क्षेत्रीय निदर्शन का प्रबंध किया गया। क्षेत्र संदर्शन के दौरान प्रतिनिधियों ने रबड़ खेती, शोषण एवं संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया।

के श्री के सदानन्दन को केरल राज्य के राजस्व व नियम मंत्री श्री के एम माणी ने प्रदान किया। उत्तम रबड़ उत्पादक संघ को दिए जानेवाले "सुवर्णसंघम" पुरस्कार कालाम्पुर र उ सं (मूवाट्टुपुषा क्षेत्र) के अध्यक्ष श्री पी योहन्नान को केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री ओ. राजगोपाल ने प्रदान किया। रबड़ बोर्ड द्वारा शताब्दी समारोह के सिलसिले में तैयार की गयी स्मारिका का प्रकाशन श्री दीपक चटर्जी, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने किया।

♥♥♥

भाग VI

वित्त एवं लेखा विभाग

लेखा प्रणाली का रूपायन एवं प्रचालन, बजट तैयार करना, वित्तीय प्राक्कलन एवं रिपोर्ट, बजट नियंत्रण का पालन, प्रभावी निधि प्रबंधन, प्रणालियों व प्रक्रियाओं की स्थापना एवं रख रखाव, आन्तरिक लेखा परीक्षा की निगरानी एवं संवैधानिक लेखा परीक्षा, वित्तीय उपयुक्तता एवं कारोबार की नियमितता, कंप्यूटर प्रयोगों का निरीक्षण, लागत नियंत्रण की निगरानी, परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन, कर संबंधी कार्य आदि वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख कार्य हैं। वर्ष के दौरान विभाग ने निम्न लिखित कार्य किये।

1. वार्षिक बजट, निष्पादन बजट, विदेशी यात्रा बजट आदि की तैयारी ।
2. बोर्ड के मंजूर बजट के अनुसार धन का आहरण एवं संवितरण । 'शून्य' आधारित बजटिंग के अधीन बजट की पुनरीक्षा एवं परिशोधन और बजट नियंत्रण का पालन ।
3. बोर्ड के लेखों का रख-रखाव, वार्षिक लेखा व तुलन पत्र की तैयारी, महालेखाकर, केरल द्वारा लेखा परीक्षा के लिये लेखों का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा किये गये लेखे रबड़ बोर्ड/मंत्रालय/संसद को प्रस्तुत करना ।
4. समय समय पर भारत सरकार को अनुदान की मांग प्रस्तुत करना, भारत सरकार से निधि स्वीकार करना तथा इसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करके वित्तीय प्रबंधन ।
5. वित्तीय औचित्य एवं विनिमयन की नियमितता पर सलाह देना और भुगतान नियमित करना।
6. प्राकृतिक रबड़ के मूल्य निर्धारण करने में और उत्पादन लागत निश्चित रूप से जानने में वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा को सहायता देना।
7. परियोजना रिपोर्ट एवं योजनाओं के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी ।
8. केन्द्रीय आय कर, कृषि आय कर एवं बिक्री कर मामलों से संबंधित बोर्ड का कार्य निष्पादन।
9. रबड़ बोर्ड एवं रबड़ उत्पादक संघों द्वारा संयुक्त रूप से अभिवर्द्धित कंपनियों के कार्यकलापों का समन्वय करना।
10. वित्तीय लेखे, वेतन रोल आदि के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत डाटा प्रोससिंग।
11. समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य हकदारों का आहरण एवं संवितरण।
12. पेंशन निधि एवं सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन तथा उससे संवितरण का नियमन।
13. कंप्यूटरीकरण एवं बोर्ड के सभी विभागों से नेट संपर्क स्थापित करने की योजना का कार्यान्वयन।

वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखे

वर्ष 2001-2002 के लिये वार्षिक लेखे तैयार किये और निश्चित समय में ही महालेखाकार, केरल को प्रस्तुत किये । महालेखाकार, केरल से प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित लेखा बोर्ड ने इसकी 146 वीं बैठक में स्वीकार किये तथा निश्चित समय में ही केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये थे।

2002-03 का संशोधित प्राक्कलन और 2003-04 का बजट प्राक्कलन

2002-03 के लिये संशोधित बजट और 2003-04 के लिये बजट प्राक्कलन समय पर तैयार किये तथा सरकार को प्रस्तुत किये । 2002-03 के लिये 98.31 करोड रु. के प्लान एवं 15.00 करोड रु. नोन-प्लान दोनों को मिलाकर अनुमोदित बजट 113.31 करोड रु. था । इसके बदले इस वर्ष का वास्तविक खर्च 96.75 करोड रु. था (84.08 करोड रु. प्लान एवं 12.67 करोड रु. गैर प्लान) । वर्ष 2003-04 के लिये अनुमोदित बजट 107.41 करोड रु. है । जिसमें 93.28 करोड रुपये योजना (83.54 करोड रुपये बजट समर्थन एवं 9.74 करोड का प्रारंभिक शेष) एवं 14.13 करोड रुपये गैर योजना (बजट समर्थन 10.50 करोड तथा 3.63 करोड आंतरिक संसाधन) के सम्मिलित है ।

निधियों का प्रबंधन

(i) सामान्य निधि

वर्ष 2001-2002 के लिये वार्षिक लेखे तैयार किये और निश्चित समय में ही महालेखाकार, केरल को प्रस्तुत किये । महालेखाकार, केरल से प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित लेखा बोर्ड ने इसकी 146 वीं बैठक में स्वीकार किये तथा निश्चित समय में ही केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये थे।

(ii) सामान्य भविष्य निधि/पेंशन निधि

2003 मार्च 31 को सामान्य भविष्य निधि में 18.11 करोड रु. और पेंशन निधि में 11.08 करोड रु. बाकी थे। अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए निधियों के संचय का निवेश किया था। बोर्ड 2228 अभिदाताओं के सा.भ.नि.खातों का अनुरक्षण करता है । वर्ष के दौरान सेवा निवृत्तों की सूची में 562 व्यक्ति थे ।

(iii) लागत लेखे

वित्त व लेखा प्रभाग की लागत लेखा इकाई ने लागत लेखा आंकडों के एकत्रण करने एवं विश्लेषण करने के कार्य जारी रखे । सरकार एवं अन्य सांविधिक निकायों एवं अभिकरणों द्वारा मांगी गई सूचनाएं समय समय पर प्रस्तुत कीं ।

वित्त व लेखा विभाग ने बिक्री कर एवं कृषि आय कर मामलों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया तथा उचित सलाहें दी गईं ।

(iv) आन्तरिक लेखा परीक्षा

निदेशक (वित्त) के क्रियात्मक नियंत्रण में आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के मुख्य है । यह प्रभाग विभिन्न विभागों/प्रभागों/अनुभागों/कार्यालयों/स्थापनाओं के कार्यों व कार्य स्थितियों की जानकारी अध्यक्ष को प्रदत्त करने व नियंत्रित करने एवं उचित उपाय अपनाकर इनको ठीक करने का प्रमुख उपकरण है । प्रभाग विभिन्न विभागों को बोर्ड के कार्यकलापों का सही विश्लेषण, आंकन, सिफारिश एवं संगत टिप्पणियों से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है । केरल के महा लेखाकार कार्यालय के लेखा परीक्षा विभाग एवं बोर्ड के बीच संपर्क कार्य भी प्रभाग करता है ।

बोर्ड के विविध कार्यालयों/संस्थापनाओं का निरीक्षण/लेखा परीक्षा, पेंशन/सेवानिवृत्ति/ आमेलन मामलों का सत्यापन एवं विचारार्थ भेजे गए मामलों पर अध्यक्ष के निदेशानुसार विशेष लेखा परीक्षा चलाना आदि आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के मुख्य कार्य हैं । रिपोर्ट अवधि के दौरान देश भर फैले 46 कार्यालयों/संस्थापनाओं में आन्तरिक लेखा परीक्षा के निरीक्षण चलाये गये ।

वर्ष 2001-02 के बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, केरल द्वारा की गई तथा उनसे 26 खंडवाले

लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई । रिपोर्ट में सम्मिलित सभी खंडों के उत्तर तैयार करके भेज दिए गए। 31.3.2002 के अनुसार वर्ष 2001-02 के खंडों सहित लंबित लेखा परीक्षा खंडों की संख्या 91 है । वाणिज्य मंत्रालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध की निरीक्षण रिपोर्ट पर भी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है । आज तक के अनुसार रिपोर्ट के पाँच खंड लंबित है ।

भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप अनुवर्ती कार्रवाईयों के द्वारा गाडियों के उपयोग एवं अनुरक्षण तथा ईंधन के उपभोग में मितव्ययता सुनिश्चित की जा सकी ।

संबंधित कार्यालयों/इकाइयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके स्टॉक के वार्षिक वास्तविक सत्यापन अद्यतन कर दिया गया तथा मरम्मत के अयोग्य सामग्रियों को बेचना सुनिश्चित कर दिया।

(v) इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग

विभाग के अन्तर्गत के इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग प्रभाग कंप्यूटरीकृत कार्यक्रमों व इसके प्रयोग की देखरेख करते हैं । प्रभाग ने वेतन पंजी, वित्तीय लेखे, सामान्य भविष्य निधि लेखे, पेंशनभोगी लेखों की तैयारी, बजट तैयार करने से संबंधित कार्य, नाम सूची आदि तैयार करने के कार्य किया । बोर्ड के हार्डवेयर/सोफ्टवेयर आवश्यकताओं के प्रापण एवं अनुरक्षण के कार्य प्रभाग करता है ।

♥♥♥

भाग VII

अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार भारत में उत्पादित सारे रबड़ का उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं संग्रह करने का दायित्व रबड़ बोर्ड को सौंपा गया है । एकत्रण लागत घटाकर भारत की समेकित निधि में इस तरह एकत्रित उपकर का जमा किया जाता है । रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन रबड़ के सभी लेनदेन बोर्ड से जारी अनुज्ञापत्र के अधीन नियंत्रित किये जाते हैं । हरेक अनुज्ञप्तधारी को उनके द्वारा खरीदे और उपयोग किये रबड़ का परिमाण सामयिक विवरणियों के द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत करना है । प्रपत्र-एन में घोषणा से रबड़ का अन्तर्राज्य परिवहन नियंत्रित किया जाता है। विनिर्माताओं/व्यापारियों/प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित लेखाओं व रखे गए स्टॉक की सच्चाई की जांच हेतु सामयिक निरीक्षण भी किया जाता है । इन कार्यों का निष्पादन/मॉनीटरिंग रबड़ बोर्ड के अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके निम्न लिखित प्रभाग व कार्यालय हैं।

I उत्पाद शुल्क प्रभाग

रबड़ के अर्जन हेतु विनिर्माताओं को अनुज्ञप्ति जारी करना, रबड़ के उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण, एकत्रण तथा भारत की समेकित निधि में जमा करना आदि उत्पाद शुल्क प्रभाग के मुख्य कार्य हैं।

(1) अनुज्ञापत्र जारी करना

अनुज्ञापत्र जारी करने के कार्य में प्रत्याशित विनिर्माता यूनिटों को नये अनुज्ञापत्र और वर्तमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र का अगले वर्ष हेतु नवीकरण आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान जारी किए अनुज्ञापत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :

जारी किये नये अनुज्ञापत्र	244 सं.
अनुज्ञापत्र का नवीकरण	4696 सं.
कुल	**4940 सं.**

वर्ष के दौरान अनुज्ञापत्रधारियों के अनुरोध के अनुसार 9 यूनिटों के अनुज्ञापत्र रद्द किये थे । 31.3.2003 के अंत में कुल अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की संख्या 4931 थी । 2003 मार्च 31 तक के अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं का राज्यवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एककों की संख्या
01	केरल	854
02	महाराष्ट्र	578
03	पंजाब	511
04	तमिलनाडु	486
05	उत्तर प्रदेश	439
06	पश्चिम बंगाल	435
07	गुजरात	381
08	हरियाना	324

09	दिल्ली	220
10	कर्नाटक	203
11	आन्ध्र प्रदेश	160
12	राजस्थान	111
13	मध्य प्रदेश	82
14	बिहार	27
15	पोंडिच्चेरी	33
16	गोवा, दाद्रा, नागरहवेली और दमन	33
17	उड़ीसा	13
18	चंडीगढ	11
19	जम्मु एवं कश्मीर	9
20	हिमाचल प्रदेश	8
21	असम	8
22	त्रिपुरा	5
	कुल	**4931**

प्रभाग ने उद्योग के विभिन्न पणधारियों के उपयोग हेतु अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की सूची तैयार की तथा वितरित की । प्रभाग ने वर्ष 2003 - 04 के लिए 2989 विद्यमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्रों का नवीकरण भी किया।

(ii) विनिर्माताओं की ओर से एजेंटों/व्यापारियों द्वारा रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र का पंजीकरण

वर्ष 2002-03 के दौरान रबड़ खरीदने एवं भेजने के लिए अपने अभिकर्ता व्यापारियों के नाम पर विनिर्माताओं द्वारा दिये 999 प्राधिकृत पत्रों को प्रभाग ने पंजीकृत किया था ।

(iii) शाखा/खरीद डिपो का पंजीकरण

विनिर्माताओं से प्राप्त आवेदनों के आधार पर रिपोर्ट वर्ष के दौरान 6 नयी शाखाओं/खरीद डिपो का पंजीकरण किया था ।

(iv) रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र

अग्रिम उपकर संग्रह करने के बाद प्रायोगिक परीक्षणों के लक्ष्य से रबड़ प्राप्त करने के लिए नियमित अनुज्ञापत्र के स्थान विशेष प्राधिकृत पत्र 10 संगठनों/संस्थाओं को जारी किये थे ।

(v) उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं एकत्रण

वर्ष 2001-2002 के दौरान के 8182 लाख रुपये के निर्धारण के स्थान पर वर्ष 2002-03 का रबड़ पर कुल उपकर का निर्धारण 8206 लाख रुपये रहा । वर्ष के दौरान विनिर्माताओं से एकत्रित कुल अर्धवार्षिक विवरणियाँ (प्रपत्र 'एम') 10,294 रहीं । देश के विभिन्न भागों में कार्यरत संपर्क अधिकारियों तथा निरीक्षण कर्मियों ने 2181 निरीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत की थी, जिनपर उचित कार्रवाई की थी ।

रिपोर्ट अवधि के दौरान एकत्रित रबड़ पर उत्पाद शुल्क (उपकर) 8204लाख रुपये रहा जबकि वर्ष 2001-2002 में यह 8114 लाख रुपये रहा ।

कुल अनुज्ञापत्र शुल्क और सेवा प्रभार के तौर पर वर्ष 2002-03 के दौरान 8,85,663/- रु. संग्रहित किये थे । इसके अलावा उपकर के देरी से जमा करने के कारण दंडस्वरूप ब्याज के रूप में 8 लाख रु. की रकम का भी संग्रहण किया था ।

II बाज़ार आसूचना प्रभाग

बाज़ार आसूचना प्रभाग का प्रमुख कार्य रबड़ पर उपकर के अपवंचन को रोकना है । प्रभाग द्वारा किये गये कार्यों में ये सम्मिलित हैं:-

क) व्यापारियों के व्यापार केन्द्रों में निरीक्षण करना उनके बही खातों, विवरणियों एवं अन्य विवरणों का सत्यापन करना ।

ख) रबड़ व्यापारियों की असलीयत की जांच करना ।

ग) रबड़ के झूठे व्यापार रोकने हेतु कदम शुरू करना।

घ) व्यापारियों/विनिर्माताओं एवं संसाधकों द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों की आपसी जांच ।

ङ) परिवहन एवं जांच चौकी आदि में रबड़ परेषणों की जांच करना ।

च) रबड़ के अन्तर्राज्यीय परिवहन की निकट की निगरानी

इन कार्यों का निष्पादन

- तलिपरंबा, कोची, कोट्टयम एवं नागरकोइल में कार्यरत निरीक्षण दल ।
- पालक्काड, पुनलूर एवं नागरकोइल में कार्यरत बाज़ार आसूचना निरीक्षक
- केरल के पालक्काड जिला के वालयार, केरल के कासरगोड जिला के मंजेश्वरम और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला के कावलकिनर की जाँच चौकियों द्वारा किया गया ।

प्रभाग के संक्षिप्त कार्यकलाप है:-

- 2768 व्यापारियों का निरीक्षण किया तथा 158 व्यापारियों के अनुज्ञापत्रहीन व्यापार का पता लगाया। 452 व्यापारियों के मामले में 10,95,333 कि.ग्रा. कमी/बेहिसाब के स्टॉक/अनियमित बिक्री की विसंगति/ अनियमित मामलों का पता लगाया। संबंधित पार्टियों से रबड़ के उपकर स्वरूप 16,42,999रु. की रकम का संग्रह किया गया। दल ने 687 सड़क चेकिंग एवं जांच चौकियों, रेल पार्सल घरों व सीमा क्षेत्र का अचानक निरीक्षण किया।
- गंभीर अनियमितताओं का पता चलने के आधार पर 10 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र रद्द किये गये तथा उपकर हानि के तौर पर 1,63,990 रु. का संग्रहण किया गया ।
- सांविधिक निम्नतम मूल्य से कम भाव पर रबड़ खरीदने के कारण 5 व्यापारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की । एक व्यापारी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा शेष चार मामले संबंधित न्यायालयों में लंबित है ।
- रबड़ के अन्तर राज्य परिवहन पर निगरानी को सुशक्त करने के लिए रबड़ परेषण के साथ प्रेषित दस्तावेजों की नियमित जांच केरल के दो स्थानों याने पालक्काड जिला के वालयार, कासरगोड जिला के बेंगरा मंजेश्वरम व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला के कावलकिणर चेक पोस्टों में की गई।
- तीन चेक पोस्टों द्वारा बरती गई निगरानी रबड़ के अवैध परिवहन का पता लगाने में सहायक रही। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वालयार, मंजेश्वरम व कावलकिणर चेक पोस्टों के अधिकारियों ने विभिन्न कारणों से 31 परेषण रोके रखे । इनमें 12 परेषणों को वैध दस्तावेजों/ संतोषजनक स्पष्टीकरण की प्रस्तुति पर सीमा पार करने की अनुमति दी गयी एवं 19 परेषण परेषक विश्वासजनक सबूत प्रस्तुत न करने पर उपकर की रकम एवं सुरक्षा जमा के रूप में 9,79,363/- रु. एकत्रित करके मुक्त किये गए । बिक्री कर/पुलिस पदधारियों ने बिना प्रवैध दस्तावेज/ संदेहात्मक स्थिति में सीमा पार करने के लिए कोशिश किए रबड़ के 17 परेषण रोक दिए जिनके निपटान/ अंतिम निर्णय हेतु संबंधित क्षेत्र के बोर्ड की जांच चौकी पदधारियों/ निरीक्षकों (बा आ) ने आवश्यक सभी सहायताएं प्रदान कीं । निरीक्षण दल ने कोस्टल कारगो ट्रान्सपोर्ट द्वारा 1131 मेट्रिक टण रबड़ के गुप्त परिवहन का पता लगाया तथा जांच कार्य जारी है ।
- तीनों जांच चौकियाँ होकर पास किए रबड़ के 39049 परेषणों, जिनकी जांच की थी, का विवरण निम्न प्रकार है :

1. वालयार चेकपोस्ट	:	25547 परेषण
2. मंजेश्वरम चेकपोस्ट	:	8898 "
3. कावलकिणर चेकपोस्ट	:	4604 "
योग	:	**39049** "

- विभिन्न श्रेणी के 16500 बुक प्रपत्र 'एन' घोषणाओं का मुद्रण किया और विभिन्न बागानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों एवं विनिर्माताओं को 14320 प्रपत्र एन बुकों की आपूर्ति कीं। बाज़ार आसूचना प्रभाग में 52236

प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुईं जिनमें अधिकतम की संवीक्षा की तथा जहाँ विसंगतियाँ देखी गयी, वहाँ संबंधित पार्टी से स्पष्टीकरण मांगे गए और उचित कार्रवाई की।

- विभिन्न व्यापारियों/विनिर्माताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं/ बागानों से प्राप्त मासिक विवरणियों व प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियों की यादृच्छिक दुतरफी जांच की गई एवं 398 मामलों में विसंगतियां पायी गयी। अतिरिक्त रूप से रबड़ पर उपकर के रूप में 1752650/- रु. की वसूली की गयी।
- इस तरह बाज़ार आसूचना प्रभाग के प्रयासों के फलस्वरूप 46,50,002/- रु. की रकम एकत्रित की जा सकी अन्यत्र जिसका नुकसान हो जाता।

III अनुज्ञापन प्रभाग

कोची स्थित अनुज्ञापन प्रभाग के मुख्य कार्य रबड़ व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं का अनुज्ञापन तथा उनकी शाखाओं व अभिकर्ताओं का पंजीकरण, नियमों के पालन न करनेवाले व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करना आदि है ।

1) व्यापारियों के अनुज्ञापन

वर्षारंभ में अनुज्ञापत्रित व्यापारियों की संख्या जो 9492 थी वह मामूली-सी बढकर वर्षांत में 9722 हो गयी । रिपोर्ट अवधि के दौरान 1059 नये अनुज्ञापत्र जारी किये तथा 2472 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र का नवीकरण किया गया । इसके अलावा 1/4/2003 से पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए 1573 व्यापारियों के अनुज्ञापत्रों का नवीकरण किया गया।

2) प्रक्रमणकर्ताओं के अनुज्ञापन

31.3.03 के अनुसार 137 अनुज्ञापत्रित प्रक्रमणकर्ता हैं । 1/4/2003 से पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए 20 प्रक्रमणकर्ताओं के अनुज्ञापत्र का नवीकरण किया गया।

3) व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के अनुज्ञापत्रों का निलंबन एवं प्रतिसंहरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 100 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र एवं 1 प्रक्रमणकर्ता के अनुज्ञापत्र रद्द किये गये । इसके अलावा रबड़ अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कारण 10 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलंबित किये गये । लेकिन 1 व्यापारी के अनुज्ञापत्र उनसे संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने से निलंबन को रद्द किया तथा पुनस्थापित कर दिया।

4) शाखाओं व अभिकरणों का पंजीकरण

वर्ष के दौरान व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं की 331 नयी शाखाओं का पंजीकरण किया गया जिससे मार्च 2003 के अंत तक कुल पंजीकृत शाखाओं की संख्या बढकर 1038 हो गयी । इसके अलावा वर्ष 2002-03 के दौरान मुख्य व्यापारियों द्वारा उनके अभिकरणों के नाम उनके लिए रबड़ की खरीद करने तथा भेजने हेतु जारी 345 प्राधिकरण पत्रों को पंजीकृत किया गया ।

5) व्यापारियों से नकद का एकत्रण

व्यापारियों के अनियमित व्यापार एवं स्टॉक की विसंगतियों के कारण हुए रबड़ के उपकर की हानि को पूरा करने के लिए उनसे 9,11,123 रु. का एकत्रण किया गया।

6) प्रपत्र 'एन ' की आपूर्ति

राज्य से बाहर रबड़ के परिवहन हेतु कोची क्षेत्र में विभिन्न बागानों, व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं को प्रपत्र 'एन ' की 6218 बुकों की आपूर्ति की गई।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान अनुज्ञापत्र शुल्क सेवा प्रभार/ रबड़ पर उपकर आदि के रूप में 49,10,672रु. एकत्रित किए ।

7) व्यापारियों का राज्यवार वितरण

क्रम सं.	राज्य/सं.शा. क्षेत्र का नाम	व्यापारियों की संख्या
01	केरल	8620
02	तमिलनाडु	195
03	पंजाब	153
04	दिल्ली	120
05	कर्नाटक	115
06	त्रिपुरा	113
07	महाराष्ट्र	95
08	पश्चिम बंगाल	76
09	उत्तर प्रदेश	67
10	गुजरात	42
11	हरियाना	38
12	असम	24
13	राजस्थान	22
14	मेघालय	14
15	आंध्र प्रदेश	6
16	बिहार	4
17	चण्डीगढ	4
18	मध्य प्रदेश	4
19	आन्डमान व निकोबार	3
20	पोंडिच्चेरी	3
21	नागालैंड	2
22	उड़ीसा	1
23	गोआ	1
24	जम्मु व काश्मीर	शून्य
	कुल	**9722**

IV उप/संपर्क कार्यालय

रबड़ पर उपकर के संग्रह की प्रगति और विविध मंत्रालयों तथा व्यापार व उद्योग के साथ संपर्क बनाए रखने और व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के कारोबार की निगरानी की दृष्टि से बोर्ड केरल के बाहर के प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में – याने चेन्नै, बैंगलूर, सेकन्दराबाद, अहम्मदाबाद, कानपुर, मुम्बई, कोलकत्ता, जलंधर और नई दिल्ली–नौ उप/संपर्क कार्यालयों का रख रखाव करते हैं । रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने में या रबड़ माल विनिर्माताओं को रबड़ खरीदने में आवेदकों की योग्यता का निर्धारण इन कार्यालयों का मुख्य कार्य है । रबड़ माल विनिर्माताओं एवं व्यापारियों द्वारा की गयी खरीद और उनके द्वारा रखे गए स्टोक का यादृश्चिक सत्यापन किया गया। अनुज्ञापत्रधारियों के बही खाते एवं अभिलेखों का सत्यापन भी सुनिश्चित किया था कि उनके द्वारा प्रापण किये गये सारे रबड़ के उपकर के निर्धारण से संबंधित सारे अभिलेख, बही खाते में ठीक प्रकार दर्ज किये गये हैं । उपकर राजस्व के नुक्सान को रोकने के लिए रबड़ के गैर अनुज्ञापत्रित व्यापार और रबड़ अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के विरुद्ध रबड़ माल के विनिर्माण करनेवालों की पहचान के लिए अचानक निरीक्षण चलाए गये। विनिर्माताओं एवं व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की सच्चाई के सत्यापन हेतु उनके फैक्टरी/व्यापार स्थान का निरीक्षण करना और दुराचारों के पता लगाने हेतु अन्तर्राज्यीय रबड़ परिवहन की जांच करना इन कार्यालयों के अन्य कार्य हैं ।

क) केरल में व्यापारियों का जिलावार वितरण

क्रम सं.	जिला का नाम	व्यापारियों की संख्या
01	कोट्टयम	2304
02	कोल्लम	1734
03	एरणाकुलम	1105
04	पत्तनंतिट्टा	1069
05	तिरुवनन्तपुरम	768
06	कण्णूर	423
07	इडुक्की	409
08	मलप्पुरम	408
09	पालक्काड	350
10	कोषिक्कोड	191
11	तृश्शूर	163
12	आलप्पुषा	151
13	कासरगोड	88
14	वयनाड	57
	कुल	**8620**

♥♥♥

भाग VIII

संसाधन एवं उपज विकास

संसाधन एवं उपज विकास विभाग ने रबड़ और रबड़ काष्ठ संसाधन इकाइयों विशेषकर छोटी जोत क्षेत्र को उनकी उपजों की गुणता व विभिन्न उपायों द्वारा इसके विपणन सुधारने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करना जारी रखा ।

1.4.2001 को प्रभावी रूप से स्वाभाविक रबड़ की आयात पर से परिमाणपरक नियंत्रणों को हटाने पर भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ संसाधकों को अपने द्वारा उत्पादित ब्लोक रबड़ की गुणता और संशक्ति सुधारने, उत्पादन लागत कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण प्रणालियों को सुशक्त करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का अनुमोदन किया है । योजना के लिए मंजूर कुल परिव्यय 5 करोड रुपये था । योजना के अंतर्गत 26 ब्लोक रबड़ फैक्टरियों और 26 लाटेक्स सेंट्रिफ्यूजिंग फैक्टरियों को वित्तीय सहायताएं प्रदान की गयी । टी एस आर फैक्टरियों को नियमित रूप से आपूर्ति करने के लिए छोटी जोतों से लाटेक्स एकत्रण हेतु 242 रबड़ उत्पादक संघों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया । इस योजना के अन्तर्गत रबड़ उत्पादक संघ क्षेत्र के एक रबड़ काष्ठ संसाधन फैक्टरी को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी ।

संसाधन एवं गुणता नियंत्रण के अद्यतन विकासों के अध्ययन हेतु रबड़ बोर्ड एवं ब्लोक रबड़ उत्पाद संसाधकों के 12 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के लिए थाइलैंड एवं इंडोनेशिया के ब्लोक रबड़ फैक्टरियों के दौरे का आयोजन बोर्ड ने किया ।

कोलकत्ता एवं विशाखपटनम के नामोद्दिष्ट बन्दरगाहों द्वारा आयातित रबड़ की गुणता की जांच करने का कार्य बोर्ड ने जारी रखा । वर्ष 2002-03 के दौरान 24591 मेट्रिक टण रबड़ की जांच की तथा सीमा शुल्क अनुमति हेतु सिफारिश दी गयी । विहित गुणवत्ता स्तर के न होने के कारण 320 मेट्रिक टण रबड़ को अस्वीकार कर दिया था । गैर नामोद्दिष्ट बंदरगाहों द्वारा रबड़ की आयात पर भी बोर्ड ने निगरानी जारी रखी।

वर्ष के दौरान बोर्ड ने प्रेरणा देकर शीट रबड़, ब्लोक रबड़ एवं सान्द्रीकृत लाटेक्स के विभिन्न श्रेणियों के निर्यात को प्रोत्साहित किया । ऐसे निर्यात किए गए रबड़ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 2 दिसंबर से रबड़ की गुणवत्ता की जांच करना बोर्ड ने शुरू की । इस अवधि के दौरान 3383 मेट्रिक टण ब्लोक रबड़, 6225 मेट्रिक टण सान्द्रीकृत लाटेक्स और 24826 मेट्रिक टण आर एस एस श्रेणियों की गुणवत्ता जांच की गयी तथा निर्यात हेतु अनुमति दी गयी। गुणवत्ता जांच के आधार पर 121 मेट्रिक टण ब्लोक रबड़, 21.5 मेट्रिक टण सान्द्रीकृत लाटेक्स एवं 1393 मेट्रिक टण आर एस एस श्रेणियों को अस्वीकार कर दिया ।

विभाग ने देश में उत्पादित ब्लोक रबड़ एवं सान्द्रीकृत लाटेक्स की गुणवत्ता जांचने हेतु 172 निरीक्षण चलाए । कच्चे रबड़, लाटेक्स, रसायन, बहिस्राव आदि की परीक्षण सुविधाएं संसाधकों एवं उपभोक्ताओं को प्रदत्त की तथा 16846 नमूनों की जांच की । बोर्ड ने इसके केन्द्रीय

तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ (ब्लोक रबड़)

परीक्षण प्रयोगशाला हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राउंड रोबिन क्रॉस जांचों में भागीदारी की ।

बोर्ड ने अपने आदर्श टी एस आर फैक्टरी, पाइलट लाटेक्स प्रक्रमण केंद्र, पाइलट क्रम्ब रबड़ फैक्टरी एवं रेडियेशन व वल्कनीकृत स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स संयंत्र द्वारा रबड़ संसाधकों को संसाधन व गुणता नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण एवं आई एस ओ 9000 गुणता प्रबंधन प्रणाली के निदर्शन एवं प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदत्त करना जारी रखा ।

भारत से रबड़ के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने आर एस एस श्रेणियों के लिए विनिर्देश जारी करने तथा ब्लोक रबड़ एवं सान्द्रीकृत लाटेक्स के प्रभावी मानकों को संशोधित करने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो को एक प्रस्ताव पेश किया है ताकि वे मुख्य स्वाभाविक रबड़ एवं लाटेक्स के उत्पादक देशों के मानकों के समान हो जाए। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित एक बैठक में इन पर चर्चा की जा चुकी है तथा भारतीय मानक ब्यूरो के स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बोर्ड ने रबड़ उत्पादक संघ और सहकारी क्षेत्र के प्रक्रमण एवं विपणन कंपनियों को रबड़ के संसाधन एवं विपणन एवं बागान निवेशों के वितरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा ।

भारत रबड़ परियोजना नामक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अधीन संस्थापित आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी ने संसाधन एवं मूल्य वृद्धि, गुणता नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण प्रणालियों में रबड़ काष्ठ संसाधकों एवं नये उद्यमियों को निदर्शन और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदत्त करना जारी रखा ।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अधीन संस्थापित रबड़ काष्ठ परीक्षण प्रयोगशाला ने रबड़ काष्ठ संसाधकों को परीक्षण सुविधाएं प्रदत्त की, प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कीं तथा भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान द्वारा चलाये रबड़ काष्ठ संबंधी कुछ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में भागीदारी की।

भारतीय मानक ब्यूरो ने रसायनिक उपचार किये और भट्टे में सुखाए रबड़ काष्ठ के मानक निकाले । सरकारी संस्थाओं में रबड़ काष्ठ के उपयोग को प्रोत्साहित करने के मद्देनज़र केरल सरकार ने फर्नीचरों के निर्माण हेतु संसाधित रबड़ काष्ठ का अनुमोदन किया तथा केरल सरकार के स्टोर्स पर्चेस रूल्स को तदनुसार संशोधित भी किया।

फर्नीचर एवं आन्तरिक सजावट की सामग्रियों के लिए उपयुक्त पर्यावरण के अनुकूल की लकडी के रूप में संसाधित रबड़ काष्ठ को पेश करने के लिए कदम उठाये

गये । भारतीय विज्ञान संस्थान ने अपने 920 कमरेवाले नये छात्रावास परिसर में सजावट हेतु संसाधित रबड़ काष्ठ उपयुक्त करने का निर्णय लिया है । यह भारत के अग्रणी सरकारी/अर्धसरकारी अनुसंधान/ शैक्षणिक संस्थानों में आन्तरिक सजावट सामग्रियाँ व फर्नीचर हेतु रबड़ काष्ठ को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा । बोर्ड निम्नलिखित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मेलाओं में भाग लिया तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में रबड़ काष्ठ और रबड़ काष्ठ उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए इन पर तकनीकी साहित्य एवं पर्चियों का वितरण किया ।

राष्ट्रीय मेलाएं

01 इनसाइड आउटसाइड मेगा शो, चेन्नै, सितंबर 2002

02 सोसाइटी इंटीरियर्स एक्स्पो, चेन्नै, अक्तूबर 2002

03 इन्डेक्स-2002, मुम्बई, अक्तूबर 2002

04 इनसाइड आउटसाइड मेगा शो, बैंगलूर, अक्तूबर 2002

05 भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली, नवंबर 2002

06 इन्टरबिल्ड, नई दिल्ली, दिसंबर 2002

07 इंडिया इन्टरनाशनल फर्नीचर फेयर, बैंगलूर, फरवरी 2002

08 आई आई डब्ल्यू टी-2003, चेन्नै, फरवरी 2003

अन्तर्राष्ट्रीय मेलाएं

01 इंडिया ट्रेड फेयर, ओसाका, जापान, नवंबर 2002

02 ए एस एफ आई, बर्मिंघाम, यू के , नवंबर 2002

03 आई एफ एफ टी, टोक्यो, जापान, नवंबर 2002

04 आई एफ ई एक्स, अबुदाबी, फरवरी 2003

05 इन्टरनाशनल फर्नीचर फेयर, सिंगापुर, मार्च 2003

इन मेलाओं की भागीदारी मुख्य उपभोक्ता देशों में भारत को संसाधित रबड़ के संभाव्य पूर्तिकार के रूप में उजागर करने में सहायक बनेगी । परिणामस्वरूप, कुछ गंभीर निर्यात संबंधी पूछताछें प्राप्त हुई ।

♥♥♥

भाग IX

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामश विभाग के दो प्रभाग है याने प्रशिक्षण प्रभाग और तकनीकी परामर्श प्रभाग। प्रशिक्षण प्रभाग रबड़ बागान क्षेत्र और संसाधन व उपज विनिर्माण क्षेत्र समेत रबड़ उद्योग क्षेत्र के लाभ हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है । तकनीकी परामर्श प्रभाग उद्यमियों को रबड़ आधारित इकाइयों की संस्थापना हेतु तथा रबड़ उत्पन्न विनिर्माताओं को उत्पादन की समस्याएं सुलझाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है और रबड़ उत्पादों के परीक्षण द्वारा गुणवत्ता निर्धारण करता है ।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श विभाग स्वाभाविक रबड़ के निर्यात हेतु तकनीकी समर्थन एवं मार्गदर्शन भी प्रदत्त करता है ।

क) प्रशिक्षण प्रभाग

रबड़ प्रशिक्षण केन्द्र कोट्टयम से आठ कि.मी पूर्व पर (पुतुप्पल्ली के पास) भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान के बगल में स्थित है। यह 3710 वर्ग मीटर क्षेत्र के चित्रोपम भवन में नवीनतम सुविधायुक्त 5 अध्यापन हाल में स्थित है। इस केन्द्र में 30 भागीदारों को रहने की सुविधा वाले छात्रवास है । इस केन्द्र में पुस्तकालय, संग्रहालय एवं ऑडिटोरियम भी हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रबड़ प्रसंस्करण एवं उत्पाद विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्र में दो निदर्शन प्रयोगशालाएं भी हैं।

मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए लक्षित वर्ग ये हैं:-

- कृषक
- प्रबंधक/अधीक्षक
- रबड़ उत्पादक संघ
- रबड़ विपणन समितियाँ
- रबड़ व्यापारी
- रबड़ प्रक्रमणकर्ता
- रबड़ उत्पाद निर्माता
- उद्यमी
- रबड़ एवं रबड़ उत्पाद निर्यातक
- उत्पादन प्रबंधक
- गुणता नियंत्रण प्रबंधक
- महिला सहित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग
- विद्यार्थी
- विदेशी भागीदार

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भिन्न लक्ष्य ग्रूपों के लिए 30 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

लाभभोगियों के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ग	लाभभोगियों की संख्या
* रबड़ संसाधन	155
* रबड़ उत्पाद विनिर्माण	186
* र उ सं और रबड़ व्यापारी	33
* कृषक/र उ सं के सदस्य	2885
* टापर्स	402
* कृषि/रबड़ प्रौद्योगिकी विद्यार्थी	55
* दौरा सह प्रशिक्षण के व्यक्ति	1028
* बोर्ड के कर्मचारी	117
योग	**4861**

लाभभोगियों में 1058 महिलाएं और 237 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग भी सम्मिलित हैं।

कोट्टयम के रबड़ प्रशिक्षण केन्द्र का नाम इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डवलपमेंट, नई दिल्ली के स्थायी सदस्य के रूप में दर्ज कर दिया है ।

ख) तकनीकी परामर्श प्रभाग

देश में रबड़ माल विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी परामर्श प्रभाग तकनीकी सहायता प्रदान करता है । रबड़ आधारित उद्योगों की संस्थापना हेतु उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, रबड़ उत्पादों को विकसित करना, विद्यमान इकाइयों की उत्पादन समस्याएं सुलझाना तथा रबड़ रसायनों/रबड़ सम्मिश्रों/उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जांच द्वारा गुणता नियंत्रण आदि इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं । रबड़ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, बाज़ार सर्वेक्षण रिपोर्टों, व्यापार निदेशिकाओं की तैयारी आदि जैसे कार्यकलाप भी प्रभाग करते हैं । स्वाभाविक रबड़ के उपभोग बढाने के लक्ष्य से वर्तमान में प्रभाग रबड़ उद्योग पार्कों की संस्थापना कार्य में लगा हुआ है । रबड़ पार्क परियोजना कार्यान्वयन प्रगति में है तथा औद्योगिक रबड़ पार्कों की स्थिति रिपोर्ट नीचे दी गयी है :

1.	केरल	परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है । परियोजना का दूसरा चरण पूरा हो रहा है ।
2.	तमिलनाडु	ए एस आई डी ई योजना के अंतर्गत निजी सहभागिता के साथ परियोजना की मंजूरी की प्रत्याशा है ।
3.	त्रिपुरा	परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

I प्रभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गयी है

1.	तैयार की गयी परियोजना रिपोर्टें/योजनाएं	9 सं.
2.	तकनीकी सहायता प्रदत्त	75 विनिर्माण इकाइयाँ
3.	विभिन्न इकाइयों/उद्यमियों के लिए विकसित रबड़ उत्पाद	44 सं.
4.	गुणता नियंत्रण	5930 प्राचलों के लिए 1106 नमूनों का परीक्षण किया गया ।
5.	सडकों का रबरीकरण	सडकों के निर्माण में स्वाभाविक रबड़ परिष्कृत बिटुमिन के उपयोग का प्रोत्साहन जारी रखा । केन्द्रीय सडक अनुसंधान संस्थान के सहयोग से केरल, तमिलनाडु और पोंडिच्चेरी के एन आर एम बी सडकों का निष्पादन मूल्यांकन किया गया ।
6.	सीस्मिक बियरिंग का विकास	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग व अनुसंधान केन्द्र की अंतिम रिपोर्ट की पुनरीक्षा की गयी तथा बियरिंग की परिकल्पना एवं बियरिंगों की तैयारी हेतु माल्डों की ढलाई पर एस ई आर सी के अभियंताओं के साथ बातचीत प्रगति में है ।
7.	नहरों में लाइनिंग	केरला इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार लाटेक्स मिश्रण से नहरों में लाइनिंग देने पर प्रयोगशाला स्तरीय परीक्षण सफल रहा। परीक्षण तालाबों में भी किया है जिसके परिणाम की प्रत्याशा है।
8.	प्रधान उपलब्धियाँ	आयात प्रतिस्थापना के रूप में मे.रूट्स मल्टिक्लीन प्रा.लि., कोइम्बत्तूर के लिए उनके फर्श सफाई मशीनों के लिए रबड़ संघटकों का विकास प्रभाग द्वारा किया गया जिसकी काफी प्रशंसा हुई।

प्रभाग स्वाभाविक रबड़ के निर्यात की निगरानी भी करता है । अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक निर्यात किये स्वाभाविक रबड़ का कुल परिमाण 55311 मेट्रिक टण है। मूल्य के तौर पर 2002-03 के दौरान निर्यात किए स्वाभाविक रबड़ 185.12 करोड रुपये याने 38.17 दशलक्ष अमरीकी डालर के समतुल्य का रहा । निर्यात विपणन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभाग में एक निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ का गठन किया था और गुणवत्ता जांच चलाने और रबड़ के निर्यात के लिए आवश्यक गुणता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक निर्यात निरीक्षण टीम को भी गठित किया था ।

केवल स्वाभाविक रबड़ के निर्यात संवर्धन के लिए बोर्ड ने इलक्ट्रोनिक वाणिज्य सुसाध्य करने वाले एक पारस्परिक क्रियात्मक वेब साइट का विकास किया है । परामर्शदाता मे. अक्सेन्च्यूर इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा चलाए बाज़ार अध्ययन पूरा हो गया है तथा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है । अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन प्रगति में है । वर्ष 2002-03 के दौरान बोर्ड ने यूरोप्लास्ट (पैरिस में 3 से 7 जून 2002 तक संपन्न), चाइना फ्लास (25 जून से 29 जून 2002 तक चीन के शांगहाई में संपन्न) एवं साइटेक्स (2 से 6 अक्तूबर 2002 तक दक्षिण आफ्रिका के जोहन्नासबर्ग में संपन्न) नामक तीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलाओं में प्रतिभागिता की ।

भाग X

सांख्यिकी एवं योजना

I सामान्य सांख्यिकी

रबड़ की पूर्ति, माँग, स्टॉक तथा मूल्य के आंकडों का नियमित रूप से अनुवीक्षण एवं उनकी बोर्ड एवं सरकार को प्रस्तुति सांख्यिकी एवं योजना विभाग द्वारा अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक की अवधि के दौरान किये गए कार्यकलापों में सम्मिलित हैं । 22.7.2002 तथा 30.11.2002 को संपन्न बोर्ड की बैठकों में तथा 21.9.2002 एवं 24.3.2003 को संपन्न सांख्यिकी एवं आयात निर्यात समिति बैठकों में रबड़ की मांग एवं पूर्ति की स्थिति का सामयिक पुनरीक्षण किया गया । विभाग ने इन बैठकों में चर्चा हेतु स्वाभाविक रबड़ क्षेत्र में विद्यमान स्थिति तथा भविष्य के रुख सांख्यिकीय आंकडे सहित टिप्पणियों की तैयारी की ।

रबड़ उत्पादकों, व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं से हर महीने एकत्रित सांविधिक विवरणियों का संकलन एवं विश्लेषण किया । छोटे कृषकों के संदर्भ में उत्पादन, स्टॉक आदि में अन्तर का पता लगाने के लिए छोटे जोत क्षेत्र में नमूना अध्ययन जारी रखा । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकडों का संकलन किया गया तथा मासिक आधार पर रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात एवं स्टॉक आंके गए । "रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़" (मासिक) में प्रकाशन हेतु आवश्यक सांख्यिकीय सूचनाओं की तैयारी की । इस प्रकाशन में स्वाभाविक रबड़, कृत्रिम रबड़ एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, स्टॉक, आयात/निर्यात के रुख, स्वाभाविक रबड़ का भाव तथा अन्य कई विवरण प्राप्त होते हैं । बोर्ड ने "इंडियन रबड़ स्टाटिस्टिक्स भाग 25", 2002 का प्रकाशन 2002 अप्रैल महीने में किया। इस प्रकाशन में रबड़ के अधीन क्षेत्र, स्वाभाविक, कृत्रिम एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात, भाव आदि एवं विनिर्माता, व्यापारी, रबड़ के उत्पाद, श्रमिक आदि के आलावा विश्व रबड़ सांख्यिकी की विस्तृत जानकारी है । विभाग ने सरकार एवं रबड़ उद्योग से संबद्ध विभिन्न संगठनों को संबंधित सांख्यिकीय सूचना प्रदत्त की ।

वर्ष 2002-03 के दौरान देश में संसाधित रबड़ के विभिन्न वर्गों के उत्पादन, संस्थापित क्षमता आदि के निर्णय करने के लक्ष्य से सान्द्रीकृत लाटेक्स, ब्लॉक रबड़, पी एल सी के संसाधकों एवं क्रीप मिलों से उनकी वार्षिक रिपोर्ट संग्रहित की थी । अंतिम उत्पादों के आधार पर रबड़ के उपभोग आंकने, उपभोग के अनुसार विनिर्माताओं के वर्गीकरण हेतु रबड़ माल के विनिर्माताओं से वर्ष 2002-03 की वार्षिक विवरणियाँ एकत्रित की थीं । विनिर्माताओं से एकत्रित मासिक विवरणियों से स्वाभाविक रबड़, कृत्रिम रबड़, सुधारित रबड़ आदि के राज्यवार उपभोग तैयार किया ।

स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक प्रयुक्त करके केरल के चयनित गॉवों की रबड़ जोतों का गणना कार्य जारी रखा। इस तरह तैयार किये आंकडों से उपयुक्त सारणियाँ तैयार कीं तथा विश्लेषण किया गया।

II योजना

वर्ष 2003-04 का वार्षिक योजना प्रस्ताव तैयार किया तथा सरकार को प्रस्तुत किया । इसके अलावा रबड़ पर वार्षिक योजना प्रस्ताव भी तैयार किये । रबड़ बागान उद्योग की पुनरीक्षा पर व्यापक टिप्पणी तैयार की तथा सरकार को प्रस्तुत कीं ।

III विश्व संगठनों को सूचना का प्रदान

भारत में स्वाभाविक रबड़ उद्योग के संबंध में एसोसिएशन ऑफ नाचुरल रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ (ए एन आर पी सी), कुलालंपुर, मलेशिया एवं अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन ग्रूप (आई आर एस जी), लंडन जैसे विश्व संगठनों को सूचना प्रदान करना जारी रखा ।

भारत सरकार की तरफ से रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष थायलैंड में अगस्त 2002 में उत्पादन एवं विपणन नीतियों पर ए एन आर पी सी के संयोजन समिति की 9 वीं बैठक योग्याकार्टा, इंडोनेशिया में नवंबर 2002 में ए एन आर पी सी की कार्यकारी समिति की 26 वीं बैठक एवं ए एन आर पी सी असेंब्ली की 25 वीं बैठक में भाग लिए । संयुक्त निदेशक (सां व यो) ने सितंबर 2002 में मलेशिया में संपन्न स्वाभाविक रबड़ सांख्यिकी पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं ए एन आर पी सी की स्वाभाविक रबड़ सांख्यिकी पर समिति की 11 वीं बैठक में प्रतिभागिता की।

♥♥♥

भाग - XI

सांख्यिकीय सारणियाँ

सारणी - 1

प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन	आयात*	निर्यात	उपभोग (देशी एवं आयातित)
अप्रैल	2002	39800	2015	3928	54510
मई	”	42410	1242	2697	56505
जून	”	43635	936	2917	56740
जुलाई	”	45835	2096	3738	58920
अगस्त	”	51475	5067	1200	57835
सितंबर	”	58480	687	6159	57380
अक्तूबर	”	63215	818	6814	57750
नवंबर	”	75410	317	5872	58470
दिसंबर	”	80495	161	4740	59455
जनवरी	2003	75525	3187	4264	60210
फरवरी	”	35050	6114	4676	59525
मार्च	”	38105	3589	8306	58125
योग		**649435**	**26229**	**55311**	**695425**

*स्रोतः वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

सारणी - 2

हर महीने के अन्त में प्राकृतिक रबड़ का स्टोक

(टण)

महीना		उत्पादक, व्यापारी एवं संसाधक	विनिर्माता	योग
अप्रैल	2002	111200	65290	176490
मई	”	100030	60950	160980
जून	”	93835	52015	145850
जुलाई	”	83875	47335	131210
अगस्त	”	87595	41125	128720
सितंबर	”	91830	32520	124350
अक्तूबर	”	87335	34995	122330
नवंबर	”	100605	34590	135195
दिसंबर	”	111145	40495	151640
जनवरी	2003	119295	46575	165870
फरवरी	”	84280	57080	141360
मार्च	”	65655	52340	117995

सारणी - 3

कृत्रिम रबड़ के उत्पादन, आयात एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन	आयात*	उपभोग
अप्रैल	2002	5680	8485	14885
मई	”	6497	9481	15065
जून	”	6791	11791	15545
जुलाई	”	5904	12147	16370
अगस्त	”	7505	13438	16790
सितंबर	”	6715	11988	16370
अक्तूबर	”	6247	15202	17365
नवंबर	”	6370	11730	17160
दिसंबर	”	7209	9733	16860
जनवरी	2003	7800	9360	16780
फरवरी	”	6642	5611	15615
मार्च	”	7041	5509	16045
योग		**80401**	**124475**	**194850**

*स्रोतः वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

सारणी - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन*	उपभोग
अप्रैल	2002	5580	5545
मई	”	5405	5370
जून	”	5545	5490
जुलाई	”	5675	5615
अगस्त	”	5705	5750
सितंबर	”	5850	5860
अक्तूबर	”	5905	5925
नवंबर	”	5640	5670
दिसंबर	”	5580	5650
जनवरी	2003	5790	5840
फरवरी	”	5440	5390
मार्च	”	5270	5215
योग		**67385**	**67320**

*विनिर्माताओं द्वारा देशी खरीद

सारणी - 5

भारत में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना	आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	आई एस एन आर-5	आई एस एन आर-10	आई एस एन आर-20	आई एस एन आर-50
अप्रैल 2002	3738	3638	3538	3389	3101	3412	3312	3163	2912
मई "	3960	3860	3760	3589	3219	3547	3437	3257	3072
जून "	4315	4215	4115	3979	3625	3865	3764	3594	3416
जुलाई "	4206	4106	4006	3830	3549	3808	3708	3535	3344
अगस्त "	4106	4006	3906	3732	3484	3703	3603	3424	3245
सितंबर "	4148	4048	3948	3765	3622	3840	3740	3608	3397
अक्तूबर "	4038	3938	3838	3667	3515	3738	3638	3511	3298
नवंबर "	4007	3907	3807	3677	3564	3730	3630	3499	3286
दिसंबर "	4516	4416	4316	4196	3911	4168	4068	3960	3692
जनवरी 2003	4704	4604	4504	4300	4077	4428	4328	4182	3928
फरवरी "	4753	4653	4553	4384	4280	4555	4455	4323	4101
मार्च "	4903	4803	4703	4517	4372	4691	4591	4417	4284
वार्षिक औसत	**4283**	**4183**	**4083**	**3919**	**3693**	**3957**	**3856**	**3706**	**3498**

सारणी - 6

कुलालमपुर बाज़ार में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना	आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	एस एम आर-5	एस एम आर-10	एस एम आर-20
अप्रैल 2002	3517	3441	3422	3286	3221	3350	3267	3241
मई "	3509	3446	3426	3290	3225	3337	3274	3248
जून "	4152	4067	4047	3911	3846	4034	4008	3982
जुलाई "	4142	4078	4058	3922	3858	4059	3988	3959
अगस्त "	4153	4110	4090	3955	3891	4117	4056	4030
सितंबर "	4395	4348	4329	4194	4129	4450	4399	4373
अक्तूबर "	4046	4001	3982	3847	3783	4212	4167	4141
नवंबर "	4000	3955	3936	3801	3737	4214	4169	4144
दिसंबर "	4007	3962	3943	3809	3745	4217	4168	4142
जनवरी 2003	4219	4330*	4330*	4226*	4109*	4416	4366	4340
फरवरी "	4568	4716*	4716*	4613*	4497*	4640	4552	4527
मार्च "	5008	5046*	5046*	4944*	4828*	4638	4563	4538
वार्षिक औसत	**4143**	**3934****	**3915****	**3779****	**3715****	**4140**	**4081**	**4055**

जनवरी 2003 से मलेशिया ने स्वाभाविक रबड़ के आर एस एस 2 से आर एस एस 5 तक की श्रेणियों के मूल्य का प्रकाशन बंद कर दिया ।

* सिंगपूर का भाव

** मात्र 9 महीनों की औसत

ANNUAL REPORT
2002-03

THE RUBBER BOARD
Ministry of Commerce & Industry
Govt. of India

INDEX

SL. NO.		CONTENTS	PAGE NO.
01	PART I	INTRODUCTION	5
02	PART II	CONSTITUTION AND FUNCTIONS	7
03	PART III	ADMINISTRATION	13
		❋ Establishment	
		❋ Marketing	
		❋ Labour welfare	
		❋ Legal	
		❋ Official Language Implementation	
		❋ Publicity and Public Relations	
		❋ Vigilance	
04	PART IV	RUBBER PRODUCTION	21
05	PART V	RUBBER RESEARCH	29
06	PART VI	FINANCE & ACCOUNTS	36
07	PART VII	LICENSING & EXCISE DUTY	39
08	PART VIII	PROCESSING & PRODUCT DEVELOPMENT	45
09	PART IX	TRAINING & TECHNICAL CONSULTANCY	48
10	PART X	STATISTICS AND PLANNING	51
11	PART XI	STATISTICAL TABLES	53

PART - I

INTRODUCTION

The Rubber Board was constituted by the Government of India as a body corporate under the Rubber Act 1947 with the primary objective of the overall development of the rubber industry in the country. Natural rubber often referred to as nature's most versatile raw material is obtained from the latex produced by *Hevea brasiliensis*. This raw material finds its use in about 35,000 products and contributes substantially to the industrial and economic development of the country. The Board established a strong development and extension network and as a result, the rubber plantation sector achie- ved an impressive all-round growth in expansion of area and in the increase in production and productivity. Simultaneously, the Board gave thrust to research and the Rubber Research Institute of India (RRII) was established in 1955 for carrying out research on biological and technological improvement of rubber.

The Board has been encouraging scientific planting of rubber right from its inception. Since the sixth plan period, an integrated scheme for development of rubber plantations, namely, the Rubber Plantation Development Scheme for promoting both newplanting and replanting has been in operation and this is rated by the World Bank as one of the highly successful schemes. Besides, development and extension support is given to growers for increasing productivity, improving the quality of produce through individual as well as community efforts, facilitating formation of grass roots level organisations of growers and empowering them to ensure sustainable development through rubber cultivation. The development of rubber plantation

in non-traditional region, especially in north-eastern states has also achieved significant growth where rubber development is taken up adopting an integrated approach. Special mention needs to be made about the rubber based settlement programmes for tribal shifting cultivators in the north-east and in other states such as Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala ensuring overall socio-economic development/eco-restoration.

The Board has also been adopting several measures to promote diversified as well as non-conventional uses of natural rubber by supporting rubber products manufacturing sector, extending assistance in skill upgradation and infrastructure development.

The Rubber Research Institute of India has made significant contribution by breeding and releasing the popular clone RRII 105, one of the highest yielding clones in the world. Research is at a final stage in developing five more high yielding clones which will be released in near future. The RRII has also evolved agro-technologies on various cultural practices on *'Hevea'*. The Institute made substantial contribution to improving the processing of rubber and evolving speciality rubbers, which can effectively substitute synthetic rubbers. Research on special environment protection systems to check pollution in processing factories, energy saving machanisms for processing, processing of rubber wood, ancillary income generation activities and rubber based cropping system has yielded useful results.

Performance during 2002-03

The production, consumption and growth rate of natural rubber for the year 2002-03 and the immediately preceding two years are-

Year	Production (in MT)	Growth rate	Consumption (in MT)	Growth rate
2000-01	6,30,405	1.3%	6,31,475	0.5%
2001-02	6,31,400	0.2%	6,38,210	1.1%
2002-03	6,49,435	2.9%	6,95,425	9%

Price

The yearly average price of RSS-4 grade rubber at Kottayam for the last three years was -

Year	Price per quintal
2000-01	Rs. 3,036/-
2001-02	Rs. 3,228/-
2002-03	Rs. 3,919/-

PART - II

CONSTITUTION AND FUNCTIONS

CONSTITUTION OF THE BOARD

As per Section 4 (3) of the Rubber Act 1947, the Board shall consist of

a) A Chairman to be appointed by the Central Government;

b) Two members to represent the State of Tamilnadu, of whom one shall be a person representing the rubber producing interests;

c) Eight members to represent the State of Kerala, six of whom shall represent the rubber producing interests, three of such six being persons representing the small growers;

d) Ten members to be nominated by the Central Govt., of whom two shall represent the manufacturers and four labour;

e) Three members of parliament of whom two shall be elected by the Lok Sabha and one by the Rajya Sabha;

f) The executive Director (ex-officio); and

g) The Rubber Production Commissioner (ex-officio).

The position of Executive Director has not been filled so far.

THE LIST OF MEMBERS OF THE RUBBER BOARD AS ON 31.03.2003 IS GIVEN BELOW:

1	**Shri S Maria Desalphine IAS**	Chairman, Rubber Board
2	**Shri Jawahar Lal Jaiswal** Member, Lok Sabha	Member of Parliament under section 4(3) (e).
3	**Shri Sashikumar**, Member Lok Sabha	do-
4	**Shri Ramachandra Khuntia** Member, Rajya Sabha	do-

5	**C Ramachandran IAS** Agricultural Production Commissioner Govt. Of Kerala, Agriculture Department, Government Secretariat, Thiruvananthapuram.	Representative of the Govt. of Kerala under sub-rule (3) of rule 3.
6	**A C Mathew** Chairman Plantation Corporation of Kerala Ltd. Kottayam	do-
7	**S P Elangovan IAS** Secretary Environment and Forest Dept. Govt. of Tamilnadu, Chennai.	Representative of the Govt. Tamil Nadu under sub-rule (2) of rule 3.
8	**Shri K Jacob Thomas** Managing Director M/s. Vaniampara Rubber Co. Ltd. Vazhakala Buildings, KK Road Kottayam	Representative of Large Growers from the state of Kerala under sub-rule (3) of rule 3.
9	**Shri M D Joseph** Manniparambil, Kanjirappally Kerala.	do-
10	**Shri A V George** M/s. Thamarapally Rubber Co., Ltd. Kottayam	Representative of Large Rubber Growers from the State of Kerala under sub rule (3) of Rule 3.
11	**Shri E T Varghese** Patron Indian Rubber Dealers' Federation Rubber Bhawan, Kodimatha, Kottayam.	Representative of Other interests under sub-rule (4) of rule 3.
12	**Shri A Jacob** Velimala Rubber Company Ltd. Oopootil Buildings, KK Road, Kottayam.	Representative of the Large Growers from the State of Tamil-Nadu under sub-rule (2) of rule 3.
13	**Shri Suresh Elwadhi** Managing Partner Elwadhi Rubber Products New Delhi & Vice-President All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers & Member, Management Committee, AIRIA.	Representative of Rubber Goods Manufacturers under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
14	**Shri C Anantha Krishnan** General Secretary Kanyakumari District Rubber Estate Workers' Union INTUC, Nagacode, Kulasekharam.	Representative of Labour interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.

15	**Shri K G Ravi** General Secretary, Kerala State Karshaka Congress Thiruvananthapuram	Representative of Small Rubber Growers in the State of Kerala under sub rule (3) of Rule 3.
16	**Shri P Lalaji Babu** General Secretary All India Plantation Workers' Federation, Kollam District.	Representative of Labour interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
17	**Shri Kanam Rajendran** Secretary Kerala State Committee of AITUC Thiruvananthapuram	do-
18	**Shri Ettumanoor V Radhakrishnan** Valayil House Ettumanoor Kottayam District.	Representative of Other interests under sub-rule (4) of rule 3.
19	**Shri P B Sathyan** Plavada Kochuveedu South Vazhakulam Post Aluva-5, Kerala.	Representative of Small Rubber Groweres in the State of Kerala under sub-rule (3) of rule 3.
20	**Shri C K Sajinarayanan** 'Gayathri' 11/6, Link Road, Ayyanthole Thrissur - 680 003.	Representative of Labour Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
21	**Smt Rema Reghunadan** 'Smrithi', Akkikkavu PO Chavakkad, Trichur District Kerala.	Representative of Other interests under sub rule (4) of Rule 3.
22	**Shri V V Augustine** Valavanthuruthel Edapally PO, Cochin.	Representative of Rubber Goods Manufacturers under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
23	**Shri P R Muralidharan** Pathalil House S N Puram Post, Kottayam Kerala	Representative of Small Rubber Growers in the State of Kerala under sub rule (3) of Rule 3.
24	**Shri Joseph Vazhakkan** Vazhakamalayil Ramapuram, Kottayam.	Representative of Other interests under sub rule (4) of Rule 3.
25	**Dr. A K Krishnakumar** Rubber Production Commissioner Rubber Board, Kottayam.	Ex-officio
26	Executive Director	*Vacant*

FUNCTIONS OF THE BOARD

The functions of the Board as laid down under Section 8 of the Rubber Act 1947 are-

(i) Promote by such measures as it thinks fit the development of the rubber industry. The measures may provide for -

a) undertaking, assisting or encouraging scientific, technological and economic research;

b) training students growers in improved methods of planting, cultivation, manuring and spraying;

c) the supply of technical advice to rubber growers;

Chairman S.M. Desalphine addressing the Rubber Board Meeting

d) improving the marketing of rubber;

e) the collection of statistics from owners of estates, dealers and manufactures;

f) securing better working conditions and the provisions and improvement of amenities and incentives for workers; and

g) carrying out any other duties which may be vested with the Board.

(ii) It shall also be the duty of the Board -

a) to advise the Central Govt. on all matters relating to the development of rubber industry, including the import and export of rubber;

b) to advise the Central Govt. with regard to participation in any international conference or scheme relating to rubber;

c) to submit to the Central Govt. and such other authorities as may be prescribed half yearly reports on its activities and the working of the Act; and

d) to prepare and furnish such other reports relating to the rubber industry as may be required by the Central Govt. from time to time.

Seven Committees have been formed to review the Board's activities vis-a-vis the functions as laid down under Section 8 of the Rubber Act. These are Executive Committee, Research & Development Committee, Market Development Committee, Planting Committee, Statistics & Import / Export Committee, Labour Welfare Committee and Staff Affairs Committee.

Shri Ettumanoor V Radhakrishnan representing other interests, was elected as Vice-Chairman of the Board on 30.11.2002, for the period upto 21.8.03.

Shri S.M Desalphine IAS, continued as the Chairman of the Board during 2002-03.

MEETINGS OF THE BOARD AND ITS COMMITTEES

The following meetings of the Board and of the Committees were held during the year.

a)	Board meetings	144th meeting - 06.04.2002 145th meeting - 22.07.2002 146th meeting - 30.11.2002
b)	Committee meetings.....	
	Executive Committee.....	29.04.2002, 02.01.2003 & 24.03.2003
	Research & Development Committee.....	05.10.2002
	Planting Committee.....	21.09.2002
	Labour Welfare Committee.....	05.10.2002
	Statistics & Import/Export Committee.....	21.09.2002 & 24.03.03
	Staff Affairs Committee.....	29.04.2002
	Combined meeting of executive Committee/ Market Development Committee	17.08.2002
	Market Development Committee.....	26.10.2002, 26.12.2002 & 08.01.2003

A view of the Rubber Board Meeting

In addition to the above Committees, Board has constituted Sub committees for promotion of export of NR, rubberisation of roads and to evaluate the performance of the Processing Companies promoted by the Board. These Committees met periodically and provided necessary guidance.

ORGANISATIONAL SET UP

The activities of the Rubber Board are carried out through eight Departments viz. Rubber Production, Administration, Rubber Research, Processing and Product Development, Training & Technical Consultancy, Finance & Accounts, Statistics & Planning and

Licensing & Excise Duty; headed respectively by the Rubber Production Commissioner, the Secretary, the Director of Research, the Director (P&PD), the Director (T&TC), the Director (Finance), the Jt. Director (S&P) and the Director (L&ED). During the year under report, as the post of Secretary was lying vacant, the Director (L&ED) held additional charge of the post of the Secretary.

The Headquarters of the Board along with the Administration, Rubber Production, Statistics & Planning, Licensing & Excise Duty and Finance & Accounts Departments are located at own premises in Keezhukunne, Kottayam-686 002. The Department of Research, Department of P&PD and the Department of Training & Technical Consultancy are located at the Rubber Research Institute of India campus at Kottayam - 686 009.

There are nine Sub/Liaison Offices under the Licensing & Excise Duty Department. The Rubber Production Department has 5 Zonal Offices, 2 Nucleus Rubber Estate & Training centres, 40 regional offices, 1 ADO's Office, 189 Field Statioins, 13 Regional Nurseries including the nurseries in the 3 District Development Centres, one demonstration centre (in Mizoram), one Central Nursery and 23 Tapper's Training Schools located at different rubber growing regions.

The Research Department runs two Regional Research Stations in Kerala and a Regional Station each in TamilNadu, Karnataka, Maharashtra, Orissa, West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. The Pilot Block Rubber Factory located at Kottayam, the Pilot Latex Processing Factory located at the Central Experiment Station at Chethackal and the Pilot Plant for Radiation Vulcanisation of Natural Rubber latex at Kottayam are run by the Department of Processing and Product Development. The Model TSR factory established under the World Bank Assisted Rubber Project is also run by the Department of Processing and Product Development.

The Chairman exercises administrative control over all the Departments and Offices of the Board. The total number of Officers and staff under the Board as on 31.3.2003 was 2105 consisting of 310 Group 'A' Officers, 602 Group 'B' Officers, 999 Group 'C' staff and 194 Group 'D' staff. Very cordial relations existed between the staff and the executive personnel.

The activities of the different departments are summarised in the following pages.

PART - III

ADMINISTRATION

The Administration Dept. consists of the following Sections and Divisions.

01 Establishment Section (General Administration, Personnel Administration & Entitlement)

02 Marketing Division

03 Labour Welfare Section

04 Legal Section

05 Hindi Section

1. ESTABLISHMENT SECTION

(a) General Administration

The important functions of the General Administration includes constitution/ reconstitution of the Board and its Sub Committees, convening the meetings of the Board and its Committees, monitoring implementation of the decisions of the Board, managing the house keeping activities etc.

(b) Entitlement

During the year, retirement benefits were given to 65 employees including 11 who sought voluntary retirement and one who was compulsorily retired. Family pension was given to 9 persons, 8 employees who died in harness and 1 kidnapped by extremists.

36 employees were given financial assistance for construction of house by advancing Rs. 1,05,86,186/-. Vehicle advance amounting to Rs. 13,04,749/- to 68 employees (Rs.2,55,300/- as car advance to two persons, Rs. 10,04,449/- as motor cycle advance to 36 employees, Rs. 45,000/- as cycle advance to 30 employees) was given. Besides, Rs.2,02,300/- as computer advance to 5 employees and Rs. 13,000/- as fan advance to 13 employees were also given.

Service books, leave accounts and personal files of employees were properly maintained.

(c) Personnel Administration

Selection of suitable personnel to vacant positions for smooth functioning of the Board was ensured following recognised recruitment rules and statutory provisions relating to reservation of posts for candidates from SC/ST/OBC communities and physically handicapped persons. There were properly constituted Selection Committees/DPCs for selection for personnel befitting job requirements. Periodical returns on the personnel recruited at reservation points were sent to the Government.

I The total number of Officers and staff under the Board as on 31.3.2003 was 2105 as detailed below.

Sl. No.	Name of Department	Group A	Group B	Group C	Group D	Total
1	Rubber Production	172	378	559	102	1211
2	Research	64	135	187	58	444
3	Licensing & Excise Duty	23	29	82	7	141
4	Administration	14	14	62	15	105
5	Processing & Product Dev.	17	19	40	5	81
6	Finance & Accounts	6	14	29	2	51
7	Training & Technical Consultancy	9	7	27	4	47
8	Statistics & Planning	5	6	13	1	25
	Total	310	602	999	194	2105

II Groupwise details of female employees and their percentage to that of the total staff strength as on 31.3.2003.

Group	No. of female employees	Total staff strength	% of total
A	74	310	23.87
B	205	602	34.05
C	430	999	43.04
D	21	194	10.82
Grand Total	**730**	**2105**	**34.68**

2. MARKETING DIVISION

The Division attends to the work of collection of rubber prices, their compilation and dissemination. Publishing the daily prices of various grades of sheet rubber, SMR grades of block rubber and 60% latex in the Kula Lumpur market and Singapore Commodity Exchange were also attended. The price of scrap rubber was collected and published twice a week. The domestic and international prices of various grades of rubber were loaded in the website of the Board on a daily basis.

The monthly average price of various grades of sheet rubber, ISNR 20 and 60% centrifuged latex in the domestic market for the

period under report is furnished at the end of this report.

3. LABOUR WELFARE SECTION

One of the important functions of the Board as laid down under section 8, sub section 2, and clause "f" of the Rubber Act 1947 is to "secure better working conditions and the provisions and improvement of amenities and incentives for workers". These functions are envisaged as a measure for the development and promotion of the rubber plantation industry, and to inculcate and generate an interest among the workers of rubber plantation industry who are indispensable for the development and promotion of rubber cultivation.

The Board carried out the above functions during the last financial year by implementing various welfare programmes. The budget allotted for the year was Rs. 212.05 lakh and the achievement was Rs. 2,12,01,169/- as against. Rs. 1,22,16,277/- disbursed during the previous year.

The various schemes operated by the Board for the period under report are-

1. Educational stipend Scheme

The Scheme provides for financial assistance for different courses of studies done by the children of rubber plantation workers, both in colleges and schools.

The stipend consists of (1) hostel/boarding fee and (2) lumpsum grant.

2. Educational Scholarship Scheme

Under the scheme scholarship is provided to the children of rubber plantation workers who pass out meritoriously. The scholarship amount ranges from Rs. 1000/- to Rs. 5000/-. This is given as an incentive for encouraging good performance in their studies by the children of plantation workers.

Tapping of the rubber tree

3) Group Insurance cum Deposit scheme (9 phases)

This is a social security measure introduced for the security of the rubber plantation workers against injuries and death caused by accidents. The scheme has been introduced to provide insurance coverage for an amount of Rs. 20,000/- per workers employed in estates where plantation Labour Act is not applicable.

The scheme also encourages a habit of saving among the workers. The first phase started in the year 1986-87 and reached ninth phase in 2000-01 with an yearly workers contribution of Rs. 50/-. The contribution from the Board is Rs. 100/- per worker. Each scheme will be in operation for a period of ten years. An amount of Rs.1,10,684/- has been paid as

compensation under Group insurance Scheme to 40 workers during the year 2002-03.

A new Group Insurance cum Deposit Scheme was introduced in the year 2001-02 to provide insurance coverage exclusively for tappers in the small holdings for an amount of Rs. 50,000/- with a higher contribution of Rs.250/- each from among the applicants per year. The scheme provides higher compensation against accidents and also promotes the habit of saving among the tappers. The Board contributes Rs. 150/- per member annually under the scheme.

4) Housing subsidy scheme

This scheme was introduced to provide financial assistance to tappers and workers in the rubber estates, for construction of houses in their own land. Under this scheme, the area of the estate where the applicant is employed should not be less than 0.75 ha. If such a tapper constructs a house as per the provisions of the scheme, a maximum amount of Rs. 7500/- or 25% of estimated cost whichever is less, will be granted as subsidy.

5) Scheme for providing sanitary facilities

The purpose of this scheme is to stimulate an interest for hygienic environment among the rubber tappers in the unorganised sector. This scheme assists the tappers to build latrine as per the plan and estimate prescribed by the Board. The financial assistance covers either 75% of the cost of construction or Rs. 3,000/- whichever is less.

6) Medical Attendance Scheme

This scheme was introduced for the betterment of the health of the tappers in the unorganised sector. This scheme provides for reimbursement of medical expenses incurred for treatment of the tappers suffering from illness. The maximum amount payable is Rs.2000/- in an year. Higher financial assistance is given in case of serious diseases, to the extent of Rs. 10,000/- per applicant during his life time.

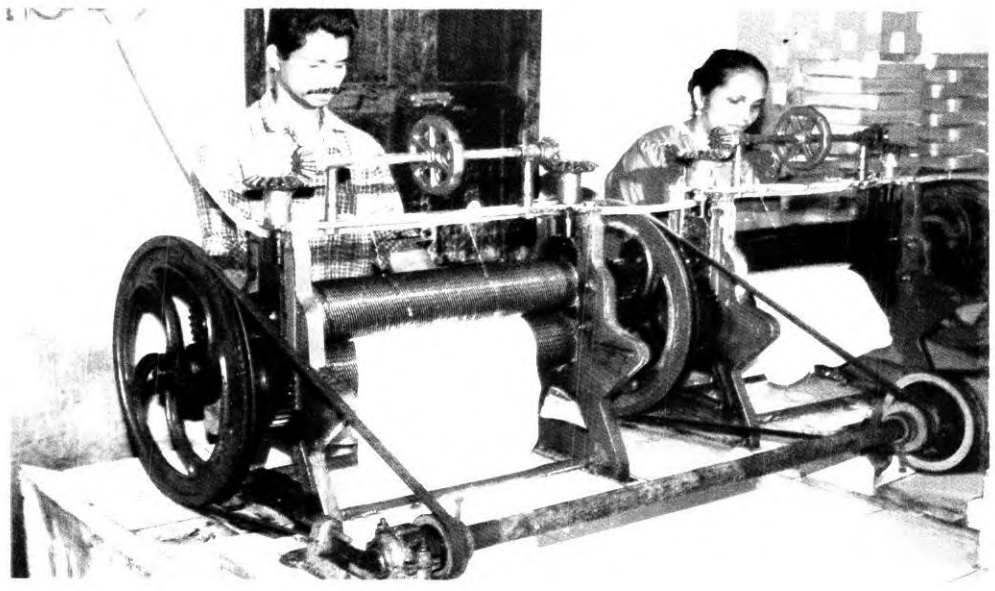

Rubber Sheeting

Another benefit is also given under the scheme to the tappers who have undergone sterilization operation. It is provided as an encouragement for the promotion of small

family norms among the small holding sector rubber tappers.

7) Housing and sanitary subsidy scheme for SC/ST/OBC

This scheme is exclusively for SC/ST/OBC tappers who are employed in the unorganised sector. Assistance under this scheme is granted for construction of house with latrine to the extent of Rs. 14,000/- per applicant.

The scheme is financed from SCP/TSP fund.

Performance under the schemes for the year 2002-03 is as shown below:

Name of scheme	Total No. of beneficiaries	Total amount disbursed (Rs)	Budget allocation for 2002-03 (Rs)
Educational stipend	5669	3061463	3051050
Educational scholarship	214	101750	111950
Group Insurance cum deposit	9068	1034900	1036005
Housing subsidy	1219	9147500	9105000
sanitary subsidy	653	1956500	1989000
Medical attendance	450	766681	773986
Housing & sanitary subsidy (SC/ST/OBC)	692	5132375	5138375
Total	**17965**	**21201169**	**21205366**

4. LEGAL SECTION

Legal Section discharges the function of rendering advice/opinion to various departments /sections/ divisions of the Board, drafting legal documents, initiating steps for prosecution under the Rubber Act, 1947, assisting the departments in concilleation proceedings in labour matters, tax cases and instructing and assisting the lawyers of the Board in conducting the litigations of the Board.

During the year under report, timely action/advice was rendered in 960 files referred to the legal section. Scruitiny of documents for determining the eligibility under the Rules was done in the cases of 36 applications for House Building Advances. Legal documents to be executed by the Board during the year under report were drafted/prepared as and when required. Appropriate steps were taken through lawyers to safegard the interest of the Board in cases filed against the Board in various courts. Parawise comments and necessary instructions were given to Standing Counsels of the Board and the Central Government pleaders in cases pending in High Court and Supreme Court. In consumer disputes files before Redressal Forum in various districts the Section prepared and filed replies and represented the Board during the hearing.

Necessary assistance was given to RRS Dhenkanal, NRETC Andamans, Central Experiment Station, Chethakal, RRII Farm, HBSs Nettana and Paraliar, Nurseries/farms of RP Dept. etc. in dealing with labour matters. The Section prepared draft amendments proposed by the Board to Rubber Act, Rubber Rules, Rubber Board Employee's Conduct Rules and Rubber Board Service (Classification, Control and Appeal) Rules.

5. HINDI SECTION

The Rubber Board is a notified office under Rule 10(4) of Official language Rules.

The following activities were undertaken by the Hindi Section of the Rubber Board during the reporting year.

Official Language Implementation Committee

Four meetings of the Official Language Implementation Committee of the Board were

held during the year. Quarterly Progress reports on Official Language implementation were presented in the meetings and discussed. The Agenda papers were prepared in accordance with the instructions of the Department of Official Language.

Hindi Advisory Committee Meeting

The Hindi Advisory Committee Meetings of the Ministry of Commerce and Industry held on 2002 were attended by the Chairman and Asst. Director(OL) and that held on 22.11.02, the Director (L&ED) and Asst. Director(OL).

Hindi Fortnight/Hindi Day Celebration

Hindi fortnight was celebrated from 17th to 27th September 2002 at the Headquarters of the Board and the Rubber Research Institute of India. A number of officers/employees participated in the various competitions conducted and winners were given prizes.

Hindi day was celebrated in 30 subordinate offices of the Board. Various competitions were arranged for the employees and winners were given prizes and certificates. Different eminent personalities attended these functions.

Bi-monthly bulletin in Hindi

The Bi-monthly Hindi bulletin "Rubber Samachar" were brought out during the year.

Hindi Teaching Scheme

As per the policy of the Union, Hindi Teaching in 'C' region has to be completed by the year 2005. Various classes under the Hindi teaching were conducted at Head Office and RRII. 9 Officials attended Hindi Typewriting classes. 28 officials passed Pragya examination during the year and 5 officials passed Typewriting examination. Cash award and personal pay were given to the eligible officials for passing these examinations.

Hindi Workshop

Hindi Workshops were conducted in 25 Regional Offices. A total of 457 officers/employees were imparted training in Official Language.

Town Official Language Implementation Committee

Two meetings of TOLIC Committee were conducted during the year. The Chairman, Rubber board is the Chairman of the TOLIC. Joint Hindi Week Celebration was also conducted during the year for the officials of the member organisations.

Hindi Library

A Hindi Library is functioning under the Hindi Section of the Board. Board's employees utilize this facility. For encouraging noting and drafting in Hindi, necessary books were purchased and supplied to different offices of the Board.

General

As per Section 3(3) of the OL Act, the documents like Office memoranda, Circulars and Orders were translated to Hindi.

Rubber Board was awarded a trophy for having secured the highest points in joint Hindi Week Celebration of Town Official Language Implementation Committee, Kottayam.

Schemes of the Government

The computer installed in Hindi Section has been provided with multilingual software. Action is in progress to install Hindi Software in all other computers.

Aaj Ka Sabda

The Board Continued writing Aaj Ka Sabda at Head Office. Instructions were also issued to Subordinate Offices for writing Aaj Ka Sabda.

Incentive Scheme for original work in Hindi

More officials were encouraged to do original noting in Hindi. Necessary assistance was provided to them for writing and noting in Hindi. A total of 215 officials participated in the

incentive scheme and they were given cash awards under the scheme.

Official Language Inspection

Official Language Inspections were conducted in 18 subordinate offices of the Board during the year.

DIVISIONS FUNCTIONING UNDER THE DIRECT CONTROL OF CHAIRMAN

1. Publicity & Public Relations Division
2. Vigilance Division

1. Publicity & Public Relations Division

The P&PR Division published the following journals and other publications on various aspects of rubber cultivation during the period.

Life Subscriptions : 6086 Nos.

2. Rubber Statistical News

12 Issues of the 'Rubber Statistical News' were brought out during the year 2002-03.

3. Press Release

54 Press releases were issued from the Division.

4. Advertisements

105 advertisements (including display and classified) were issued and 96 advertisements were received for "Rubber"Magazine.

5. All India Radio

One talk was recorded and broadcast through the AIR by the Asst. Director(P) of the Division. The Asst. Director(P) also worked as a member in the committee which organised and arranged for the recording and broadcast of a 13 episode series in AIR on Rubber.

Rubber Board stall at UPASI exhibition

1. Rubber Magazine

12 Issues of the magazine were brought out during the year. The circulation position is

Average monthly subscriptions : 13958 Nos.

6. Seminars & Meetings

The Officers of the Division participated and spoke in several seminars, meetings and other public functions connected with the Board, companies, Rubber Producers' Societies, Inter Media Publicity Co-ordination Committee, Public Sector Public Relations Forum and All India Radio etc.

7. Exhibition

The division participated in 11 exhibitions viz.

i. UPASI exhibition at Coonoor
ii. Khadimela at Kottayam
iii. Karshikamela at Thodupuzha
iv. Suvarnotsav at Muvattupuzha
v. Exhibition at Baselius College, Kottayam
vi. Mathrubhoomi JTFC Mela at Thrissur
vii. Index at Kottayam
viii. India Rubber Expo,Mumbai
ix 'Fusion' 2003 at Thodupuzha
x. One day exhibition at Kulasekharam held in connection with Centenary Celebrations.
xi. One day exhibition at Kannur held in connection with Cenetenary Celebrations.

8. Articles

Officers of the division published 14 articles in various dailies,agricultural magazines and the "Rubber" Magazine.

9. Inside Rubber Board

3 issues of 'Inside Rubber Board' were published.

10. Rubber Grower's Companion 2003

9750 copies of "Rubber Grower's Companion 2003" and 1000 Nos. of "Rubber and its Cultivation" were printed and distributed.

11. Centenary Celebrations

The Centenary Celebration of rubber plantations in India was held in the year 2002. Wide publicity was given for the Celebration. A souvenir comprising 118 pages was brought out in connection with the centenary Celebration of rubber plantation industry in India.

2.VIGILANCE DIVISION

1. Enquiry/Investigation

The Vigilance Division of the Board took up enquiry/investigation on 11 complaints against 5 Group A & B officers and 6 Group C & D employees during the year under report. All these complaints were properly enquired into and appropriate action was recommended / taken against the erring Board's employees wherever found necessary.

2. Cases

Major Panalty proceedings against one official and minor penalty action against 2 officials were initiated during the period under report.

3. Property statements and aquisition/ disposal of movable/immovable property

Annual statements of immovable property as on 31.12.2002 were called for from all officers of Group A & B status. The statements thus received from the officers have been properly dealt with. The Vigilance Division also processed 98 applications relating to transactions in immovable property and 70 applications pertaining to transactions in movable property.

4. Other activities

As per instructions received from the Central Vigilance Commission, the Board observed the "Vigilance Awareness Week" during the period from 31.10.2002 to 6.11.2002 by taking a pledge by all officers and employees of the Board and exhibiting posters and banners in and around the office premises. Necessary advice was rendered to various Departments of the Board on matters referred to the Division.

PART IV

RUBBER PRODUCTION

The Rubber Production department is responsible for planning, formulation and implementation of schemes for promoting rubber cultivation, production of natural rubber, supporting primary processing and improving quality of the produce. The major programmes formulated and implemented during the year 2002-2003 are as follows.

1) Rubber Plantation Development Scheme

The scheme provided for free extension support and financial assistance for undertaking replanting of old and uneconomic plantations and for new planting. The target for replanting was 3200 ha and that for new planting was 3000 ha.(including 2000 ha. in NE). The financial target for the year 2002-2003 was Rs.1280.95 lakh. The performance results of the RPD Scheme during 2002-2003,are shown below.

Particulars	2002-2003
1. No. of applications	12257
2. Area as per applications(ha)	9038.24
3. No. of permit issued	9119
4. Permitted area (ha)	6465.49
5. Amount disbursed as assistance - including spill over payment of previous year	Rs.1425 lakh

Insurance of Rubber plantations

Rubber plantations are insured against natural calamities. All immature plantations raised under the RPD scheme and mature plantations on a voluntary basis upto 22 years of age are given insurance coverage. Insurance of immature plantations outside the RPD Scheme, is optional to the growers.Details of plantations insured and compensation paid are given below.

Details	2002-2003	Cumulative total upto 2002-2003
Immature area insured (in ha)	4,983.53	95,954.97
No. of holdings insured	7,734	1,44,079
Compensation paid (in lakh)	38.19	227.61
No. of holdings	433	6148
No. of beneficiaries	1282	6131

Rubber Plantation Development in NE Region

Considering the excellent potential for rubber plantation development in the North Eastern region, Rubber Production Department continued its activities for servicing the existing plantations and concentrated on area expansion. 3060 applications covering an area of 2643.27 ha were received under RPD scheme for new planting, out of which 2614 permits were issued for planting an area of 2202.61 ha. During the year, 107 tribals were selected for block planting in an area of 110.2 ha. The cumulative total area of Block planting and the number of beneficiaries as on 31.03.03 were 2653.28 ha. and 2338 Nos. respectively. 1182 beneficiaries participated in group planting in an area of 497.33 ha. The total area under group planting as on 31.3.03 was 1662.30 ha. In order to raise polybagged plants for next years' planting 11.17 lakh budded stumps to 2641 growers were distributed. Rs. 461.63 lakh was disbursed during this year under Rubber Plantation Development Scheme in the North-Eastern Region.

Group processing

Nucleus Rubber Estate and Training Centres (NRETC) and District Development Centres (DDC)

The Nucleus Rubber Estate and Training Centres (NRETC) in Tripura State and District Development Centres (DDC) in the states of Assam (2 Nos.) and Meghalaya (1 No.) are maintained by the Department to cater to the needs of rubber growers. The Rubber Research and Training Centre at Agartala and DDC Jinggitchakgre have conducted training on various subjects for 50 batches comprising 732 growers. Exhibitions were also conducted which were visited by 2600 growers. 109 RPSs/ RGSs were formed with a total grower participation of 6650. Six seminars, 557 group meeting/ campaigns were conducted and the grower participation was 10407. A Rubber Plantation Training and Research Centre is being established in Assam.

Non-Traditional area other than NE Region

The department continued its activities of servicing existing plantations and also expanding area under rubber in the states of Karnataka,

Maharashtra, Goa, Orisssa, Andhra Pradesh, West Bengal. Apart from the Rubber Plantation Development Scheme and other extension support schemes, Block plantation project aimed at economic settlement of Tribal growers were also under implementation in these regions. 106 applications for planting an area of 63.55 ha. were received out of which 79 permits covering an area of 54.55 ha. were issued. The planting grant disbursed was Rs. 9.30 lakh. 72 tribal families were benefited through Block Planting Scheme. 35 Group meetings were conducted in which 944 growers participated.

2. Promotion of rubber cultivation among scheduled castes/scheduled tribes through block planting and group planting schemes.

This project, implemented jointly by the Board and the concerned State Governments, are currently in operation in the States of Kerala, Tripura, Orissa, Andhra Pradesh and Karnataka. It is implemented by adopting an integrated approach aiming at the overall development of Tribal/ SC category of growers. The concerned State Governments are financially supporting the project. The details are as shown below.

State	Planting in 2002-2003 (in ha)	Total area planted upto 2002-03 (in ha)
Tripura	110.20	2653.26
Orissa	62.48	250.00
Andhra Pradesh	Nil	82.00
Karnataka	49.80	225.00
Kerala	91.18	1380.34
Total	**313.66**	**4590.60**

3) Advisory and Extension services to growers for scientific planting and production and Supply of plantation requisites for popularization and improving production and processing.

a) Assistance for primary processing, ancillary income generation etc.

These are schemes, formulated and implemented by the Extension wing, on a need basis for providing financial and technical assistance. The physical and financial target and achievement for various schemes are given below.

Sl. No.	Scheme	Target		Achievement	
		Physical Nos.	Financial Rs. lakh	Physical Nos.	Financial Rs. lakh
	I TRADITIONAL AREA				
1	Assistance for installing Rubber Sheeting Roller	878	8.78	878	8.78
2	Assistance for constructing Smoke House	1573	47.14	1573	47.14
3	Distribution of leguminous Cover seeds				
	1. Pueraria seeds		4.41	4206 kg	4.16
	2. Mucuna seeds			550 kg	0.41
4	Assistance for generating Biogas	1733	48.91	1733	49.34

	Scheme	Target Physical Nos.	Target Financial Rs. lakh	Achievement Physical Nos.	Achievement Financial Rs. lakh
	II NT AREAS				
1.	Assistance for constructing Smoke House		40	4.00 70	3.89
2.	Assistance for installing Rubber Sheeting				
2.	Roller	40	2.00	29 1.31	
3	*Assistance for transportation of estate inputs		-	6.55 -	6.55

Assistance for transportation of estate inputs was given to M/s. Manimalayar Rubbers (P) Ltd. (a trading company promoted by the Board) for transporting estate inputs to the NE region.

In addition to the above schemes, certain other schemes have been formulated for the non-traditional area alone. The target and achievement for the same in the year 2002-03 are as follows:-

Sl. No.	Scheme	Target Physical Nos.	Target Financial Rs. in lakh	Achievement Physical Nos.	Achievement Financial Rs.in lakh
1	Boundary protection (General category)	-	5.00	736	13.34
2	Irrigation	40	2.00	4	0.63

b) Planting Material Generation

With the twin objective of promoting quality planting material and controlling its market price, the Board is producing and distributing quality planting material to a limited extent to growers at cost price. Price concession is also offered to the small growers. The planting material so produced were issued to the needy growers for raising source bush material or for raising plantations. The details of planting material generated during the year 2002-03 are:

No. of nurseries owned by the Board - 15 (including the Central Nursery and the Nurseries in the DDCs)

Area of Nurseries - 72.17 ha

Item	Achievement
Production in Traditional Area	
Green budded stumps	1,66,208 nos.
Brown budded stumps	6,67,524 ,,
Total	8,33,732 ,,
Production in NT areas	
Brown budded stumps	5,63,070 ,,

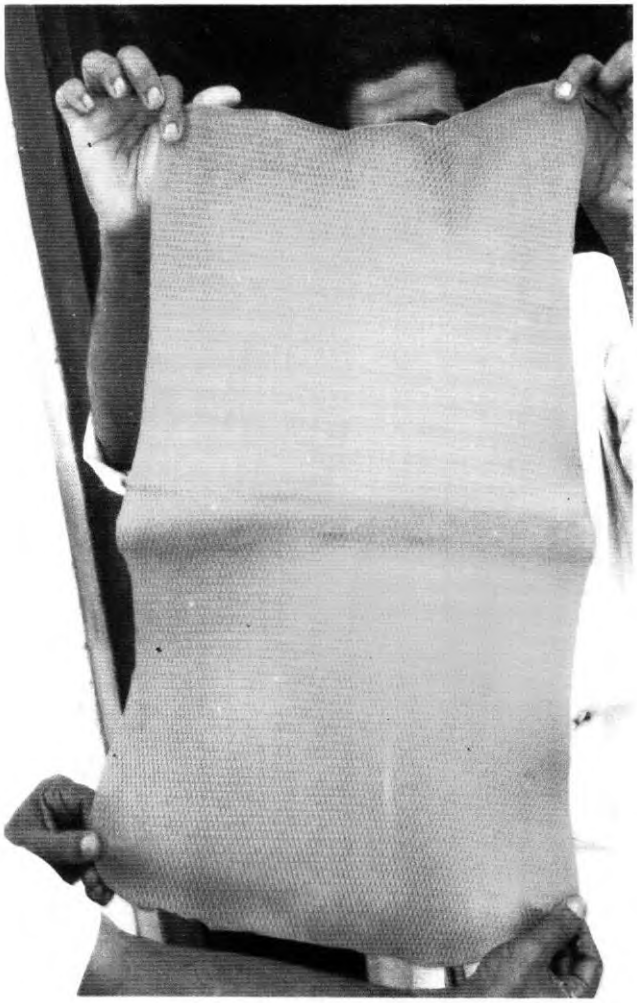

Grading of Rubber Sheets

K.M. Chandy Memorial Best Grower Award" to be given biennially to the Best Rubber Producers' Society and small Growers respectively. During the year, the Suvarna Sangham Award was given to Kalampur RPS and Prof. KM Chandy Memorial Award to Sri Sadanandan, Nimil Bhavan, Pidavoor, Pathanapuram on 2nd January 2003.

4) **Schemes for primary processing and quality upgradation of small holders produce.**

Modernization of Technically Specified Rubber Factories

The scheme is aimed at supporting RPSs to set up crop collection and group processing facilities so as to establish a better raw material supply chain for quality upgradation of Technically Specified Rubber (Block Rubber).

Details of assistance given to RPSs under the scheme for modernization of TSR factories are shown below.

c) Sasthradarshan Programme

Under the Sasthradarshan Programme, a total number of 250 growers from the non-raditional area was brought to Kerala in 20 batches from Agarthala, Guwahati and Parlekhamundi and they were given training on various aspects of rubber cultivation in traditional areas.

d) Suvarna Sangham and Best small Grower Award

The Board has instituted two awards namely "Suvarna Sangham Award" and "Prof.

Packing of Rubber Sheets

Sl. No	Nature of assistance	No.of RPSs	Assistance (Rs. in lakh)
1.	Construction of Building	58	74.33
2.	Other facilities	59	10.10
3	Effluent treatment	44	33.00
4	Sheeting Battery	50	24.75
5	Aluminium dishes	59	13.80
6	Coagulation troughs	26	11.70
7	Latex collection equipments	166	17.91
8	Barrels and gas	100	11.38
	Total		**196.97**

5) **Promotion of group activities, self help groups among small rubber holders - RPS/Model RPS.**

Rubber Producers' Societies (RPS)

The Board has adopted a group approach growers by participatory approach. Efforts are also being made to revitalize the defunct RPSs. Details of RPSs thus formed are shown below.

Details	2002-2003	Cumulative upto 2002-2003
RPSs newly formed	21	2148
RPSs rejuvenated	25	810

During the year, 2733 executive meetings of RPSs were arranged in which 15519 Director Board members participated. Besides 855 General body meetings of RPSs were conducted in which 20175 growers participaed.

Model RPSs, the technology transfer centres

The Board has selected 35 RPSs, 30 in traditional region, and 5 in non traditional region, as model RPSs and they are supported by the Board financially and technically to set up infrastructure required for functioning as centres

Weighing of Rubber Sheets

for technology transfer and model primary processing. These model RPSs are also functioning as Training centres for growers, workers etc. Training programmes were conducted on various subjects such as plantation management, quality sheet making, beekeeping, manuring, plant protection and tapping etc. These centres have been equipped with audio visual facility for conducting training programmes.

For the effective use of information technology for knowledge upgradation computers were used by major centres. Audio visual aids provided to the Regional Offices of the Board, were used in 1080 meetings in which 32192 growers attended.

Financial assistance for construction of smoke house to RPSs for group processing

Financial assistance were also given to RPSs for construction of smoke house with a capacity of 1000 kg for quality upgradation of sheet rubber. The details of assistance are given below:

No. of beneficiary RPSs - 20 Nos.

Amount paid - Rs. 20 lakh

During the year, an amount of Rs. 6.54 lakh was also disbursed to 30 RPSs being the spill over payment of the previous year.

Financial Assistance for group processing under 10th plan

Rs. 12.15 lakh was disbursed among 28 RPSs for purchasing material for group processing. In addition, Rs. 3.60 lakh was disbursed among 8 other RPSs as part payment for construction of smoke houses.

Farmer education programme

For reason of wide ratio between the extension officials and growers numbering about a million, the department has been promoting a group approach to maintain contact with the grower community. Compaign programmes are being conducted every year in order to popularise the modern techniques of rubber cultivation and processing.

During the period, 4012 metings/seminars were conducted in which 99759 growers participated. The main theme of the meeting/ seminars was cost competitiveness in rubber production.

The details of the meetings conducted and the number of participants are given below.

Type of meeting	No: of meetings	Participants
Full day seminar	60	5168
Half day meeting	731	22600
Group meeting	1132	19055
Compaign meeting	2089	52936
Total	**4012**	**99759**

6) **Training of rubber tappers and growers for income generation**

Tappers Training

There are 23 regular Tappers Training Schools run by the Board at different plantation centres for imparting training to small growers and workers in tapping. The details are given below.

Sl. No.	Area	Target		Achievement	
		Physical (in batches)	Financial (in lakh)	Physical (in batches)	Financial (in lakh)
1	Traditional area	122	18.96	1569 trainees in 108 batches	13.48
2	Non traditional area	33	20 batches	303 trainees in	2.16
	Total	**155**	**24.07**	**128**	**15.64**

The Board is also conducting short term intensive training courses on various practical aspects of scientific tapping.

Details are shown below:-

Sl. No.	Area	Target		Achievement	
		Physical (No. of batches)	Financial (in Rs. lakh)	Physical (No. of batches)	Financial (in Rs. lakh)
1	Traditional area	425	19.98	*430	19.04
2	Non traditional area	73	3.03	69	2.76

* In total 8074 tappers/growers (7344 in traditional area and 730 in NT area) were trained in 499 batches.

Women empowerment programme

The department through its Development Officer (women Development) in the central office and nodel officers in Regional Offices continued to provide logistic support to the women empowerment programmes (income generation as well as training activities) initiated by RPSs under the World Bank Assisted India Rubber Project. The women self help groups were supported strongly in the areas of training and for marketing of their products.

Training Programme for Tecnhical Officers/Growers

As part of Human Resources Development programmes of the Rubber Board, two development Officers were deputed for training to Michigan State University in USA. 34 Extension Officers of the Board and 13 Director Board Members of RPSs were trained at Indian Institute of plantation Management at Bangalore. 20 Extension Officers were trained at Kerala Agriculture University on Gender perspective in Agriculture Programme. In addition, five growers, one officer from the Ministry of Commerce, Govt. of India and the Joint Rubber Production Commissioner (Etxn) were deputed to Thailand for attending an international rubber growers' conference.

PART V

RUBBER RESEARCH

The Rubber Research Institute of India (RRII) was established in 1955 with its headquarters at Kottayam. The main research farm of the Institute is located in an area of 250 ha. at Ranni in Pathanamthitta District, Kerala State. It has 12 Regional Research Stations spread across the country in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Chattisgarh, Orissa, West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. Five Regional Research Stations in the North-East form the North-Eastern Research complex with its headquarters at Agarthala. RRII has 125 Scientists and 319 supporting staff and conducts research and development work in the

Rubber Research Institute of India

fields of plant breeding, germplasm conservation, biotechnology, exploitation, agronomy and soil science, Plant pathology, economics and rubber processing and rubber technology.

Research programmes of Botany division on crop improvement progressed well. Five clones namely, RRII 414, RRII 417, RRII 422, RRII 429 and RRII 430, continued to give better yield than RRII 105 in the small-scale trial with yield improvement ranging from 23 to 49 percent. These clones are maintaining similar trend in the large-scale trial also. In the multidisciplinary trial, clones PB 314, PB 255, PB 312, PB 280, PB 311 and PB 260 were performing better than RRII 105 after four years of yield recording. Clones PB 235, PB 280 and PB 260 showed high vigour and high yield indicating their potential as latex timber clones. In the trial on progenies of prepotent clones, fifty clones showed promising yield compared to RRII 105. Young budded plants were found superior to green budded plants. Pollen sterility was found to be more in brown bast affected trees than in normal trees.

Conservation, characterization and evaluation of germplasm of both Wickham and wild origin were continued. Multiplication of 1250 wild germplasm accessions for re-establishment of source bush nurseries was completed. One hundred and thirty eight herbarium specimens of 46 accessions were prepared. A data bank software was developed in the Institute and data entry was initiated. One round of field screening for Oidium resistance was completed in both source bush nurseries and field trials. Four species of Hevea, viz., H. guianensis, H. pauciflora, H. collina and H. camaragoana were obtained from the Rubber Research Institute of Indonesia. Two species, H. spruceana and H. benthamiana were supplied to the Rubber Research Institute of Sri Lanka. In the RAPD studies on three Hevea species, species specific markers were identified that could be successfully used in the diagnosis of interspecific hybrids. In another study seven unique polymorphic fragments have been detected in H. benthamiana showing resistance to various fungal diseases.

A large scale field evaluation of RRII 105 plants produced through somatic embryogenesis was laid out at the Central Experiment Station by the Biotechnology Division. Transgenic Hevea plants integrated with the gene coding for superoxide dismutase produced earlier were found growing well. Twenty more transgenic plants integrated with the same gene were hardened and established in the polythene bags. The structure of the gene coding for B-1,3 glucanase involved in tolerance to many diseases was isolated and studied. Methods were standardized for developing cDNA and genomic DNA libraries of Hevea brasiliensis. A partial cDNA and genomic DNA library were developed.

Recommendation of low frequency tapping systems for reducing cost of production of NR was well received in the estate sector and medium holdings. Efforts are on to popularize these among small holdings. Success of low frequency tapping got international recognition and the leader of the exploitation research team of RRII was made liaison officer of the International Rubber Research and Development Board (IRRDB) for coordinating international activities of the newly constituted specialists group of exploitation scientists of member countries. A number of lab to land programmes were undertaken for extending low frequency tapping. Latex diagnosis studies were continued in small holdings and estates for advisory work. Studies were extended to RRII 400 series clones.

Investigations of the Agronomy Division on integrated weed management, soil and water conservation, intercropping and cropping systems integrating annual and perennial crops and timber species and fertilizer management progressed satisfactorily. Results from the fertilizer experiment indicated the possibility of re-

ducing the dose and frequency of application of nitrogen through controlled release of fertilizer. The experiment on weed management revealed that an integrated approach of spraying the herbicide glyphosate in the plant basin and slash weeding the remaining areas could be cost effective and eco-friendly. In the study on the effectiveness and bowl sludge, a waste material from latex centrifuge factories, it was found that the sludge was as good as rock phosphate in promoting growth and yield of rubber. Results of a survey showed that growth and yield of rubber are better in low lying areas and upland paddy fields. As an advisory service to the planters, discriminatory fertilizer recommendations were provided on 837 individual fields belonging to 29 large estates. For discriminatory fertilizer applications, the DRIS unit of the Agronomy division analysed 9924 soil samples and 1142 leaf samples and 5200 recommendations were issued to holdings.

Plant Pathology Division conducted surveys on disease occurrence and investigations on control measures. A survey on Phytophthora leaf fall disease on RRII 105 was conducted covering an area of 1,30,000 hectares. More than 60% of the area had moderate to severe leaf fall. Over 600 accessions of wild genotypes were screened for tolerance to Phytophthora and Oidium leaf diseases. The work yielded 10 accessions tolerant to Phytophthora and 20 accessions to Oidium. In the disease control trials, 20% dusting of hexagonazole was observed to give simultaneous protection against Oidium and Corynespora leaf diseases. Studies on seasonal occurrence of Corynespora leaf disease revealed that the peak incidence of the disease was from mid March to April. For the control of borer beetles, swabbing the affected tree trunk with a mixture of carbaryl 0.5% and quinalphos 0.25% was found effective.

Clonal variation in chlrophyll degradation was observed when leaf discs were incubated in 60% PEG and exposed to open sunlight. The degradation was faster in young leaves and more than 60% of chlorophyll was found degraded. The method appeared to be good for screening for drought and high light tolerance. RAPD analysis of the root stock and scion showed that the genetic distance between root stock and scion was higher in TPD affected trees than in normal healthy trees of Hevea. Ethylene evolution was found to be more in TPD affected trees.

Studies on the quality status of sheet rubber from different rubber growing regions was

Training in upward tapping

continued by the Rubber Chemistry, Physics and Technology (RCPT) division. The semiautomatic machine for cleaning sheet rubber was modified for improving its performance and reducing cost. In order to upgrade the quality of field coagulum, a preservative was identified. Enzymatically deproteinized natural rubber latex was prepared and evaluated in a gloves producing unit to test the feasibility of the process. Six hundred kg of ENR-50 latex was supplied to a prominent industrial group for R & D trials. A titration method for the quick determination of dry rubber content of NR latex was standardized. An accelerated test was developed to predict the maximum attainable value for MST, viscosity and KOH number of centrifuged NR latex having VFA under control with reasonable accuracy within four days of its production.

The implications of WTO agreement on Indian natural rubber sector was studied by the Economics division and has resulted in two reports namely, 1. The Genesis of WTO and the Aftermath, and 2. WTO and the Natural Rubber Sector in India. Socio-economic status of the tappers in the small holding sector was studied in another study. The study indicated need for reorienting the wage structure based on tapper productivity. An incentive scheme is considered to be necessary to improve tapping efficiency and to ensure retention of highly skilled and experienced tappers. From a long-term perspective, a labour reserve mechanism attached to the Rubber Producers Societies was considered essential.

The Regional Research Stations located in different regions carried out location specific research on Hevea cultivation and exploitation. At Regional Research Station, Agartala the trial on intercropping of tea with rubber progressed well. The yield of tea leaf was maximum in the month of October. High density planting was found to reduce wind damage. A three tier wind belt was also found to reduce wind damage. From the experiments at Agarthala, the clone PB 235 was found to be the top yielder followed by RRII 203 and RRIM 600. The mobile soil testing unit attached to the Station provided discriminatory fertilizer recommendations to 188 growers based on soil and leaf analysis.

At the Regional Research Station, Tura in Meghalaya, the clone RRIM 600 is the top yielder followed by RRII 105 and PB 235. In a tapping study conducted in the station, it was found that in order to protect the tappers from cold, tapping time may be shifted to 8-9 AM in the Garo hills during the winter period which will not affect the productivity levels. Plants on the southern slopes showed less growth but better yield. Disease survey showed absence of any serious disease in rubber plantation in the Garo hills.

At Regional Research Station, Guwahati, results revealed superiority of the clone RRIM 600 both in growth and yield. Yield and DRC were the highest under d/4 frequency of tapping with three months rest. In the Experiment Station at West Bengal, SCATC 93/114 was found to be superior in growth and yield. Twelve wild genotypes were assessed as resistant to powdery mildew disease. High incidence of the disease was noticed at Giti and Rongo in North Bengal.

At Regional Research Station, Dapchari in Maharashtra, the highest cumulative yield was obtained with tapping rest in May and June with 4 stimulations per year under third daily tapping. Under irrigated condition also 4 yearly stimulations were found to be optimum to get maximum yield. From the research conducted at this station which is a drought prone zone, clones RRII 208 and RRII 6 were found to be better in growth and yield. Evaluation of polycross progenies in the zone has shown that even though the zone experiences more than seven months without rain, yield obtained was about 800 kg per hectare.

At Regional Research Station, Dhenkanal in Orissa among the popular clones growth rate was the highest for clone GT 1, followed by clones RRIM 600 and RRII 105. However, yield was the highest from clone RRIM 600.

At Hevea Breeding Station in Karnataka, performance was better for clones PB 235, PB 260 and RRII 105. Among the new clones RRII 429 showed better growth performance.

At Hevea Breeding Station at Paraliyar, root trainer plants were raised as substitute for poly bag plants. Cost of production is less and it is easy to transport. Survival in the field was also better.

The Annual Review Meeting for the year 2002 was conducted from September 2 to 14. All the scientists of RRII and the Regional Stations presented the progress of research work. The expert panel members critically reviewed the progress of work. Based on the recommendations of the experts' panel, the work programmes of the research projects were fine tuned.

The highlights of research for the last one year was compiled and presented before the Research and Development Committee at its meeting held on 5th October 2002. The Committee reviewed the research programmes and offered useful suggestions. An internet portal of the Rubber Board "www.rubberboard.org.in" was launched by Sri. L.V. Saptharishi IAS, Additional Secretary, Dept. of Commerce, Ministry of Commerce and Industry on 6th July, 2002. The portal provides a wide range of information on the Boards activities with regularly updated information on daily rubber price in the national and international markets, weather data, news, events, training calendar etc.

Technology Transfer cum Training Centre of Nellikkunnu Rubber producers' society

During the year, eight scientific seminars were conducted in which 26 research papers were presented and discussed.

Two scientists were trained in specialised subjects. One scientist participated in the International Conference on Plant Genetic Re-

sources at Gatersleben, Germany and presented a paper on "Genetic Resource Management of Hevea in India." One Scientist from the Genome Analysis Laboratory had undergone an advanced training in Plant DNA markers at the University of Udine, Italy for a period of three months. The Environment Physiologist has undergone a two months' advanced training programme in plant photosynthesis at the University of Georgia, USA. Dy. Director, Regional Research Station, Guwahati has undergone a specialized training in "Low temperature stress studies" at National Research Council, Italy for a period of six weeks. Dy. Director, Central Experiment Station and Plant Pathologist, RRS, Guwahati has undertaken a study visit to the Malaysian Rubber Board and Indonesian Rubber Research Institute for a period of two weeks. The Germplasm Botanist and a Scientist from Economic Research Division have undergone a joint training programme on rubber wood processing, utilization and timber latex clones at various international centres of repute in Malaysia for a period of 35 days. The Dy. Director, RCPT has undergone an advanced training in NR Processing and Technology by availing an IRRDB Fellowship for a period of 45 days.

Joint Directior (Exploitation), Dy. Director (Economics) and Deputy Director (Germplasm) participated in the joint workshop on Plant Breeding, Agronomy and Socio-economics organized by the International Rubber Research and Development Board, Malaysian Rubber Board and the Indonesian Rubber Research Institute in August-September 2002. Presentation on exploitation technology led to formation of IRRDB specialist group on exploitation technology.

Two guest scientists from Indian Agricultural Research Institute visited RRII and delivered lectures on Plant Pathological aspects. Three Polish Scientists visited RRII during November 2002.

Twenty One Scientists and the Jr. Publication Officer of RRII participated in the Fifteenth Plantation Crops Symposium (PLACROSYM XV) held at Mysore. Twenty research papers were presented from RRII. The Dr. C.S. Venkataram Memorial Award for the best original research work presented orally in the symposium was awarded to the paper from RRII entitled "Molecular characterisation of fungal pathogens causing leaf diseases in rubber Hevea brasiliensis. A poster presentation from the RRII entitled "Towards development of a rubber information system" was given best poster award.

PLANTERS' CONFERENCE

To mark the centenary of commercial cultivation of rubber in India, a national conference , 'Rubber Planters' Conference 2002' with the theme 'Global Competitiveness of Indian Rubber Plantation Industry' was held at the Rubber Research Institute of India, Kottayam on 21st and 22nd November 2002. It provided a platform for meaningful interface between the planters, experts and scientists in the field from various national and international organizations.

In the two day conference there were 10 sessions. In the inaugural session the keynote address with the title 'Natural Rubber-Yesterday, Today and Tomorrow' was delivered by the former Rubber Production Commissioner, Shri P. Mukundan Menon. He threw light on the achievements of the Indian rubber plantation industry and its salient features and inherent strength to face the challenges ahead. Dr. AFS Budiman, Secretary-General of the International Rubber Study Group, London and Dr. Abdul Aziz bin SA Kadir, Secretary-General of the International Rubber Research & Development Board, Malaysia presented papers in the inaugural session. Dr. Budiman indicated based on a recent study undertaken by the IRSG, that by 2005, the global supply of NR would be short of the demand and this would ultimately reflect in the prices of NR, as well. He pointed out that this might happen even by 2003. He further stated that natural rubber has no threat provided no unforeseen events occur in the global economic scenario. The paper presented by Dr. Abdul Aziz bin SA Kadir was rich with data on

research priorities in various rubber producing countries, particularly in the area of intercropping, crop exploitation and generation of ancillary income from rubber plantations.

The inaugural session, was followed by four technical sessions on topics like agromanagement, planting materials, crop exploitation and processing on the first day. On the second day, there were four sessions on ecological issues, crop protection, rubber economics and agricultural extension. Several scientific and technical papers were presented in the various sessions chaired by experts in the respective fields.

The two day conference came to a close on the evening of 22nd November with a valedictory meeting. Shri S.M. Desalphine, Chairman, Rubber Board presided over the meeting. Dr. N.M. Mathew, Director of Research summed up the proceedings.

On 23rd November 2002 a field day was hosted by the UPASI at Mundakayam. Field demonstration on latest developments in planning, intercropping, multicropping, farm mechanization, exploitation etc. were arranged. During the field visits delegates interacted with experts in all the relevant fields of rubber cultivation, exploitation and processing.

The valedictory function of the centenary celebration was held on the 2nd January 2003 with a public meeting organized in the Mammen Mappila Hall, Kottayam. Dignitaries like Shri O. Rajagopal, Union Minister of State for Parliamentary Affairs, Shri K.M. Mani, Minister for Revenue and Law, Kerala State, Shri Dipak Chatterjee, Secretary, Commerce & Industry, Shri L.V. Saptharishi, Addl. Secretary, Commerce and Industry, Govt. of India, Shri Oommen Chandy MLA, Smt. Mercy Ravi, MLA. Shri Ettumanoor V. Radhakrishnan, Vice-Chairman, Rubber Board and various other distinguished personalities participated in the function. The biennial awards one for the best small rubber grower and the other for the best RPSs were given away in the meeting. Prof. K.M. Chandy Memorial Best Grower Award was handed over to Shri K Sadanandan of Pathanapuram by Shri K.M. Mani, Revenue Minister of Kerala State. The 'Suvarna Sangham' Award for the best RPS was handed over to Shri P. Yohannan, President of Kalampur RPS (Muvattupuzha Region) by Shri O. Rajagopal, Union Minister of State. The souvenir brought out by Rubber Board in connection with the centenary celebration was released by Shri Dipak Chatterjee, Secretary , Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

Honourable Union Minister of state Shri O. Rajagopal presenting best RPS award

PART VI

FINANCE & ACCOUNTS

The Finance & Accounts Department is concerned with designing and operating the Accounting system, preparing budget, financial statements and reports, exercising budgetary control, effective Funds Management, establishment and maintaining systems and procedures, overseeing internal audit and arranging for Statutory audit, advising on financial propriety and regularity of transactions, supervising computer applications, overseeing cost control, evaluation of projects/schemes, handling tax matters etc. The following activities were undertaken by the Department during the year.

1. Preparation of Annual Budget, Performance Budget, Foreign Travel Budget etc.
2. Review and Revision of budget under Zero Based Budgeting and exercising budgetary control.
3. Maintenance of the accounts of the Board, preparation of Annual Accounts and Balance Sheet, presentation of the accounts for audit by the Accountant General, Kerala and the audited accounts to the Rubber Board/Ministry/Parliament.
4. Placing demands for grant from Govt. from time to time, receiving funds from Government and ensuring its optimum utilization.
5. Advising on financial propriety and regularity of transactions and regulating payments.
6. Assisting the Cost Accounts Branch of the Ministry of Finance in ascertaining the cost of production of Natural Rubber.
7. Preparation of financial statements for project reports and schemes.
8. Dealing with Central Income Tax, Agricultural Income Tax and Sales Tax matters relating to the activities of the Board.
9. Co-ordinating the activities of the trading and processing companies jointly promoted by the Rubber Board and Rubber Producers Societies.
10. Computerised Data Processing in the field of financial accounting, pay roll etc.
11. Drawal and disbursement of pay and other entitlements of the employees of

the Board based on the orders issued by Govt. of India from time to time.

12. Management of Pension Fund and General Provident Fund and regulating disbursements therefrom.

13. Implementation of the Scheme of Computerization and Networking of all departments of the Board.

Annual Accounts 2001-02

Annual Accounts of the Board for the year 2001-02 were prepared and presented to Accountant General, Kerala for audit within the stipulated time. The Audit Report and the Audited Accounts with the certificate received from the AG Kerala were adopted by the 146th meeting of the Board held on 30.11.02 and submitted to the Govt. of India within the time frame.

Revised Estimates for 2002-03 and Budget Estimates for 2003-04

The Revised Budget for 2002-03 and Budget Estimates for 2003-04 were prepared within the time frame and submitted to the Government. Budget sanctioned for the year 2002-03 was Rs. 113.31 crore comprising Rs. 98.31 crore under Plan and Rs. 15 crore under Non Plan. As against this the actual expenditure for the year was Rs. 96.75 crore (Plan Rs. 84.08 crore and Non Plan Rs. 12.67 crore). The sanctioned budget for the year 2003-04 is Rs. 107.41 crore comprising Rs. 93.28 crore under Plan (Budgetary support of Rs. 83.54 crore and Opening Balance of Rs. 9.74 crore) under Plan and Rs. 14.13 crore under Non Plan (Budgetary support - Rs. 10.50 crore plus I&EBR - Rs. 3.63 crore).

Management of Funds

(i) General Fund

Funds amounting to Rs. 81.29 crore was received from Government as budgetary support during the year 2002-03. The internal resources during the year was about Rs. 12.08 crore. The total expenditure during the year was Rs. 96.75 crore.

(ii) General Provident Fund/Pension Fund

The balance under the General Provident Fund as on 31st March 2003 was Rs. 18.11 crore and that of Pension Fund Rs. 11.08 crore. The accumulations in the funds were invested in long-term securities to obtain optimum returns. The Board is maintaining GPF accounts for 2131 subscribers. There were 562 pensioners on the rolls during the year.

(iii) Cost Accounts

The Cost Accounts Division of the F & A Dept. continued to collect, analyze and update cost data on production of natural rubber, planting material etc. Information sought for by the Government, other Statutory Bodies and or agencies were furnished as and when required.

The Finance and Accounts Department examined various aspects relating to Sales Tax and Agricultural Income Tax matters and appropriate advice were given.

(iv) Internal Audit Division

The Internal Audit Division is headed by the Internal Audit Officer under the functional control of Director (Finance). It is an important tool of the Chairman to ascertain the state of affairs of different Departments/Divisions/Sections/Offices/Establishments and for setting matters right by taking prompt remedial measures. It also assists the various departments in the effective discharge of their responsibilities by furnishing the correct analysis, appraisal, recommendations and pertinent com-

ments on the activities of the Board. It also carries out liaison work with the Audit department of the AG's office in Kerala.

The main functions of the Internal Audit Division are inspection/audit of various offices/establishments of the Board, verification of pension and retirement benefits/absorption cases and other referred cases on various service matters and conducting special audits as directed by Chairman etc. During the period under report, Internal Audit/Inspection was conducted in 46-offices/establishment spread all over the country.

Audit of the Accounts of the Board for the year 2001-02 was taken up by AG, Kerala during July-August 2002 and their report containing 26 audit paragraphs were received. Replies to all the audit paragraphs were prepared and submitted. The total number of outstanding audit paras as on 31.3.03 is 91 including that of 2001-02. The inspection report of the Internal Audit Wing of the Ministry of Commerce is also handled by the Division. 5 audit paras in the above report are outstanding as on date.

Economy in the use and maintenance of vehicles and consumption of fuel was ensured by follow up procedures and Govt. Orders.

Annual physical verification of stock and stores were updated by initiating follow up action with concerned offices/units and ensured the disposal of unserviceable items.

(v) Electronic Data Processing

The Electronic Data Processing Division under the Department takes care of the computerized programmes and its application. The Division processed pay rolls and handled the financial accounting, GPF Account, Pensioners account, work relating to the preparation of Budget, Nominal Rolls etc. The Division looks after procurement and maitenance of Hardware/Software requirements of the different departments of the Board.

PART VII

LICENSING & EXCISE DUTY

The Rubber Board has been entrusted with the responsibility of assessment and collection of the duty of excise (cess) on rubber produced in India under Section 12 of the Rubber Act 1947. The cess so levied and collected is remitted to the Consolidated Fund of India. All transactions in rubber are regulated under and in accordance with the licences issued by the Board as provided in Section 14 of the Rubber Act 1947. The quantity of rubber transacted by every licence is to be declared to the Board through periodical returns. Interstate transport of rubber is regulated by a declaration in form 'N.' Periodical inspections are conducted to verify the genuineness of the accounts maintained and stock held by the manufacturers/dealers/processors. These functions are monitored/discharged by the Licensing & Excise Duty Department of the Rubber Board, consisting of the following Divisions & Offices.

I. EXCISE DUTY DIVISION

The issuance of licence to manufacturers to acquire rubber, assessment and collection of cess on rubber acquired by them and its remittance to the consolidated Fund of India, are the important functions of the Excise Duty Division.

(i) Issuance of Licence

The function of issue of licence includes the work of issue of new licences to prospective manufacturing units and renewal of the existing licence for the subsequent year. The details of licences issued during 2002-2003 are furnished below.

Fresh Licence	244 Nos.
Renewal of Licence	4696 Nos.
Total	**4940 Nos.**

During the period, licences in respect of 9 units were cancelled on the basis of the request of licencees. The total number of licensed manufacturers as at the end of 31/3/2003 was 4931. The state-wise distribution of licensed manufacturers as at the end of 31st March 2003 was detailed hereunder:

Sl. No.	Name of State/ Union Territory	Number of Units
01	Kerala	854
02	Maharashtra	578
03	Punjab	511
04	Tamilnadu	486
05	Uttar Pradesh	439
06	West Bengal	435
07	Gujarat	381
08	Haryana	324
09	Delhi	220
10	Karnataka	203
11	Andra Pradesh	160
12	Rajasthan	111
13	Madhya Pradesh	82
14	Bihar	27
15	Pondicherry	33
16	Goa, Dadra & Nagarhaveli & Daman	33
17	Orissa	13
18	Chandigarh	11
19	Jammu & Kashmir	9
20	Himachal Pradesh	8
21	Assam	8
22	Tripura	5
	Total	**4931**

The Division also prepared and supplied a list of licensed manufacturers for the use of various stake holders of the industry. The Division also renewed the licences of 2989 existing manufacturers for the year 2003-2004.

(ii) Registration of letter of authorisation to purchase rubber by agent/dealers on behalf of manufacturers

The division registered 999 letters of authorization issued by various manufacturers in favour of their agent dealers to purchase and despatch rubber on their behalf during 2002-2003.

(iii) Registration of Branch/Purchase Depot

On the basis of the applications received from the manufacturers, 6 new branches/purchase depots were registered during the year under report.

(iv) Letter of authorization to purchase rubber

Special authorization to 10 organisations/ institutions to acquire rubber for experimental purposes were issued in lieu of regular licence, after collecting the relevant cess in advance.

(v) Assessment and Collection of Duty of Excise (Cess) on rubber

The total assessment of cess on rubber during 2002-2003 was Rs. 8206 lakh as against Rs. 8182 lakh during 2001-2002. The total number of half yearly returns (form 'M') collected from the manufacturers during the year was 10294. The Liaison Officers and the Inspecting staff under the Department functioning at various parts of the country furnished 2181 inspection reports, on which appropriate actions were taken.

The duty of excise (cess) on rubber collected during the period under report was Rs. 8204 lakh against Rs. 8114 lakh collected during 2001-2002.

The aggregate of licence fee and service charges collected during 2002-2003 was Rs. 8,85,663/-. Besides a sum of Rs. 8 lakh was collected towards penal interest on belated remittance of cess.

II. MARKET INTELLIGENCE DIVISION

The most important function of the Market Intelligence Division is to prevent evasion of cess on rubber. The activities undertaken by the Division include-

a) Conducting inspections at the business premises of dealers, verifying their books of accounts, returns and other statements.

b) Conduct investigations about the genuineness of rubber dealers.

c) Initiate steps to prevent unfair trading in rubber.

d) Cross verification of the statutory returns filed by dealers/manufacturers and processors.

e) Checking rubber consignments in transit and at checkposts etc.

f) Close monitoring of the interstate movement of rubber.

These functions are attended by

- The inspection squads functioning at Taliparamba, Kochi, Kottayam and Nagercoil.
- Market Intelligence Inspectors functioning at Palakkad, Punalur and Nagercoil.
- The checkpost machineries at Walayar in Palakkad Dist., Manjeswaram in Kasaragod Dist. of Kerala and Kavalkinar in Thirunelveli Dist., Tamilnadu.

The brief activities of the Division are-

- During the period under report, the inspection squad spent several days on tour and inspected the business premises of 2768 licensed dealers and detected unlicensed dealings of 158 dealers. Discrepancies/irregularities in the case of 452 dealers involving 10,95,333 kgs as shortage/unaccounted stock/irregular sales were detected. A sum of Rs. 16,42,999/- was collected towards cess on rubber from the parties involved. The Squad also conducted 687 road checking and surprise visits to the checkposts, Railway Parcel Offices and border areas.
- On the basis of serious irregularities detected, the licences of 10 dealers were suspended and an amount of Rs. 1,63,990/- was collected towards cess loss involved.
- Prosecution steps against 5 rubber dealers for having purchased rubber below the statutory minimum price were initiated. One dealer was convicted by the Court and the remaining four cases are pending in the concerned courts.
- In order to strengthen surveillance on interstate movement of rubber, regular checking of the documents accompanying the rubber consignment were conducted at the three checkposts at Walayar in Palakkad District, Bengra Manjeswaram in Kasargode District of Kerala and Kavalkinar in Thirunelveli District of Tamilnadu.
- The surveillance exercised through the three checkposts helped in detecting illicit transport of rubber. During the period under report, the officials at Walayar, Manjeswaram and Kavalkinar checkposts detained 31 consignments of rubber for irregular movement. Of this, 12 consignments were allowed to cross the border on production of valid documents/satisfactory explanation and 19 consignments were released after collecting a sum of Rs. 9,79,363/- towards cess amount and security deposit equivalent to the cess involved in the quantity as the consignors failed to produce convincing evidence/explanation for the lapses. Necessary assistance was provided to the Sales Tax/Police officials who have detained 17 consignments of rubber attempted to cross the border without valid documents/under suspicious ground. The Inspection Squad detected clandestine transport of 1131 MT of rubber through coastal cargo transport and the investigations are going on.

- 39049 consignments of rubber which passed through the three check posts as under, were checked.

1	Walayar Checkpost	:	25547	consignments
2	Manjeswaram Checkpost	:	8898	"
3	Kavalkinar Checkpost	:	4604	"
	Total	:	**39049**	"

- 16500 books of Form 'N' declarations under different categories were got printed and 14320 form N books were supplied to various estates, processors, dealers and manufacturers. 52236 Nos of Form N declarations were received at Market Intelligence Division and most of the same were scrutinized wherever discrepancies were noticed, explantaion/clarifications were called for from the concerned parties and appropriate action taken.
- The monthly returns and copies of Form N declarations received from various dealers/manufacturers/processors/estates were cross checked at random and detected discrepancies in 398 cases. A sum of Rs. 1752650/- was also realized in the case of irreconcilable transactions.
- Thus on account of the efforts of the Market Intelligence Division, a total amount of Rs. 46,50,002/- was collected, which otherwise could not have been possible.

III. LICENSING DIVISION

Licensing of rubber dealers, processors and registration of their branches and agents, initiation of punitive action against erring dealers and processors are the main functions of the Licensing Division situated at Kochi.

1) Licensing of Dealers

The number of licensed dealers which stood at 9492 at the beginning of the year marginally increased to 9722 at the end of the year. During the period under report, 1059 new licenses were issued and the licenses of 2472 dealers were renewed. Besides, the licences of 1573 dealers were also renewed for a period of 5 years from 1.4.2003.

2) Licensing of Processors

The total number of Processor's licence issued during the period was 137 as on 31/3/2003. The Licences of 20 Processors were also renewed for a period of five years from 1.4.2003.

3) Suspension and revocation of license of dealers and Processors

During the year, 100 licences of dealers and one processor's license were cancelled. Besides, licences of 10 dealers were suspended due to violations of the provisions of the Rubber Act and Rules. The suspension order in respect of 1 dealer was rescinded and the licence was restored after receiving satisfactory explanation for the lapses committed by him.

4) Registration of Branches and Agencies

During the year, 331 branches of dealers and processors were newly registered making the total number of branches to 1038 as at the

end of March 2003. Besides, letters of authorization issued by 345 principal dealers in favour of their agents to purchase and despatch rubber on their behalf were registered during 2002-2003.

5) Collection of money from Dealers

A sum of Rs. 9,11,123/- was collected from dealers to make good the loss of cess on rubber on account of their irregular transaction/discrepancies in stock.

6) Supply of 'N' Form

6218 books of 'N' forms were issued to various estates, dealers, processors and manufacturers in Kochi area for interstate transport of rubber.

During the year, a sum of Rs. 49,10,672/- was collected by the Division towards licence fee/service charge/cess on rubber.

7) State-wise distribution of Dealers

Sl. No.	Name of State/ Union Territory	Number
01	Kerala	8620
02	Tamilnadu	195
03	Punjab	153
04	Delhi	120
05	Karnataka	115
06	Tripura	113
07	Maharashtra	95
08	West Bengal	76
09	Uttar Pradesh	67
10	Gujarat	42
11	Haryana	38
12	Assam	24
13	Rajasthan	22
14	Meghalaya	14
15	Andra Pradesh	6
16	Bihar	4
17	Chandigarh	4
18	Madhya Pradesh	4
19	Andaman & Nicobar	3
20	Pondicherry	3
21	Nagaland	2
22	Orissa	1
23	Goa	1
24	Jammu & Kashmir	Nil
	Total:	**9722**

8) District - wise Distribution of dealers in Kerala

Sl. No.	Name of District	No. of Dealers
01	Kottayam	2304
02	Kollam	1734
03	Ernakulam	1105
04	Pathanamthitta	1069
05	Thiruvanathapuram	768
06	Kannur	423
07	Idukki	409
08	Malappuram	408
09	Palakkad	350
10	Kozhikode	191
11	Trichur	163
12	Alappuzha	151
13	Kasargod	88
14	Wynad	57
	Total	**8620**

IV. SUB OFFICES/LIAISON OFFICES

With a view to improving collection of cess on rubber and to maintain liaison with various Ministries, trade and Industry, Board maintains 9 Sub Offices in the major rubber consuming centres at Chennai, Bangalore, Secunderabad, Ahmedabad, Kanpur, Mumbai, Kolkata, Jalandhar and New Delhi. These offices function mainly to assess the suitability of applicants who apply for licences to deal in rubber/acquire rubber for rubber goods manufacturing. The purchase made by the rubber goods manufacturers and dealers and stock held by them were verified at random. Verifications of the books of accounts and records of the license holders were also done to ensure that all rubber procured by them were properly accounted and subjected to assessment of cess. Surprise inspections were conducted to detect unlicensed dealing in rubber and manufacturing of rubber goods in contravention of the provisions of the Rubber Act and Rules in order to prevent loss of revenue towards cess. The other functions of these Offices are to inspect the Factory/Business premises of the Manufacturers & Dealers to verify the correctness of the returns submitted by them and to check the inter-state transport of rubber to detect malpractices.

PART VIII

PROCESSING AND PRODUCT DEVELOPMENT

The Dept. of Processing and Product Development continued to provide technical and financial support to the rubber and rubberwood processing units particularly in the small holdings sector for improving the quality of their products and its marketing through various measures.

Upon lifting of the Quantitative Restrictions on natural rubber with effect from 1/4/2001, the Govt. of India approved a scheme for providing technical and financial assistance to the Technically Specified Rubber Processors in the various sectors for improving the quality and consistency of block rubber produced by them, reducing cost of production and strengthening environmental protection systems. The total outlay sanctioned for the scheme was Rs. 5 crore. Under the scheme financial assistance was given to 26 block rubber factories, 26 latex centrifuging factories. 242 Rubber Producers Societies were equipped with facilities for raw material collection from the small holdings for regular supply to the TSR factories. Financial assistance was also given to a rubberwood processing factory in the RPS sector under the scheme. The total expenditure made during the year under the scheme was Rs. 496.15 lakh.

The Board organised a visit of a 12 member delegation from Rubber Board and block rubber processors to the block rubber factories in Thailand and Indonesia to study the latest developments in processing and quality control.

The Board continued to check the quality of rubber imported through the designated ports of Kolkatta and Vizakhapatnam. During the year 2002-03, a total quantity of 24591 M. tonnes of rubber was inspected and recommended for clearance by the customs. 320 M. tonnes of rubber was rejected as it did not meet the prescribed quality standards. The Board also continued to monitor the import of rubber through non designated ports.

During the year, the Board promoted export of various grades of sheet rubber, block rubber and latex concentrate by providing incentives. To ensure the quality of rubber so exported, the board carried out the quality check of rubber from December, 02. During this period, 3383 M. tonnes of block rubber, 6225 M. tonnes of latex concentrate and 24826 M. tonnes of RSS grades were put to quality check and cleared for export. During the same period 121 M. tonnes of block rubber, 21.5 M. tonnes

of latex concentrate and 1393 M. tonnes of RSS grades were rejected upon quality check.

The Dept. conducted 172 inspections to check quality of block rubber and latex concentrate produced in the country. Testing facilities for raw rubber, latex, chemicals, effluents etc. to the processors and consumers of rubber were provided and 16846 samples were tested. The Board also participated in the international and national Round Robin Cross Checks for its Central Testing Laboratory.

The Board continued to provide demonstration and training facilities to the rubber processors in processing and quality control, environmental protection and ISO 9000 Quality Management System through its Model TSR factory, Pilot Latex Processing Centre (PLPC), Pilot Crumb Rubber Factory (PCRF) and Radiation and Vulcanised Natural Rubber latex (RVNRL) plant.

The Board submitted a proposal to the Bureau of Indian Standards to bring out specifications for RSS grades and also to amend the standards in force for block natural rubber and latex concentrate to align with standards of the major natural rubber producing/exporting countries to promote export of rubber from India. These have already been discussed in a meeting convened by the BIS and further steps are in progress at BIS level.

The Board continued to give technical and financial assistance to the processing and trading companies in the RPS and Co-operative sectors for processing and marketing of rubber and distribution of estate inputs.

Technically Specified Rubber (Block Rubber)

The Model Rubberwood factory set up under the World Bank Aided Project viz. India Rubber Project continued to provide demonstration and training facilities to the Rubberwood processors and the new entrepreneurs in processing and value addition, quality control and enviromental protection systems.

The Rubberwood Testing Laboratory set up under the World Bank Aided Project provided testing facilities to rubberwood processors, offered training facilities and also participated in a few R & D projects relating to rubberwood undertaken by the Rubber Research Institute of India.

The Bureau of Indian Standards had brought out standards for chemically treated and kiln dried rubberwood. With a view to promoting the use of rubberwood in Govt. institutions, the Govt. of Kerala has approved processed rubberwood for manufacture of furniture and the Store Purchase Rules of the Govt. of Kerala have been ammended accordingly.

Steps were taken to introduce processed rubberwood as an eco friendly timber suited for furniture and interiors.The Indian Institute of Science, Bangalore has decided to go for furniture from processed rubberwood for furnishing their new hostel complex consisting of 920 rooms. This will help in the promotion of rubberwood in furniture and interior among premier research/educational/Govt./Quasi Govt. institutions in India. The Board participated in the following national/international fairs and distributed technical literature and catalogues on rubberwood/rubberwood products to promote its use in the national/international market.

National Fairs

01. Inside outside Megashow, Chennai, September, 2002.
02. Society Interiors Expo, Chennai, October, 2002.
03. Index—2002, Mumbai, October, 2002.
04. Inside outside Megashow, Bangalore, October, 2002.
05. India International Trade Fair, New Delhi, November, 2002.
06. Interbuild, New Delhi, December, 2002.
07. India International Furniture Fair, Banga lore, February, 2002.
08. IIWT—2003, Chennai, February, 2003.

International Fairs

01. India Trade Fair, Osaka, Japan, November 2002.
02. ASFI, Birmingham, UK, November, 2002.
03. IFFT, Tokyo, Japan, November 2002.
04. IFEX, Abudhabi, February 2003.
05. International Furniture Fair, Singapore, March 2003.

Participation in these fairs would help to project India as a potential supplier of processed rubberwood among the major consuming countries. As a result, a few serious enquiries for export were received.

PART IX

TRAINING AND TECHNICAL CONSULTANCY

The Department of Training and Technical Consultancy consists of two Divisions viz. Training Division and Technical Consultancy Division. The Training Division is conducting different training programmes for the benefit of the industry consisting of Rubber Plantation sector and Processing & Product Manufacturing sector. The Technical Consultancy Division provides technical assistance to entrepreneurs for setting up of Rubber based units, and to rubber goods manufacturers for solving production problems and assessment of quality by way of testing of rubber products.

The T & TC Department also provides technical support and guidance for the export of natural rubber.

A) TRAINING DIVISION

The Rubber Training Centre is located near Puthuppally, 8 km. east of Kottayam, adjacent to the Rubber Research Institute of India. It is housed in a picturesque building of 3710 m^2 area having 5 lecture halls with modern amenities. The Centre has a hostel to provide accommodation for 30 participants. The Centre has also a library, museum and an auditorium. The Centre has two Demonstration labs to impart training in Rubber Processing and Product Manufacturing Technology during training programmes.

The major target group identified for training are:

- Farmers
- Managers/Superintendents
- Rubber Producers Societies
- Rubber Marketing Societies
- Rubber Dealers
- Rubber Processors
- Rubber Products Manufacturers
- Entrepreneurs
- Rubber and Rubber Products Exporters

- Production Managers
- Quality Control Managers
- Women including SC/ST categories
- Students
- Participants from abroad

During the year under report, 30 different training programmes were conducted for the various target groups. A brief profile of the beneficiaries are:

Category	No. of beneficiaries
* Rubber Processing	155
* Rubber Product Manufacturing	186
* RPS Presidents & Rubber Dealers	33
* Farmers/RPS Members	2885
* Tappers	402
* Agricultural/Rubber Technology Students	55
* Persons on visit cum training	1028
* Employees of the Board	117
Total	**4861**

The beneficiaries included 1058 Women and 237 Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Rubber Training Centre of the Board at Kottayam was enrolled as a permanent member of the Indian Society for Training and Development, New Delhi.

B) Technical Consultancy Division

The Technical Consultancy Division provides technical assistance to promote the rubber goods manufacturing industry in the country. The major activities of the division are providing technical assistance to entrepreneurs in setting up rubber based industries, development of rubber products, solving production problems of existing units and quality control by testing rubber chemicals/rubber compounds/products as per National and International standards. The Division also undertakes activities like conducting workshops and seminars to promote rubber based industries, preparation of detailed project reports, market survey reports, trade directories etc. With the aim of increasing the consumption of Natural Rubber, the division is now engaged in the setting up of Rubber Industrial Parks. The implementation of the Rubber Park Project is progressing and the status report of the Industrial Rubber Parks are as given below:

1	Kerala	1st phase of the project has been completed. 2nd phase of the project is being completed.
2	Tamilnadu	Sanction of the project under ASIDE scheme with private participation is awaited.
3	Tripura	Project proposal is under consideration of Govt. of India

I A brief report of the Activities of the Division is given under

1	Project Reports/Schemes prepared	9 Nos.
2	Technical assistance	75 Manufacturing Units
3	Rubber products developed for various units/entrepreneurs	44 Nos.
4	Quality Control	1106 samples were tested for 5930 parameters
5	Rubberisation of Roads	Promotion of natural rubber modified bitumen (NRMB) for road surfacing was continued. Performance Evaluation of NRMB roads in Kerala, Tamilnadu & Pondicherry was conducted in asso ciation with Central Road Research Institute.
6	Development of Seismic Bearings	The final report from Structural Engineering and Research Centre was reviewed and an interaction with Engineers from SERC was in progress towards design of the bearings and fabri cation of moulds for preparation of bearings.
7	Canal lining	The lab scale experiments on lining of canals with latex compound was successful as re ported by Kerala Engineering Research Institute. The trial has been extended to ponds as well and the results are awaited.
8	Major achievements	The development of rubber compo nents by the Division for floor cleaning machines of M/s. Roots Multiclean Pvt. Ltd., Coimbatore has been appreciated, being an import substitute.

The Division also monitors the export promotion of NR. The total quantity of NR exported from April 2002 to March 2003 was 55311 MT. In value terms, NR exported in 2002-03 was estimated at Rs. 185.12 crore, equivalent to US$ 38.17 million. An "Export Promotion Cell" was constituted in the Division to provide the services for export marketing and an "Export Inspection Team" to conduct quality check and issue of Quality Certificates required for the export of rubber.

The Board has developed an interactive website facilitating electronic commerce exclusively for export promotion of Natural Rubber. The Market Study Report conducted by the consultant, M/s. Accenture India Pvt. Ltd., New Delhi, has been completed and submitted the final report. Implementation of the recommendations of the study report is under progress. During the year 2002-03, the Board participated in three international trade fairs namely Europlast (held at Paris from June 3-7, 2002), China Plas (held at Shanghai, China from June 25-29, 2002) and SAITEX (held at Johannesburg, South Africa from October 2-6, 2002).

PART X

STATISTICS AND PLANNING

I. General Statistics

The activities undertaken by the Statistics & Planning Department during the period April 2002 to March 2003 included regular monitoring of the data on supply, demand, stock and price of rubber and presenting them to the Board and the Government. Demand-Supply position of natural rubber was reviewed periodically by the Board which met on 22/7/02, 30/11/02 and the Statistics & Import/Export Committee of the Board which met on 21/9/02 and 24/3/03. For discussions in these meetings, notes supplemented with statistical data reflecting the current and future scenarios in the NR sector were prepared by the Department.

The statutory monthly returns collected every month from rubber growers, dealers, processors and manufacturers were compiled and analysed. In order to ascertain the monthly variation in production, stock etc. pertaining to small growers, sample studies in small holding sector were continued. The data collected from various sources were compiled and production, consumption, import and stock of rubber were worked out on monthly basis. The required statistical information for publishing the 'Rubber Statistical News' (monthly) was prepared. This publication covers the trend in production, consumption, stock, import/export of natural rubber, synthetic rubber and reclaimed rubber, price of natural rubber and many other details. The Board published Indian Rubber Statistics Vol. 25, 2002 in April 2002. This publication covers detailed information on area under rubber, production, consumption, import, export, price etc of natural, synthetic and reclaimed rubber and manufacturers, dealers, rubber products, labourers etc. It also contains world rubber statistics. The Department furnished relevant statistical information to the Government and various organizations connected with the rubber industry.

Annual reports were collected from processors of centrifuged latex, block rubber, PLC and crepe mills to ascertain the production of various grades of rubber, installed capacity etc. Annual returns relating to the year 2002-2003 were collected from manufacturers of rubber goods to work out consumption of rubber according to end products, classification of manufacturers according to consumption.

Statewise consumption of Natural Rubber (NR), Synthetic Rubber (SR), Reclaimed Rubber (RR) were prepared from monthly returns collected from manufacturers.

The census of rubber holdings in selected villages in Kerala using stratified random sampling technique, was continued. On the basis of the data so generated, prepared suitable statistical tables and analysis done.

II. Planning

Annual Plan proposals for 2003-04 on rubber were prepared and presented to the Govt. A comprehensive note on review of rubber plantation industry was also prepared and presented to the Government.

III. Supply of information to World Organizations

The S & P Department continued to supply information about the NR industry in India to world organizations like the Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Kuala Lumpur, Malaysia and International Rubber Study Group (IRSG), London.

On behalf of the Govt. of India, the Chairman, Rubber Board participated in the IXth meeting of ANRPC Co-ordinating Committee on Production and Marketing Strategies at Thailand in August 2002, 26th meeting of the ANRPC Executive Committee and 25th meeting of the ANRPC Assembly at Yogyakarta, Indonesia in November 2002. The Joint Director (S & P) participated in the one-day Workshop on NR Statistics and Eleventh meeting of ANRPC Committee on NR Statistics held in Kuala Lumpur, Malaysia in September 2002.

PART XI

STATISTICAL TABLES

Table-1

PRODUCTION, IMPORT, EXPORT & CONSUMPTION OF NR

Month		Production	(Tonnes) Import*	Export (Indigenous& Imported)	Consumption
April	2002	39800	2015	3928	54510
May	"	42410	1242	2697	56505
June	"	43635	936	2917	56740
July	"	45835	2096	3738	58920
August	"	51475	5067	1200	57835
September	"	58480	687	6159	57380
October	"	63215	818	6814	57750
November	"	75410	317	5872	58470
December	"	80495	161	4740	59455
January	2003	75525	3187	4264	60210
February	"	35050	6114	4676	59525
March	"	38105	3589	8306	58125
Total		**649435**	**26229**	**55311**	**695425**

* Source: DGCI & S, Calcutta.

Table-2

STOCK OF NATURAL RUBBER AT THE END OF EACH MONTH

(Tonnes)

Month		Growers, dealers & Processors	Manufacturers	Total
April	2002	111200	65290	176490
May	"	100030	60950	160980
June	"	93835	52015	145850
July	"	83875	47335	131210
August	"	87595	41125	128720
September	"	91830	32520	124350
October	"	87335	34995	122330
November	"	100605	34590	135195
December	"	111145	40495	151640
January	2003	119295	46575	165870
February	"	84280	57080	141360
March	"	65655	52340	117995

Table-3

PRODUCTION, IMPORT & CONSUMPTION OF SYNTHETIC RUBBER

(Tonnes)

Month		Production	Import*	Consumption
April	2002	5680	8485	14885
May	"	6497	9481	15065
June	"	6791	11791	15545
July	"	5904	12147	16370
August	"	7505	13438	16790
September	"	6715	11988	16370
October	"	6247	15202	17365
November	"	6370	11730	17160
December	"	7209	9733	16860
January	2003	7800	9360	16780
February	"	6642	5611	15615
March	"	7041	5509	16045
	Total	**80401**	**124475**	**194850**

* Source: DGCI & S, Calcutta.

Table-4

PRODUCTION & CONSUMPTION OF RECLAIMED RUBBER

(Tonnes)

Month		Production*	Consumption
April	2002	5580	5545
May	"	5405	5370
June	"	5545	5490
July	"	5675	5615
August	"	5705	5750
September	"	5850	5860
October	"	5905	5925
November	"	5640	5670
December	"	5580	5650
January	2003	5790	5840
February	"	5440	5390
March	"	5270	5215
	Total	**67385**	**67320**

* Indigenous purchase by manufacturers

Table-5

MONTHLY AVERAGE PRICE OF VARIOUS GRADES OF NATURAL RUBBER IN INDIA

(Rs/Quintal)

Month	RSS 1	RSS	2RSS 3	RSS 4	RSS 5	ISNR 5	ISNR10	ISNR20	ISNR 50
April 2002	3738	3638	3538	3389	3101	3412	3312	3163	2912
May "	3960	3860	3760	3589	3219	3547	3437	3257	3072
June "	4315	4215	4115	3979	3625	3865	3764	3594	3416
July "	4206	4106	4006	3830	3549	3808	3708	3535	3344
August "	4106	4006	3906	3732	3484	3703	3603	3424	3245
September "	4148	4048	3948	3765	3622	3840	3740	3608	3397
October"	4038	3938	3838	3667	3515	3738	3638	3511	3298
November "	4007	3907	3807	3677	3564	3730	3630	3499	3286
December "	4516	4416	4316	4196	3911	4168	4068	3960	3692
January2003	4704	4604	4504	4300	4077	4428	4328	4182	3923
February "	4753	4653	4553	4384	4280	4555	4455	4323	4101
March "	4903	4803	4703	4517	4372	4691	4591	4417	4284
ANNUAL AVERAGE	4283	4183	4083	3919	3693	3957	3856	3706	3498

Table-6

MONTHLY AVERAGE PRICE OF VARIOUS GRADES OF NATURAL RUBBER IN KUALALUMPUR MARKET

(Rs/Quintal)

Month		RSS 1	RSS 2	RSS 3	RSS 4	RSS 5	SMR 5	SMR 10	SMR 20
April	2002	3517	3441	3422	3286	3221	3350	3267	3241
May	"	3509	3446	3426	3290	3225	3337	3274	3248
June	"	4152	4067	4047	3911	3846	4034	4008	3982
July	"	4142	4078	4058	3922	3858	4059	3988	3959
August	"	4153	4110	4090	3955	3891	4117	4056	4030
September	"	4395	4348	4329	4194	4129	4450	4399	4373
October	"	4046	4001	3982	3847	3783	4212	4167	4141
November	"	4000	3955	3936	3801	3737	4214	4169	4144
December	"	4007	3962	3943	3809	3745	4217	4168	4142
January	2003	4219	4330*	4330*	4226*	4109*	4416	4366	4340
February	"	4568	4716*	4716*	4613*	4497*	4640	4552	4527
March	"	5008	5046*	5046*	4944*	4828*	4638	4563	4538
ANNUAL AVERAGE	"	4143	3934**	3915**	3779**	3715**	4140	4081	4055

From January 2003 onwards Malaysia discontinued publishing the price of RSS2 to RSS-5 grades of natural rubber.

* Singapore price

** Average for 9 months only.